राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का ४१ वां दिवस [संख्या ३१

बुधवार, दिनांक १ अप्रेल, १९६४

विधान सभा की बैठक म० पू० ८.५, बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वित्त, पंचायत, श्रम, सार्वजनिक निर्माण, विकास, उद्योग, न्याय एवं वन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ७८५। श्री तेजाराम गहलोत।

एग्रीकलचर इन्कम टैक्स के मुकदमे

७८५. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) पाली जिले में १९५५ से १९६३ तक एग्रीकलचर इन्कम टैक्स के कुल कितने मुकदमे फैसल किये गये? सालवार बताया जावे।

(२) उक्त फैसल मुकदमों में सालवार कितना रुपया टैक्स ऐसेस किया गया?

(३) प्रश्न के भाग (१) में दर्ज फैसल शुदा मुकदमों में कितने मुकदमों में लिमिटेशन के आधार पर अपील्स सू की गई व उक्त अपीलों में कितने रुपये के टैक्स का प्रश्न था व उनमें से कितनी अपीलें लिमिटेशन के बाद में ऐसेसमेन्ट करने की वजह से स्वीकृत की गई जिससे कितने रुपयों के टैक्स खारिज हुए?

(४) राजस्थान उच्च न्यायालय में कितनी रिट्स लिमिटेशन के बाद में ऐसेसमेंट करने के आधार पर की गई है या कितनी राशि के विरुद्ध?

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमन्त्री) अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब अभी नहीं आया है इसलिये इसको अगले सप्ताह लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह लिया जाय।

नेक्स्ट : श्री जेठमल बरवड़।

Page No. 2

ग्राम पंचायत चांडी

७८६. श्री जेठमल बरवड़, (परबतसर) : क्या पंचायत एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक ३० १२-५८ को ग्राम पंचायत चान्डी पंचायत समिति मकराना का चुनाव हुआ था ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चान्डी के १० वार्ड पंचों ने मिलकर बिना शपथ ग्रहण किये ही अलग उप-सरपंच श्री मदनसिंह को बनाकर अपनी मर्जी से अलग पंचायत चलाई थी ?

(३) क्या यह सही है कि श्री मदनसिंह ने पंचायत क्षेत्र के लोगों पर जुर्माना किया और जानवरों की फाटक बनाकर फाटक में डाले गये मवेशियों को नीलाम करके पैसे वसूल किये ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि इन दोनों पंचायतों का ऑडिट हुआ था ? यदि हां, तो ऑडिट ने ऐतराज किया उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया जाय। उत्तर अभी प्राप्त नहीं हो सका है।

श्री जेठमल बरवड़ : सदन समाप्त हो उससे पहले इसका उत्तर दे दिया जायगा क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या ७८७

ग्राम पंचायत, कांवट के सरपंच का निलम्बन।

७८७. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : [श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कांवट, जिला सीकर के सरपंच श्री दामोदर लाल चौधरी को उनके सरपंच के कार्यकाल में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो कब और किस आरोप में ?

(ख) इस मामले की इन्क्वायरी किस अधिकारी को दी गई थी और कब ? यह इन्क्वायरी कब खत्म हुई तथा उसका क्या परिणाम रहा ?

(ग) उक्त सरपंच को कब बहाल किया गया और किसकी आज्ञा से ?

उप मन्त्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (क) जी हां। दिनांक १३-१२-६२ को निलम्बित किया गया। इनके विरुद्ध न्यायालय में गबन, धोखादेही व जालसाजी का मुकदमा विचाराधीन था एवं विभागीय

Page No. 3

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

कार्यवाही भी गबन एवं पंचायत कोष के दुरुपयोग करने की चल रही थी।

(ख) जिलाधीश सीकर को दिनांक १३-९-६० को जांच का आदेश दिया गया। जांच अतिरिक्त कलेक्टर सीकर ने दिनांक २०-११-६१ को पूर्ण की।

(ग) दिनांक २९-१२-६१ को सरपंच के निलम्बन आदेश को राज्य सरकार ने निरस्त किया।

((क) भाग सुनाई नहीं देने की श्री भैरोंसिंह द्वारा आपत्ति उठाने पर (क) भाग का उत्तर पुनः पढ़ा गया)

श्री भैरोंसिंह : यह सरपंच के निलम्बन आदेश राज्य सरकार द्वारा निरस्त क्यों किये गये ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सरपंच ने निवेदन किया कि कोर्ट में भी उसके विरुद्ध मामला चल रहा है और विभागीय कार्यवाही भी। इस तरह से दोनों तरफ से उसको दोहरी सजा नहीं मिलनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कलेक्टर ने जांच पूरी नहीं की उससे पहले ही उसको बहाल कर दिया गया और निलम्बन के आदेश निरस्त कर दिये गये ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अदालत से वह बरी हो गया था।

श्री भैरोंसिंह : मैं कलेक्टर की बात पूछ रहा हूं और आप अदालत की बात कह रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कलेक्टर ने जांच पूरी नहीं की उससे पहले ही आपने उसके निरस्त करने के आदेश दे दिये थे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अदालत ने उसको निर्दोष घोषित कर दिया था।

श्री भैरोंसिंह : कलेक्टर से जांच पूरी हुई या नहीं यह प्रश्न है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उसने निवेदन किया कि हाई कोर्ट में उसका मामला चल रहा है और फाइल चल रही है इसलिये यह कार्यवाही की गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अदलत से फैसला होने से पहले उसको बहाल कर दिया गया था।

श्री भवानीसिंह नन्दवाना : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्यों ? जब उसके खिलाफ गबन का मामला था।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मामला मामूली था और अदालत ने उसको निर्दोष घोषित कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : अदालत में किस की ओर से यह मालमा पेश किया गया था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अदालत में एन्टीकरप्शन विभाग की ओर से।

Page No. 4

श्री भैरोंसिंह : जब एन्टीकरपशन में यह मामला चला गया और कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट इन्क्वायरी की नहीं दी, उससे पहले ही आपने उसको बहाल कर दिया इसमें जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैं इस का उत्तर दे चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : सरकार इसी लायक है उसको आपने सस्पेन्ड क्यों किया और क्यों आपने उसके खिलाफ केस रजिस्ट्रर किया ? जब आपने उसके खिलाफ कुछ केस देखा तभी तो केस रजिस्टर किया गया। उसकी आपने कलेक्टर द्वारा अलग जांच कराई उसको किसी जगह से भी सजा नहीं मिली। मैं समझता हूं कि आपको इसके लिये सोचना चाहिये। विभागीय कार्यवाही आपने क्या की यह तो अदालत से हुआ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जो कुछ भी विभागीय कार्यवाही उचित समझेंगे की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७८८

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट।

खानपुर हाई स्कूल भवन की मरम्मत

७८९. **श्री जयलाल** (ड): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि खानपुर में जनता के श्रमदान द्वारा जो हाई स्कूल भवन बनाया गया है और उसमें जो राजकीय हाई स्कूल चल रहा है उस भवन की गत आठ वर्ष से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत नहीं कराई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सत्य है कि खानपुर हाई स्कूल भवन की मरम्मत नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को काफी कष्ट उठाना पड़ रहा है ?

(३) यदि हां, तो भविष्य में कब तक मरम्मत कराई जावेगी ?

उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) इसकी मरम्मत कराने का सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है।

(२) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयलाल : अध्यक्ष महोदय, वहां पर दीवार गिरने का अन्देशा है और विद्यार्थियों के मरने का खतरा है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तो जानकारी आपने शिक्षा विभाग से की होती तो आपको इसका उत्तर मिल जाता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७६०

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री हनुमानसिंह ।

हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी को सांभर, नावां झील की लीज

७६१. श्री **हनुमानसिंह चौधरी** (नावा) : क्या उद्योग एवं वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) सांभर, नांवा झील का लीज हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी को कब व किन शर्तों पर दिया गया ?

(२) क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि इस कम्पनी के मैंनेजिंग डाइरेक्टर ने कुछ ही दिनों पहले १५०० एकड़ भूमि लीज पर देने बाबत टेन्डर मांगे हैं ? कुल कितने व कौन कौन सी पार्टीज के टेन्डर प्राप्त हुए एवं क्या निर्णय लिया गया ?

(३) क्या कम्पनी को कानूनन इस प्रकार का लीज देने का अधिकार है ?

उप-मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य (श्री चन्दनमल वैद) : (१) सांभर झील और नावां लवण क्षेत्र की प्रबन्ध व्यवस्था भारत सरकार द्वारा हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड को १ जनवरी, १९५९ ई० से हस्तान्तरित कर दी गई थी और वह भूमि जिस पर ये लवण क्षेत्र स्थित हैं कम्पनी को ठेके पर उन्हीं शर्तों के अनुसार दी गई है जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच लागू थीं ।

(२) लीज पर किसी भूमि को देने के लिये निविदा-पत्र (टेन्डर्स) आमंत्रित नहीं किये गये थे लेकिन १४०० एकड़ भूमि पर सब सोइल लाइन से ठेके पर हिन्दुस्तान सॉल्ट लि० की ओर से नमक बनाने के लिये निविदा-पत्र आमंत्रित किये गये थे ।

निम्नलिखित ५ प्रतिष्ठानों ने निविदा-पत्र प्रेषित किये :

(क) सांभर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि०, सांभर ।

(ख) दी सांभर सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, सांभर ।

(ग) दी आर. एस. एस. कोऑपरेटिव लेबर एण्ड सेविंग्ज सोसाइटी, लि०, सांभर ।

(घ) मैसर्स दुर्गाप्रसाद साबू एण्ड कम्पनी, कुचामन रोड ।

(च) सांभर लवण उत्पादन सहकारी समिति लि० सांभर ।

क्योंकि प्राप्त निविदा-पत्र कम्पनी के द्वारा विज्ञापित शर्तों के अनुसार नहीं थे और पार्टियां कुछ अपनी भी शर्तें लगाना चाहती थीं अतः कोई भी निविदन-पत्र स्वीकृत नहीं किया गया ।

(३) जी नहीं ।

Page No. 6

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या कम्पनी को ऐसा करने के पॉवर्स थे।

श्री चन्दनमल वैद : जी नहीं।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : जब पॉवर नहीं थे तो टेन्डर कैसे इन्वाइट किये।

श्री चन्दनमल वैद : वे तो कम्पलाइ हुए नहीं इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता। कम्पनी ने ऐसा किया कि दूसरे लोगों की मार्फत नमक बनाने का प्रावधान किया था और इसलिये टेन्डर काल किये मगर उसको कम्पलाई नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अभी तक इस पद्धति को क्यों नहीं रोका गया ?

श्री चन्दमल वैद : कम्पनी का इसके लिये यह कहना था कि नमक मजदूरी करके लोग निकालें इससे सब लीज नहीं होता। मगर सरकार ने कहा कि यह सब लीज होता है। उन्होंने कहा कि ठीक है अगर सब लीज होता है तो उन्होंने टेन्डर एक्सेप्ट नहीं किये।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : कम्पनी ने टेन्डर इन्वाइट क्यों किये ?

श्री चन्दनमल वैद : उन्होंने टेन्डर्स इन्वाइट किये, लेकिन बाद में छोड़ दिया। मैं समझता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

प्रश्न संख्या ७६२.

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७६३.

श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन।

ग्राम सभाओं को प्रभावशाली बनाने हेतु कानून में संशोधन

७६४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार ग्राम सभाओं को अधिक प्रभावशाली बनाना लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हेतु उचित समझती है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार पंचायत कानून में कब तक संशोधन करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, विकास (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : जी हां। पंचायती राज की संस्थाओं के अध्ययन के लिये एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई है। अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर संशोधन के बारे में विचार किया जायगा।

श्री भीमसेन : यह अध्ययन दल की रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मई में प्राप्त हो जाने की आशा है।

Page No. 7

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ७९५ ।

श्री सांवलियाराम ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७९६

श्री नत्थीसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७९७

श्री मजलिस खां ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७९८

श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७९९

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी द्वारा निकाले गये कर्मचारी ।

८००. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या श्रम मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी द्वारा १ मार्च सन् १९६२ से लेकर अब तक किन किन कर्मचारियों को काम से निकाला गया तथा कब कब और क्यों ?

(ख) क्या इन कर्मचारियों को काम से अलहदा करने से पूर्व नियमानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? और नहीं तो क्यों ? ऐसे कर्मचारियों के लिये उनकी इस सम्बन्ध में की गई मांगों पर श्रम विभाग की ओर से अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) इस कम्पनी के कर्मचारियों का बोनस किस किस वर्ष का कितना कितना बाकी है, और उसके भुगतान के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(घ) इस कम्पनी के कर्मचारियों के प्रोवीडेन्ट फन्ड का कितना कितना पैसा कम्पनी ने कर्मचारियों के वेतन से काट कर अभी तक सरकार में जमा नहीं कराया है ?

(ङ) इन कर्मचारियों की सिक्यूरिटी की कितनी रकम बैंक में जमा होनी चाहिये और वास्तव में कितनी जमा है ?

(च) इन कर्मचारियों के वेलफेअर फण्ड का कितना रुपया किस बैंक में जमा है ?

(छ) क्या यह सही है कि प्रश्न (ग) (घ) और (ङ) से सम्बन्धित मामल

(श्री भैरोंसिंह)

की गम्भीर अनियमितताओं के बारे में श्रम विभाग का ध्यान इस कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा आकर्षित किया गया परन्तु उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मन्त्री श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) (क) सूचि संलग्न है।

(ख) इसकी जानकारी नहीं है। श्रम विभाग के पास सिर्फ श्री अब्दुल गफूर लेबर के केस के अलावा कोई केस नहीं भेजा गया अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री अब्दुल गफूर के केस को आपसी समझौते द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को पंच फैसले के लिये भेज दिया गया।

(ग) सूची संलग्न है। कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(घ) मार्च १९६३ से लेकर फरवरी ६४ के समय का कुल १८, ९१८ रु० ५० न० पै० बाकी है जिसमें ९,४५९. २५ तो कर्मचारियों का भाग है तथा उतना ही मालिक का भाग है।

(ङ) जानकारी नहीं है, कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के अनुसार ५०००) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर कोटा ब्रांच में जमा है, शेष कम्पनी में जमा हैं।

(च) वेल फेयर फण्ड का रुपया किसी भी बैंक में जमा नहीं है। दिनांक २१-२-६४ के समझौते के अनुसार अब किसी बैंक में कम्पनी द्वारा जमा करवा दिया जावेगा।

(छ) यह सही नहीं है। कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा प्रश्न के भाग (ग) और (ङ) के सम्बन्धित मामलों की गम्भीर अनियमितताओं के बारे में कभी भी ध्यान आकर्षित नहीं किया गया। चूंकि कम्पनी इस बार घाटे में चल रही है अतः बोनस का प्रश्न नियमानुसार नहीं उठाया जा सकता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : बोनस का रु० आपने बताया कितना बकाया है कितना जमा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अनपेड बोनस की रकम १३६०.४९ न. पै.। प्रोविडेंट फन्ड की रकम १८ हजार रुपया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस वक्त कितना रुपया जमा कराया जा चुका है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : रिकवरी सर्टिफिकेट कलेक्टर को भेजा जा चुका है वसूली के लिये।

श्री भैरोंसिंह : आप बोल क्या रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आपको किस बारे में जानकारी करना है, जानकारी कर लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : सुनें और समझें तभी तो जानकारी करें, बिना समझे क्या जानकारी करें ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आप क्या जानकारी चाहते हैं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने जो सूचना दी है वह कुछ समझ में नहीं आई। भाग (घ), (ङ) (च) और (छ) की सूचना दुबारा देने का कष्ट करें।

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना ने उपरोक्त चारों भागों के उत्तर पुनः पढ़कर सुनाये।)

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को जानकारी है कि कर्मचारियों के वेतन से पैसा काट काट कर पी. एफ में जमा कराया गया है उतना ही पैसा कम्पनी की तरफ से जमा नहीं कराया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अभी नहीं कराया है !

श्री भैरोंसिंह : नही करवाया है तो उसके खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कलेक्टर को रिकवरी सर्टिफिकेट भेजा जा चुका है। वसूली के लिये।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने रिकवरी सर्टिफिकेट कलेक्टर को भेज दिया है इसी को सरकार पर्याप्त समझती है कि यह इस समस्या का हल कर देगा, पी. एफ. का पूरा का पूरा पैसा कम्पनी द्वारा जमा करा दिया जायगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां, कलेक्टर रकम वसूल करेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जिन लोगों को कम्पनी ने सर्विस से निकाला है उनके केसेज को इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने लिया है क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वे लोग शिकायत करें तभी तो इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल लेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या नियमों में ऐसा नही है कि डिस्मिस करते वक्त इन्डस्ट्रिल ट्रिब्यूनल से स्वीकृति लेना आवश्यक है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : निकाले जाने वाले कर्मचारी शिकायत करें तभी तो ट्रिब्यूनल उन केसेज को ले।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह नियमों में नहीं है कि किसी को डिस्मिस किया जाय, निकाला जाय तो एक महीने का पेमेंट कम्पनी उसको दे और एक महीने का नोटिस दे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ऐसा कोई नियम नहीं है। जिनको निकाला गया है वे शिकायत करें, यूनियन शिकायत करें तभी कार्यवाही की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ऐसी शिकायतें माननीय श्रम मंत्रीजी के पास हुई हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कोई नहीं हुई है ?

श्री भैरोंसिंह : (आप श्रम मंत्री की ओर संकेत करते हुए) उनको कहने दिजिये मैंने खुद ने उनको शिकायत दी है।

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) कौनसी शिकायत ? एक स्थगन प्रस्ताव आया था तो उस सम्बन्ध में मैंने कहा था। एक शिकायत यह थी कि उनको वर्दी नहीं दी गई, सूती वर्दी तो उनको दे दी गई थी पर गरम वर्दी नहीं दी, यह फैक्ट है। दूसरी जानकारी की थी तनख्वाह के बारे में, उसके सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी पेमेंट कराने की कार्यवाही की जा रही है। एक बात मैं रख दूं कि इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल द्वारा इन केसेज को लेने का प्रश्न तब तक अराइज नहीं होता जब तक कि इन्डिविज्युअल्स, उनकी यूनियन या इस सदन के माननीय सदस्य द्वारा श्रम विभाग को शिकायत नहीं की जाती।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने फरमाया कि अब्दुल गफूर के केस में कार्यवाही की है तो यह बतायें कि उसे कब नौकरी से निकाला गया, विभाग को दर्खास्त कब दी और क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री भीखाभाई : इसका उत्तर उप मंत्रीजी ने दे दिया है, सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं १६.४,६३ को निकाला गया, आप ने सारी चीजों को देखा नहीं है इसलिये यह पूछ रहे हैं। इसका केस पंच फैसले में सिटी मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है। आर्बीट्रेटर का फैसला सब को मान्य होगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ८०१।

श्री राम किशन !

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम ?

ग्राम स्वयं सेवक संघ, बांसवाड़ा

८०२. **नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) बांसवाड़ा जिले की पंचायत समितियों में चल रहे ग्राम स्वयं सेवक दल की कितनी प्रगति हुई है ?

(२) क्या यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) विकास अधिकारियों ने इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में क्या योगदान दिया है ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) अब तक १४१ दलपति प्रशिक्षित हो चुके हैं तथा १३०२ स्वयं सेवक दल में भी भर्ती हुए हैं।

(२) जी हां।

(३) विकास अधिकारी ने अपना पूरा योगदान दिया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : किस किस पंचायत समिति की कितनी कितनी मीटिंगें हुई और कितने कितने ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह अलग से प्रश्न है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : १५ दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : १५ दिन में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ? लाठी चलाना सिखाया जाता है, या राइफल चलाना सिखाया जाता है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : लाठी वगैरह भी चलाना सिखाया जाता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि जितने दलपति हैं, जिन्हें पुलिस लाइन्स में बुलाया जाता है, उनको न लाठी चलाना सिखाया जाता है और न किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है सिर्फ लेफ्ट राइट करना सिखाया जाता है ?

(योजना मंत्री) श्री मथुरादास माथुर : यह गलत है। उनको लाठी चलाना, ड्रिल करना परेड करना सिखाया जाता है, फायर करना सिखाय जाता है, उनको ५ ५ कारतूस दिये जाते हैं। अब १० कारतूस करने का इरादा है। उनको चांदमारी करना सिखाया जाता है उनको पी. टी. भी कराई जाती है, उनको फायर ब्रिगेड के सिविल डिफेन्स के रूल्स भी पढाये जाते हैं, मुसीबत के दिनों में क्या करना चाहिये यह भी बताया जाता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि जितनी बातें आपने बताई हैं इनमें से एक भी कार्यक्रम पंचायत समितियों द्वारा नहीं चलाया जाता है। न स्वयं सेवकों को राइफल्स दी हैं और न इस प्रकार की व्यवस्था की है कि उनकी उदरपूर्ति हो सके। जितने कार्यक्रम आपने बताये हैं उनमें से एक भी पंचायत समितियां नहीं चला रही हैं। आपने जो कहा वह सारा निराधार है।

श्री मथुरादास माथुर : यह बात सही नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या आप जांच कराने को तैयार हैं, मैं बूंदी जिले में आपके साथ चलकर सब जगह बताने को तैयार हूं कि वहां कोई इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं चलाया जाता है।

श्री मथुरादास माथुर : उनका काम यह है जरा समझ लीजिये, जिनको ट्रेन्ड करते हैं उनको लैंड रेवेन्यू में से रेमुनरेशन दिया जाता है।

दूसरी बात वहां पंचायतों के अन्दर, अपने अपने गांवों के अन्दर वालंटियर्स बनाते हैं। तीसरी बात वहां के लोगों को राइफल देने की छूट नहीं है। सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं। गांव वालों को इकट्ठा करके वालंटियर कोर बनाते हैं। फिजीकल ड्रिल, लाठी चलाना सिखाते हैं और सिविल डिफेंस के अन्दर क्या करना चाहिए, कुछ कुछ बातें सिखाते हैं। इस तरह से हमारे यहां पर ये दलपति ट्रेनिंग लेने के बाद राजस्थान के विभिन्न जिलों में, जिनके अंदर अजमेर

(श्री मथुरादास माथुर)

नंबर वन है, वालंटियर्स कोर बनाते है। टोटल फिगर्स रिपोर्ट में छपते हैं कि कुल राजस्थान में इस तरह के कोर की कितनी ट्रेनिंग हो चुकी है। परसोनेल पंचायतें चुनकर भेजती हैं, मैं मानता हूं कि इफिशियेंट नहीं होते हैं, कोर्स का पीरियड छोटा होता है। फिर भी अगर आप कहते हैं, कि एक भी आदमी ट्रेन्ड नहीं हुआ है तो यह निराधार है। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज फिगर्स दे सकते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या राज्य सरकार इस अवधि को पर्याप्त समझती है या और बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं कह चुका हूं। भारत सरकार को हम लिख चुके हैं और यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

श्री नाथूराम : विकास अधिकारियों ने क्या योगदान दिया है उसका जवाब नहीं दिया।

श्री मथुरादास मथुरा : योगदान का प्रश्न पैदा नहीं होता। वहां की जो पंचायतें हैं वह एक आदमी को चुनकर नोमीनेट करती हैं इस काम के लिए, वह आता है। पुलिस लाइन्स के डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग मिलने के बाद वापस अपने क्षेत्र में जाते हैं और वालंटियर कोर रेज करते हैं। आइडिया पहले था कि एक्स मिलिटरी परसोनेल भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए, लेकिन बहुत से लोग एक्स मिलिटरी परसोनेल में से नहीं आए, बहुत से अवेलेबल नहीं थे, इसलिए स्कीम जितनी कामयाब होनी चाहिए थी नहीं हुई।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

One by one please. I cannot answar all atonce.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बहुत से विकास अधिकारियों ने कोई सहायता नहीं दी, कोई सक्यूर्लर नहीं भेजा ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं इस तरह के जनरल स्वीपिंग रिमार्क्स मन्जूर नहीं कर सकता। बहुत से विकास अधिकारी हैं। आप कोई मुझे इन्डिवीजूअल केस बताएं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपके कहने के अनुसार जैसे आपने स्वीकार किया है कि वे लाठी चलाने की शिक्षा देते हैं, एकदम दलपति का कार्यक्रम नहीं सिखाते और खाली राइफल चलाना सिखाते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : लाठी ड्रिल का मैंने कहा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार कहती है कि हजारों वालंटियर्स ट्रेन्ड किए लेकिन यह बिल्कुल बोगस आंकड़े हैं। इस प्रकार से सदन को गुमराह करते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय आंकड़े दे रहे हैं, बोगस का क्या सवाल है ?

श्री मथुरादास माथुर : गुमराह तो आप हो रहे हैं, कभी पंचायतों में जाकर देखते नहीं।

श्री अध्यक्ष : ऐसी योजनाएं तो जनता के सहयोग से सफल हो सकती हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कार्यक्रम नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : कार्यक्रम छपा हुआ है। केरीक्यूलम है, प्रास्पेक्टस है।

श्री हरिप्रसाद : सिर्फ लेफ्ट राइट सिखाते हैं और फिर गांवों में जाकर दलपति ऐसे ही बैठे रहते हैं और इस प्रकार से आप जनता को गुमराह रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आंकड़े जोड़ कर बताइए।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री हरदत्तसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम : सिर्फ एक प्रश्न मेरा है।

श्री अध्यक्ष : बहुत प्रश्न हो चुके। श्री चतुर्भुज उपाध्याय !

मुआवजे की वसूली

८०३. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) [श्री विट्ठल (बांसवाड़ा-सु०) द्वारा पूछा गया] : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा के काश्तकारों के खेतों में पैदा होने वाले महुए का सरकार द्वारा मुआवजा वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(२) क्या यह सही है कि मुआवजा आमदनी के आधार पर वसूल किया जाता है? यदि नहीं तो कितने सालों की आमदनी पर और आमदनी तय करने का क्या आधार है?

उप-मंत्री, वन (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) जी हां। क्योंकि ये वृक्ष सरकार की सम्पत्ति हैं।

(२) जी नहीं। मुआवजा का क्लेम करने का आधार पेड़ में निकलने वाली टिम्बर व जलाऊ लकड़ी की कीमत पर आधारित होता है मुआवजे की रकम का आखिरी निर्णय सब डिवीजनल ऑफिसर द्वारा किया जाता है।

श्री विट्ठल : काश्तकारों के खेतों में जो महुए बरसों से लगे हुए हैं, तो जंगलात विभाग को क्या हक है कि उनका मुआवजा ले?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : राजस्थान टेनेन्सी एक्ट १९५५ की धारा ८० के अनुसार।

श्री विट्ठल : जो काश्तकार ये महुए अपने खेतों में वर्षों से बीनते आ रहे हैं उनके लिए काश्तकारों से मुआवजा लिया जा रहा है और १००–१०० १५०–१५० रुपए मुआवजा लिया जा रहा है। मामूली महुआ हो तो भी देना पड़ता है।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : यह जंगलात विभाग तय नहीं करता है।

श्री विट्ठल : वहां तो एक एक पेड़ का ५–५० १००–१०० १५०–१५० मुआवजा लेते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : महुए के पेड़ों के बारे में सरकार ने अब निर्णय लिया है। ये सदियों से काश्तकारों के हैं और एक दम अचानक रूप से सरकार का निर्णय लेना और ये पेड़ सरकार के घोषित करना, मेरे खयाल से तो अजीब निर्णय है।

श्री नाथूराम डूंगरपुर : और बांसवाड़ा जिलों में इन महुओं पर हजारों झगड़े हो रहे हैं। गवर्नमेंट इसके लिए मयाद बढ़ाएगी लेकिन उसमें संतोषजनक सूचना नहीं मिली और हजारों झगड़े हो रहे हैं।

श्री दलपतसिंह (आबू) : जब उनकी पार्सनल लैंड है और खातेदार हैं तो फिर महुओं का मुआवजा क्यों वसूल करते हैं ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : मैंने जैसे बताया, राजस्थान टेनेन्सी एक्ट १९५५ की धारा ८० के अनुसार।

श्री विट्ठल : उन लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है। आप तो धारा की बात कहते हैं। जब काश्तकार उस जमीन के हकदार हैं तो फिर आपको क्या हक है उनसे मुआवजा लेने का ?

वन-मंत्री (श्री भीखाभाई) : यह मामला गंभीर है। मैं देखकर बता सकता हूं कि इसमें क्या लीगल काम्प्लीकेशन्स हैं क्योंकि जहां तक बांसवाड़ा और झालावाड़ का सवाल है, मुझे जो जानकारी मिली है वह यह है कि उन राज्यों में पहले से ही जो महुए के पेड़ थे वे प्रोटेक्टेड ट्रीज थे और सरकार के माने जाते थे। दरअसल टिनेन्ट के खेत में होने पर भी ऐसा माना जाता था। अगर यह जानकारी सही है तो पहले व्यवस्था होनी चाहिए थी कि क्या उसके लीगल काम्प्लीकेशन्स हैं क्योंकि सेक्शन ८० टेनेन्सी एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान है क्योंकि जो बांसवाड़ा का सवाल आया वहां रेवेन्यू जंगलात के नाम ही दी जाती है। दरअसल होना यह नहीं चाहिए था क्योंकि इन्डिवीजूअल लैंडहोल्डर के खेत में है। मैं जानकारी करके संतोषजनक उत्तर दे सकता हूं कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है।

महाराल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि अगर ये पेड़ सरकारी घोषित किए या सरकारी माने गए तो इनके बीनने का अधिकार किसको था ?

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा–सु०) : यह झगड़ा मेरे क्षेत्र में भी है।

श्री नाथूराम : यह झगड़ा सब जगह है।

Page No. 15

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कह चुके हैं कि इन सारी बातों पर विचार करके बताएंगे कि क्या उसमें कानूनी स्थिति है, पहले क्या स्थिति थी, आइंदा क्या होना चाहिए, ऐसा आश्वासन दे चुके हैं।

श्री विट्ठल : जल्दी से जल्दी होना चाहिए नहीं तो....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय आश्वासन दे चुके हैं कि सारी बात की व्यवस्था करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। टाइम भी लग सकता है, जांच भी होगी।

श्री नाथूराम : मयाद निकल जाने से हजारों झगड़े खड़े होंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा नम्र निवेदन है कि इस संबंध में सरकार ने जो फैसला किया है वह आरबीट्ररी है, एकतरफा है। उभयपक्ष की जानकारी के बिना यह निर्णय किया गया है और इस निर्णय के द्वारा हजारों आदमियों में असंतोष व्याप्त हैं और जो व्यक्ति सदियों से जिस वृक्ष को अपनी पैत्रिक संपत्ति मानता है उसके लिए एकदम सरकार ने निर्णय लिया और ये वृक्ष सरकारी घोषित किये गए, तो यह आरबीट्रेरी निर्णय है, तृशंकु है, न आकाश में हैं न पाताल में है, बीच में लटकता हुआ निर्णय लगता है। जैसे मंत्री महोदय ने कहा इसमें कुछ न कुछ निर्णय तत्काल लें तब तो ठीक है नहीं तो असंतोष और बढ़ेगा।

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो विरोधी दल के नेता हैं उन्होंने जैसा फरमाया यह प्रिडिसेसर गवर्नमेन्ट के वक्त का नहीं है और राजस्थान सरकार ने नया अमलदरामद किया है। जहां तक मेरी जानकारी है, जैसा पहले मैंने निवेदन किया राजस्थान सरकार ने इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया। यह अमलदरामद पहले से वहां पर है। जैसा मैंने कहा डूंगरपुर में इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। महुए के फलदार वृक्ष अलग अलग रूप में लोगों के थे। जो झालावाड़ और बांसवाड़ा की स्थिति मिली है उसके आधार पर निवेदन किया था। मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में जल्दी से जल्दी विचार किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : झालावाड़ में नहीं थे।

श्री भीखाभाई : इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लीकेशन्स क्या हैं, उसकी जल्दी से जल्दी दो तीन आदमियों की कमेटी के द्वारा जांच कराके जो सेटिस्फेक्टरी निर्णय हो सकता है उसके बारे में निर्णय लिये जावेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह जब तक निर्णय न हो, यह वसूली स्थगित की जाय और किसी प्रकार की वसूली न की जाय ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : महुआ के परिणाम के बाद महुआ के लिए नीति परिवर्तित की।

प्रश्न संख्या ८०४

श्री अध्यक्ष- श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८०५

श्री हरदत्तसिंह

(अनुपस्थित)

श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

फोरेस्ट तथा रेवेन्यू सेटलमेन्ट

८०६. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय** (चित्तौड़गढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राज्य में सभी जंगलों का सेटलमेंट हो चुका है ? अगर नहीं, तो कितना क्षेत्र बाकी है ?

(२) कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां भूतपूर्व रियासतों के समय में किये गये सैटलमेंट को सरकार ने स्वीकृत किया है ?

(३) क्या सरकार उस समय में किये गये सैटलमेंट के आधार पर काश्तकारों और मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित समझती है ? अगर नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गई है ?

(४) क्या फोरेस्ट सैटलमेंट और रेवेन्यू सैटलमेंट का मिलान हो चुका है ? अगर नहीं, तो इस कारण से काश्तकारों को होने वाली तकलीफ दूर करने के लिए क्या व्यवस्था है ?

उप-मंत्री, वन : (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : जी नहीं। करीब ५०० वर्ग मील क्षेत्र का सैटलमेंट होना बाकी है।

(२) जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, नागौर, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, भीलवाड़ा अजमेर और जयपुर जिलों में भूतपूर्व रियासतों के समय में किये गये फोरेस्ट सैटलमेंट को राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है।

(३) जी हां।

(४) फोरेस्ट सैटलमेंट ऑफिसर रेवेन्यू के रिकार्ड को देख कर खातेदारी जमीन को अलग कर देता है। काश्तकारों को तकलीफ होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जुंझारसिंह (चेचट) : रेवेन्यू का रिकार्ड फोरेस्ट सैटलमेंट ऑफिसर कितने दिनों में देख लेता है ? क्या ऐसे केस आपके सामने नहीं हैं कि वर्षों तक, ६.८ वर्ष तक भी रेवेन्यू का रेकार्ड फोरेस्ट सैटलमेंट ऑफिसर के पास नहीं भेजा जाता है ?

श्री भवानीशंकर नंदावना : मैं इसकी जानकारी करूंगा और देखूंगा।

श्री जुंझारसिंह : मेरे एक प्रश्न के उत्तर में पहले भी यही आया था ऐसे सैकड़ों

(श्री जुझारसिंह)

एरियाज़ हैं जिन्हें रेवेन्यू ने अपने में कर लिया है और सेटलमेंट ने अपने में कर लिया है, डुप्लीकेशन है, सैकड़ों बीघा में हैं और उनका कोई निदान नहीं हो रहा है। इससे काश्तकार परेशान हैं।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : यदि कोई खास बात हो तो आप जानकारी में लावें।

श्री जुझारसिंह : स्पेसिफिक केसेज तो आपको दे देंगे लेकिन यह तो जनरल क्वश्चन है।

श्री अध्यक्ष : श्री उपाध्याय।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा लेकिन चित्तौड़ में स्थिति यह हो रही है कि फोरेस्ट बहुत करीब आ चुका है इस कारण से लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, इधर रेवेन्यू वाले कहते हैं हमारा है और उधर फोरेस्ट वाले कहते हैं हमारा एरिया है, कुआ खोदो तो उसको बुराने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : मैं इसकी जानकारी करके इस प्रकार की तकलीफ को दूर कराने की व्यवस्था करूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : (आसीन्द) : जहां जहां रेवेन्यू और फोरेस्ट सेटलमेंट की सीमाओं के झगड़े हैं उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाय।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : कर रहे हैं और करेंगे।

प्रश्न संख्या ८०७

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८०८

श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल

माचिस फैक्टरी, अलवर के मजदूरों को बकाया वेतन।

८०९ **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि अलवर माचिस फैक्टरी (अलवर माचिस इन्डस्ट्रीज लि० अलवर) की तरफ मजदूरों के बकाया वेतन की २१४७) रु० की डिग्री पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट के तहत १७.१०.५७ से पड़ी है?

(२) क्या यह सही है कि फैक्टरी का सामान भी नीलाम हो चुका है और किसी अन्य व्यक्ति को फैक्टरी अलॉट हो चुकी है?

(३) क्या यह सही है कि मजदूरों को अपने बकाया वेतन में से अभी तक कुछ भी नहीं मिला है?

(४) श्रम विभाग ने फैक्टरी से मजदूरों का बकाया वेतन दिलाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किये हैं और कब २ ?

(५) अब यह बकाया वेतन मजदूरों को कब तक मिल जावेगा ?

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) इसकी जानकारी नहीं है।

(३) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(४) शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न काफी अर्से से पेन्डिग था और अपने आप में जब यह प्रश्न दिया है यह भी एक शिकायत माननी चाहिये थी, उन्होंने माना है डिक्री पेन्डिग है, और वैसे मजदूरों से मालूम पड़ा है कि उन्होंने कई बार मिल कर. डिपार्टमेंट से यह कोशिश की है गवर्नमेन्ट के पास केस भिजाया था इस फैक्टरी की डी. आर. आई. के तहत मशीनरी को कुर्क कर लिया फिर भी मजदूरों को उनकी तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है। जब डिक्री अनसेटिस्फाइड पेन्डिग है तो डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ है कि वह उनको वेतन दिलाये।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैंने व्यक्तिगत रूप से कल ही जानकारी की है, मैं स्वयं अलवर गया था और यह पुराना मामला था इसकी जानकारी की और माननीय सदस्य से पूछा तो वे भी मुझे उतनी ही जानकारी दे सके जितनी मुझे थी। मैंने कोशिश की और जो डिक्री हुई पेमेन्ट ऑफ वैजेज ऑथोरिटी की, उसकी कापी कल ही ले आया हूँ। इस सम्बन्ध में सरकार के द्वारा या हमारे विभाग से जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी कराऊंगा। जहां तक मुझे जानकारी मिली है वह कम्पनी लिक्विडेशन में चली गई है और यदि माननीय सदस्य और उसके अलावा जानकारी देंगे तो कार्यवाही की जायगी।

श्री रामानंद अग्रवाल : लिक्विडेशन में चली गई है तो उसके असेट्स हैं उनमें से मजदूरों को वेतन मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

इवेल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट

८१०. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान में पंचायत समितियों के कार्यों का लेखा जोखा करने तथा कृषि की उपज बढ़ाने के लिये कितनी जिला परिषदों द्वारा इवेल्युएशन कमेटियां कायम की गई एवं योजनायें बनाई गई ? सूची परिषद् वार सदन की मेज पर रखें।

(२) कितनी इवेल्यूएशन कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) सदन की मेज पर रखी गई सूची में इसका भी उल्लेख कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह सूची बिल्कुल गलत है । मैंने इवेल्यूएशन कमेटियों का लेखा जोखा और कृषि उपज का लेखा जोखा दोनों का अलग अलग पूछा है । कृषि उपज की प्रतियोगिताओं के विषय में रिपोर्ट दे दी किन्तु जो इवेल्यूएशन कमेटियां कायम की गई हैं और पंचायत समितियों द्वारा काम कराया गया है उनका लेखा जोखा होना चाहिये वह इस रिपोर्ट में नहीं दिया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जितना प्रश्न में पूछा है उतना बता दिया है । इवेल्यूएशन कमेटियां मूल्यांकन करती हैं और योजना नहीं बनाती हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मूल्यांकन का ही प्रश्न है । बहुत सी समितियों में कन्स्ट्रक्शन वर्क अधूरे पड़े हुए हैं । इवेल्यूएशन कमेटियां बनायी जाती हैं । अक्सर पंचायत में ८०, ६० परसेन्ट कन्स्ट्रक्शन वर्क, डेवलप्मेंट के वर्क इन्कम्प्लीट हैं, उनके इन्कम्प्लीट रहते हुए भी दूसरी किश्त दे दी जाती है। मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है "राजस्थान में पंचायत समितियों के कार्यों का लेखा जोखा करने तथा कृषि की उपज बढ़ाने के लिए कितनी जिला परिषदों द्वारा इवेल्यूएशन कमेटियां कायम की गई हैं" मुझे कृषि की उपज बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रतियोगिताओं की सूची दे दी गई है और जो मैंने दोनों का उत्तर मांगा है उसको नहीं दिया है और उत्तर को इवेड किया गया है जो कि रीयल क्वश्चन है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जो पूछा है वह मैंने बता दिया है और अधिक जानकरी चाहिये तो आप बाद में मुझ से ले लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो कार्यों के लेखे जोखे की बात जानना चाहता हूँ ।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : लेखे जोखे के लिये इवेल्यूएशन कमेटियां बनायी हैं या नहीं इसका जवाब मैंने आपको दे दिया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कार्य कम्प्लीट होने चाहिये । मैं यह जानता चाहता हूँ कि जितनी जिला परिषदें हैं उनमें इवेल्यूएशन कमेटियां कायम कीं और पंचायत समितियों ने अपनी रिपोर्ट पेश की डेवलप्मेन्ट वर्क, कन्स्ट्रक्शन वर्क और कृषि के सम्बन्ध में। आपने कृषि की उपज के सम्बन्ध में मुझे प्रतियोगिताओं की सूची दे दी लेकिन इवेल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट कोई नहीं दी।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : क्या चित्तौड़ में जिला परिषद ने कोई इवेल्यूएशन कमेटी बनाई है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : जी हां।

श्री मानिकचंद सुराणा : उसको कितनी बार जिला परिषद् में कन्सीडर किया गया ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : समय समय पर की जाती है आवश्यकतानुसार।

श्री मानिकचंद सुराणा : मेरा स्पेसिफिक क्वश्चन है कितनी बार कन्सीडर की गई ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : यह अलग प्रश्न है।

श्री मानिकचंद सुराणा : आप जिला प्रमुख भी हैं। आपने रिपोर्ट पढ़ी है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : पढ़ी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कृषि प्रतियोगिता में भी २६ जिले हैं जिनमें से ८ ऐसे जिले हैं जिनकी सूची नहीं आई है ? और मेरा ख्याल है कि कइयों ने तो इवेल्यूएशन कमेटी फ्रेम ही नहीं की और उन्हें इसकी कोई जानकारी ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी।

सरपंचों के रिक्त स्थान

८११. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (तावां) : क्या पंचायत एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सत्य है कि सरपंच बूड़सू, सरपंच भीयाकली, सरपंच खेड़ी व उप सरपंच चौड़ी के स्थान धारा १८, राजस्थान पंचायत एक्ट १९५३ के अनुसार रिक्त घोषित किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सत्य है कि अभी तक इनसे पंचायत का चार्ज नहीं लिया गया एवं पंचायत व पंचायत समिति की बैठकों में बराबर भाग ले रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) उक्त व्यक्तियों ने पंचायत एवं पंचायत समिति की किन किन बैठकों में कब कब स्थान रिक्त घोषित होने के बावजूद भी भाग लिया ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। दिनांक १५ नवम्बर एवं २९ नवम्बर, १९६२ को।

(२) जी हां। इनसे चार्ज न लेने बाबत रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी जोधपुर ने स्थगन, आदेश जारी कर दिया था।

(३) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री हनुमानसिंह चौधरी : रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी को अपील किसने की ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सरकार ने इनकी अपील को रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी को भेजा।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : सरकार को पावर्स हैं क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सरकार उसको नहीं सुन सकती थी इसीलिए तो रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी को भेजा है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : गजट नोटिफिकेशन हो गया है तो ओटोमेटीकली

(श्री हनुमानसिंह चौधरी)

कलेक्टर को हो जाता है। सरकार के पास प्रावधान रखा था।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : स्थगन आदेश से ही मामला रोका है वरना चार्ज दिला दिया जाता।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : स्थगन प्रस्ताव तो काफी अर्से के बाद आया था। कलेक्टर नागौर द्वारा कर दिया गया था फिर भी चार्ज नहीं लिया इसका क्या कारण हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : चार्ज दिलानेकी कार्यवाही हो रही थी कि स्थगन आदेश आ गया।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : आज तक लोग सरपंच और पंच की जगह काम कर रहे हैं पंचायत व पंचायत समिति की बैठक में भाग ले रहे हैं यह जो अवैधानिक कार्यवाही हो रही है उसको रोकने के लिये आप क्या कार्यवाही फरमा रहे हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : स्थगन आदेश है, तब तक हम क्या कर सकते हैं ?

श्री हनुमानसिंह चौधरी : रेवेन्यु अपीलेट ऑथोरिटी से क्या निर्णय हुआ, इसकी जानकारी है क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मानिकचन्द सुराणा।

बिजली के टेम्परेरी कनेक्शन्स, बीकानेर

८१२. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या विद्युत, मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) बीकानेर शहर में बिजली के कितने टेम्परेरी कनेक्शन्स हैं ?

(२) उक्त टेम्परेरी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं से कितने पैसे प्रति यूनिट चार्ज किया जा रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि कानून के प्रावधान के अनुसार ६० दिन के बाद प्रत्येक टेम्परेरी कनेक्शन्स अपने आप परमानेन्ट हो जाता है ? यदि हां, तो बीकानेर में ऐसे कितने टेम्परेरी कनेक्शन्स हैं जिनको ६० दिन से अधिक होगये हैं और फिर भी वे टेम्परेरी हैं ? इस अनियमितता का क्या कारण है ?

उप मन्त्री, विद्युत, (श्री चन्दनमल वैद) (१) बीकानेर में लगभग १२०० अस्थायी कनेक्शन्स हैं।

(२) ५० नये पैसे प्रति यूनिट की दर से।

(३) टेम्परेरी कनेक्शन्स प्रायः विशेष आवश्यकतानुसार थोड़े समय के लिये ही दिये जाते हैं। नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन्स अनिश्चित काल तक चालू नहीं रहने चाहिये बीकानेर में ६० दिन से अधिक के कितने टेम्परेरी कनेक्शन्स हैं उसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। यदि कोई टेक्नीकल असुविधा सामान

(श्री माणकचन्द सुराणा)

के उपलब्ध होने की कठनाई आदि न हो तो साधारणतया स्थायी कनेक्शन्स ही दिये जाते हैं। प्रत्येक केस की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये बोर्ड ने चीफ इन्जीनियर को लिख दिया है।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : इस प्रश्न के भाग तीन में जो यह पूछा गया है कि क्या यह सही है कि कानून के प्रावधान के अनुसार ६० दिन के बाद प्रत्येक टेम्परेरी कनेक्शन अपने आप पर्मानेन्ट हो जाता है ? इसका स्पष्ट जवाब चाहता हूं।

चन्दनमल वैद :६० दिन के बाद टेम्परेरी कनेक्शन जारी नहीं रहने चाहिये यह सही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा:६० दिन के बाद नहीं रहने चाहिये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है, ६० दिन के बाद अपने आप में वह कनेक्शन परमानेन्ट कनेक्शन हो जाता है। लेकिन यह विभाग उनसे भी आठ आना यूनिट चार्ज करता है जो गैर कानूनी है ?

श्री चन्दनमल वैद : आप तो भाषण देने लग गये, आप एक एक सवाल पूछिये आप एक साथ इतने सवाल पूछ लेंगे तो मेरी मरजी आयगी उसका जवाब दूंगा। इस लिये आप एक एक सवाल पूछिये।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : प्रश्न को आप समझिये, १२०० ही टेम्परेरी कनेक्शन्स नहीं हो सकते। मेरा यह सवाल है कि ऐसे कितने कनेक्शन्स हैं जिनको ६० दिन से ऊपर का समय हो चुका है उसकी सूचना आपके पास उपलब्ध नहीं है ऐसी हालत में इसको पोस्टपोन कर दिया जाय। अगर १२०० में से ८०० या ६०० भी परमानेन्ट किये जाते हैं तो उनकी रेट्स रिड्यूस होगी। इस बारे में आप विभाग से जानकारी कर लें तब तक यह पोस्टपोन माना जाय।

श्री **चन्दनमल वैद** :६० दिन के ऊपर कितने टेम्परेरी कनेक्शन हैं इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन जितने टेम्परेरी कनेक्शन्स हैं उनकी सूचना प्राप्त हुई है उनकी संख्या १२०० है।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : यह इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रावधान नहीं है क्या कि ६० दिन कनेक्शन के होजाने के बाद वह अपने आप परमानेन्ट हो जाता है ?

श्री **चन्दनमल वैद** : ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं है कि ६० दिन के बाद सुओ मोटो (Suo Moto) अपने आप कनेक्शन परमानेन्ट हो जाय। यदि आप मुझे इस प्रकार का प्रावधान बता दें तो उसके अनुसार अवश्य कार्यवाही की जायगी।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : इसकी तो माननीय मन्त्री महोदय, को जानकारी करके आना चाहिये।

श्री **चन्दनमल वैद** : इसकी जानकारी की है जो सूचना चीफ इन्जीनियर ने दी है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने दी है उसके अनुसार कानून में इस प्रकार का कोई प्राव-

(श्री चन्दनमल वैद)

धान नहीं है कि ६० दिन के बाद मुओ मोटो कनेक्शन परमानेन्ट हो जाय।

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : इस प्रकार का प्रावधान है क्या कि तीन महिने के बाद टेम्परेरी कनेक्शन जो होंगे वे काट दिये जायेंगे ?

श्री **चन्दनमल वैद** :जो प्रावधान है उसको मैं उत्तर में निवेदन कर चुका हूं। ६० दिन के बाद टेम्परेरी कनेक्शन जारी नहीं रहने चाहिये।

श्री **मुरलीधर व्यास** : जो कनेक्शन तीन महिने से ऊपर के हो चुके उनको कौनसा कनेक्शन माना जायगा ?

श्री **चन्दनमल वैद** : इसके बाद के जो कनेक्शन हैं उनको नियमानुसार रेगुलेराइज कर दिया जाय यह आदेश दे दिये है जो परमानेन्ट लेना चाहें उनको परमानेन्ट कर दिया जाय और जो न लेना चाहें उनके काट दिये जायें।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र हैं जिन्होंने टेम्परेरी कनेक्शन के लिए लिखा है और जिनको ६० दिन से अधिक हो गये हैं और जिनको परमानेन्ट करने के लिये लिखा है ?

चन्दनमल वैद : ६० दिन के बाद के जितने भी कनेक्शन हैं वे यदि परमानेन्ट लेना चाहेंगे तो उनको परमानेन्ट किया जायगा और जो परमानेन्ट नहीं लेना चाहेंगे उनको डिसकनेक्ट कर दिया जायगा।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : ऐसी दरख्वास्तें साल दो साल और तीन तीन साल की पड़ी हुई हैं उनके अभी तक टेम्परेरी कनेक्शन्स चल रहे हैं ?

श्री **मुरलीधर व्यास** : सात सात साल की अर्जियां पड़ी हुई हैं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं, जैसा कि अभी माननीय मन्त्री ने कहा कि ६० दिन से अधिक के कितने कनेक्शन्स हैं इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब उत्तर प्राप्त करने के लिये १५ दिन का समय दिया जाता है, वैसी हालत में जब कि यह प्रश्न केवल एक शहर से संबन्धित है जिसमें यह पूछा गया है कितने कनेक्शन्स ऐसे हैं जिनको ६० दिन से अधिक समय होगया है उसकी दरख्वास्तें कितनी हैं यह जानकारी इतने समय में नहीं हो सकी यह एक प्रकार का कंटेम्पचुअस एटीट्यूड है सदन के प्रति। ऐसी हालत में मैं आपसे यह चाहूंगा कि इस प्रकार के गवर्नमेन्ट के एटीट्यूड को रोका जाय। रिजनेबल टाइम होते हुए भी सूचना नहीं आती है इसके लिये आपकी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री **मथुरादास माथुर** (योजना मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं, सरकार इस बात की पूरी कोशिश करती है कि सदन के सामने प्रश्नों के उत्तर जल्दी से जल्दी रखे जाय। कुछ संस्थायें ऐसी हैं जैसे हाई कोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, युनिवर्सिटी जो आटोनोमस बोडीज हैं जिनकी मार्फत हमें डेटाज कलेक्ट करना पड़ता

(श्री मथुरादास माथुर)

है, उसमें ऐसा भी हो जाता है कि वहां से वह सूचना हमें समय पर प्राप्त न हो उस समय हमारी मजबूरी हो जाती है। हमारी कभी यह इच्छा नहीं रहती कि हम इस प्रकार का कन्टेंप्च्युअस कार्य करें। इस सदन के अन्दर जितने भी क्वश्चन्स आये हैं उनमें से ९९ प्रतिशत और इससे भी ज्यादा के उत्तर दिये गये हैं। हम सदन के प्रति एवं सम्माननीय सदस्यों के प्रति बहुत इज्जत रखते हैं। जब हमारे पास उत्तर ही प्राप्त न हों वैसी हालत में हमारी मजबूरी हो जाती है। जिन पर हमारा डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनको तो हम फोन द्वारा भी हिदायत कर सकते हैं। जहां हमारा डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है वहां से उत्तर पाने के लिये हमें समय देना पड़ता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ कि ओटोनोमस बोडीज आपको कोआपरेट नहीं करती है उनका सदन के प्रति कन्टेम्प्च्युअस एटीट्यूड रहता है ?

श्री अध्यक्ष: जहां तक डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है उसके लिये जो भी प्रश्न आते हैं उसका जवाब दिया जाता है। लेकिन ऐसे प्रश्न जिनका सीधा संबन्ध सरकार से नहीं है जो ओटोनोमस बोडीज हैं जिनके लिये माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा कि जो कनेक्शन्स टेम्परेरी हैं और जो परमानेन्ट कराना चाहेंगे उनको कर दिया जायगा और जो नहीं चाहेंगे उनको डिस कनेक्ट किया जायगा ऐसी स्थिति में यह कहना कि कन्टेम्प्च्युअस एटीट्यूड है यह उचित नहीं है। ऐसा हो सकता है जो ओटोनोमस बोडीज हैं, जिनका सीधा संबन्ध सरकार से नहीं है फिर भी मंत्री महोदय के पास ऐसे प्रश्न भेजे जाते हैं और उनके उत्तर दिये जाते हैं। सामान्यतया उनके पास जाने नहीं चाहिये। लेकिन यह इसलिये कि उनके पास जो भी इस संबन्ध में जानकारी हो वे माननीय सदस्यों को उपलब्ध करें। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आ पाता है तो उसके लिये समय मांग लेते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिजली घर में कन्जूमर की लिस्ट रहती है और एक ही रजिस्टर में रहती है। उन सब के नाम एक ही रजिस्टर में एन्टर रहते हैं एक दिन के अन्दर सूचना आ सकती है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर चुका हूं कि डिपार्टमेन्ट से तो हम डायरेक्ट टेलीफोन से भी सूचना मांग सकते हैं लेकिन जो ओटोनोमस बोडीज हैं जिनके चेयरमेन होते हैं, वाइस चान्सलर होते हैं उनके थ्रू सूचना आती है वे मांगकर हमें भेजते हैं। जो इनकी ओटोनोमी है उसको मेन्टेन करना पड़ता है। उसमें समय लग जाता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

एक्सपर्ट कमेटी

७८८. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान श्रम सलाहकार समिति के समक्ष फरवरी १९६४ में ५ रू० मंहगाई बढ़ोतरी की घोषणा की है एवं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्डेक्स

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

के अनुरूप मंहगाई भत्ते की राशि निश्चित करने के लिये एक्सपर्ट कमेटी भी कायम की है। इस कमेटी के अन्य टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या हैं तथा कब तक वह अपनी रिपोर्ट दे देगी ?

उप-मंत्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : जी हां राज्य सरकार ने श्रम कानूनों के अन्तर्गत आने वाले राजकीय उद्योगों के कर्मचारियों के लिये सिवाय उनके जो वेज बोर्ड की सिफारिशों से प्रभावित हैं, ५ रू.माहवार की अन्तरिम वृद्धि १ फरवरी, ६४ से की है तथा मंहगाई भत्ते को कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्डेक्स के साथ कैसे जोड़ा जाय, इसके लिये एक्सपर्ट कमेटी का निर्माण किया है। इस कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेन्स सदन की मेज पर रख दिये गये हैं। इस कमेटी को इसकी नियुक्ति के तीन माह के भीतर २ रिपोर्ट देने को कहा गया है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

देहात आवास योजना

७६०. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) तृतीय योजना में देहात आवास योजना (रूरल हाउसिंग स्कीम) के वास्ते कितनी धन राशि केन्द्र से मिलनी थी और उसमें से अभी तक कितनी ली जा चुकी है ?

(२) क्या यह सही है कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को हाउस साइट्स के लिये तथा ग्रामों में प्रकाश आदि की व्यवस्था के लिये केन्द्रीय सरकार ने शत प्रतिशत अनुदान देने के लिये राज्य सरकार से कहा है ? यदि हां, तो फिर इस दृष्टि से कितना रुपया लिया गया और कहां कहां पर दिया गया ?

(३) रूल हाउसिंग स्कीम की दृष्टि से अभी तक की उपलब्धि कितने प्रतिशत है ?

उप मन्त्री, विकास, (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) (१) तृतीय पंचवर्षीय योजना में १२२.५० लाख (एक करोड़ साढे बाईस लाख।) रुपया की धनराशि मिलनी थी। उसमें से अभी तक ३३.१४ लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

(२) भूमिहीन कृषि मजदूरों को मकान बनाने के लिये जमीन की कीमत का ७५ से ८० प्रतिशत अनुदान के रूप में देने का सुझाव है। प्रकाश की व्यवस्था के लिये ऐसा कोई सुझाव नहीं है। इसके लिये कोई रुपया केन्द्र से नहीं लिया गया और न कहीं दिया गया।

(३) लक्ष्य के मुकाबले में उपलब्धि २५ प्रतिशत रही है।

(३) **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : इन विगत तीन वर्षों में रूरल हाउसिंग स्कीम के तहत आपको कितना रुपया मिलना चाहिये था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ३३ लाख १४ हजार की राशि प्राप्त हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितनी प्राप्त होनी थी, यह पूछ रहा हूं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : प्राप्त होने में तो राज्य सरकार जितनी रकम दे उतना ही लोन भारत सरकार से मिलता है। अब राज्य सरकार अर्थाभाव से इससे अधिक कन्टीब्यूट नहीं कर सकती थी, इसलिये अधिक नहीं मिल सका भारत सरकार से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस ३३.१४ लाख में से कितना रुपया आपने इस स्कीम में खर्च किया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह सारी रकम खर्च हो चुकी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सारी रकम खर्च हो चुकी है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतने का ही लक्ष्य था खर्च करने का ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : लक्ष्य तो ज्यादा का था। मैंने कहा न कि उसकी २५ प्रतिशत ही पूर्ति हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतना कम कैसे हुआ ? यह शार्टफाल क्यों रहा ? ७५ प्रतिशत यह शार्टफाल है। सरकार रूरल हाउसिंग स्कीम के प्रति इतनी उदासीन क्यों है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कृषि को प्राथमिकता देने के कारण इसकी सीलिंग कम कर दी गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को लिखा कि रूरल हाउसिंग स्कीम के तहत the States should draw 100% grant for house sites for landless labourers and for street lighting in the villages ? स्ट्रीट लाइट के लिये सेन्ट परसेन्ट वह सब्सिडी देने को तैयार है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री भीखा भाई) : जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने उस समय भी बजट के आंकड़े देते हुए निवेदन किया था कि Out of 12.7 crores only 2.9 crores were utilised. i.e. about 25% only.

यह कुल टोटल एलोकेशन था १२.७ करोड़ का। तो निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस बात के बारे में और कन्फर्मेशन कर लें कि आया भारत सरकार ने इसके लिये सेन्ट परसेन्ट की बात लिखी है या नहीं।

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : मैं गलतफहमी दूर कर दूं। This is within the Plan ceiling itself. Therefore, when our hands are already full we are not able to take advanntage of this.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : प्रश्न यह है कि इसको इम्प्रूव क्यों नहीं किया ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : प्रश्न यह नहीं है, यह किया गया है कि रुपया भारत सरकार से उठाकर फायदा क्यों नहीं उठाया गया। तो यह जरूर हमें एट्रेक्शन

Page No. 27

लगता है कि सबसिडी मिलती है, ओटो सीलिंग होता है उस टोटल सीलिंग से, पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरे फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको प्रायोरिटी देनी होती है और इसके लिये उनको कर्व नहीं कर सकते।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इसको अन् इम्पोर्टेन्ट समझते हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : दूसरे इम्पोर्टेन्ट सेक्टर होते है, प्रोडक्शन है और हैं और उनके लिये हमारा कोटा टाइट अप होता है। उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। उनको प्रायरिटी देनी होती हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : रूरल हाउसिंग स्कीम रूरल सैक्टर में आता है। पिछले दो वर्षों में भरत सरकार ने कृषि के एक्सीलेरेटेड प्रोगराम में २।। करोड़ की सहायता दी हैं और उसके तहत रूरल हाउसिंग स्कीम आती है।

श्री मथुरादास माथुर: जो एग्जीलेरेटेड सहायता दी है, हमारे प्रोडक्शन प्रोग्राम में दी है और डाइरेक्शन्स भी उनके इसी तरह के आते है। मैं इस मुद्दे पर आगे डिसकस जब करूंगा तब विस्तार से सदन को इसके बारे में जानकारी व सूचना दूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : लाइफ इन्स्योरेन्स कारपोरेशन से लोन लेने का भी क्या सरकार विचार रखती हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : वह है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : टोटल प्लान में इसको भी निकाल देते। जैसे अरबन हाउसिंग का हैं।

श्री मथुरादास माथुर : रूरल हाउसिंग अलग है। Urban housing is a separate sector वह सीलिंग में है।

श्री मोतीलाल चौधरी : अर्बन का तो सेन्ट परसेन्ट लिया गया है।

श्री मथुरादास माथुर : वह सेन्ट परसेन्ट लोन है इसलिये ले लिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

लाइफ इन्स्योरेन्स कोरपोरेशन के कर्मचारी और राजस्थान शोप एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट

७६२. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान शॉप एण्ड कामर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट, १६५६ को लाइफ इन्श्योरन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों पर लागू नहीं किया है ?

(२) क्या यह सही है कि इस एक्ट के इन कर्मचारियों पर लागू न होने के कारण इन कर्मचारियों से ६ घन्टे से भी अधिक काम लिया जाता है और कितनी ही असुविधएं हैं जो इस एक्ट के लागू होने से दूर हो सकती थी ?

(३) क्या लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के यूनियन ने इस कानून को लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन पर भी लागू करने की मांग की है ?

Page No. 28

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(४) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या विचार किया है ? क्या सरकार उक्त एक्ट को लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन पर लागू करने का विचार कर रही है ?

उप-मंत्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) ऐसी शिकायत नोर्दर्न जोन इन्श्योरेन्स एम्पलाईज़ एसोसियेशन, अजमेर ने भी की है। मगर सीनियर डिविज़नल मैनेजर लाइफ इन्श्योरेन्स कॉरपोरेशन ने इसको बिलकुल गलत बताया है।

कितनी सुविधायें इस एक्ट के लागू होने से मिल सकती हैं, इसकी जांच की जा रही है।

(३) जी हां।

(४) इस एक्ट को कारपोरेशन पर लागू करने का मामला विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस प्रकार का एग्जम्पशन दूसरी स्टेटों में खास तौर पर बम्बई में नहीं हैं, क्या इसकी सरकार ने जानकारी की है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : की जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह प्रश्न पहले भी आया था और उस पर आश्वासन दिया था माननीय मन्त्री महोदय ने कि लाइफ इश्न्योरेन्स कारपोरेशन के मैनेजमेन्ट को और उसके एम्पलोयीज को बुलाकर एक कान्फ्रैन्स में इस मामले को तय किया जावेगा। कर्मचारियों ने अपना रिप्रेजेन्टेशन भी दिया है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लाइफ इन्स्योरेन्स कारपोरेशन पर यह एक्ट लागू कर दिया जावे तो इन तमाम लेबर लॉज की उनको सुविधाएं मिल जावेंगी, एक इन्डिपेन्डेन्ट फोरम मिल जाता है लेबर विभाग को हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है। तो इससे एम्पलोयीज को रेमिडीज मिल जाती है। तो इसमें सरकार को दिक्कत क्या है ? जबकि एम्पलोयीज बार बार मांग करते है तो सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कोई आपत्ति नहीं है। सरकार लागू करने जा रही है और सरकार इसे लागू करेगी।

जिला व सत्र न्यायाधीश, झूंझनू की अदालत में गबन

७६३. **श्री मानिक चन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या झुंझनू जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में कोई गबन हाल ही में सामने आया है ? अगर हां, तो कुल कितनी रकम का ?

(२) वह गबन कुल कितने आइटम्स का है व कब से कब तक के दरमियान का है ?

(३) जनरल रूल्स (सिविल) सन् १६५२ के प्रावधान (१) रूल २६७, २६८, २६६, २७२, २७३, २७७, २७८, २७६, २८२,

Page No. 29

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

२८४, २८५, २८६, २९२, २९३, ३०३, ६०६, ६०८, ६०९ का उल्लंघन इस गबन के सिलसिले में हुआ या नहीं ? अगर हुआ, तो क्या झुंझनू के तत्कालीन जिला व सत्र न्यायाधीश व सिविल जज भी इनके उल्लंघन के लिये जिम्मेवार हैं ? और अगर हैं तो किस हद तक ? इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ? क्या सरकार भी कोई कदम उठाने की बात सोचती है ?

विधि मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी हां, झुंझनू जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में १९७९२)५० का गबन का मामला सामने आया है।

(२) यह गबन १५ आइटम का है। इसकी अवधि १४-१२-६१ से २१-५-६३ तक की है।

(३) अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच का कार्य अभी तक चल रहा है। ऐसी दशा में निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि जो नियम प्रश्न में उल्लिखित हैं उनमें से किसकिस की उपेक्षा समस्त अधिकारियों अथवा उनमें से किसी के द्वारा की गई है और इन नियमों के उल्लंघन के लिये कौन अधिकारी किस हद तक उत्तरदायी है।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : यह विभागीय जांच पुलिस का विभाग कर रहा है या हाई कोर्ट।

श्री **मथुरादास माथुर** : हाई कोर्ट भी कर रहा है, और पुलिस विभाग भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। The Cashier Shri Hari Singh has been removed, Shri Bashir-ud-din has been dismissed from service and Murari Lal is under suspension. Police investigation is going on in all the cases. A challan has also been presented against Shri Hari Singh, Cashier and departmental enquiry against officers is stiil going on.

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलियाराम।

(अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मजलिसखां।

(अनुपस्थित)

श्री रामाकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पतिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित)

श्री रामाकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

विद्युत् उत्पादन पर व्यय

८०४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

राज्य में जल विद्युत् उत्पादन का व्यय प्रति यूनिट कितना आता है ? यह खर्च अन्य प्रान्तों में पैदा होने वाली जल विद्युत् से अधिक है या कम ? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रक्खें।

उप मन्त्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) : राजस्थान में जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता इसलिये उत्पादन दर के तुलनात्मक विवरण का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : राज्य के बजट पर खर्चा पड़ता है इसका, चम्बल और भाखरा का, यह किस दर से पड़ता है ? यही इस में पूछा गया है। सरकार प्रश्न का उत्तर इवेड करती है।

श्री चन्दनमल वैद : यह इवेड का सवाल नहीं है। यहां जल विद्युत का उत्पादन शुरू ही नहीं हुआ है। हो जावेगा, तब बता देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : वह चम्बल और भाखरा में होता है। इसी से हमारा मतलब था और वही बिजली हमारे यहां आती है ? और क्या समझे आप ?

श्री चन्दनमल वैद : यही अगर आप लिख देते तो उत्तर में हमें सुविधा होती।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो माननीय उप मन्त्री महोदय की समझदारी का प्रश्न है, इसका जवाब अध्यक्ष महोदय, आना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अर्थ संकट के साथ साथ ऐसा लगता है सरकार के मन्त्रियों में बुद्धि संकट भी है।

श्री चन्दनमल वैद : डांगे के मामले में हमारी आप से हमदर्दी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : डांगे से आपको ज्यादा हमदर्दी है क्योंकि वह नेहरू जी को बचाता है। अध्यक्ष महोदय, इस क्वेश्चन को पोस्टपोन कराया जावे और इसका उत्तर बाद में दिलाया जावे। इसका स्पष्ट मतलब भाखरा और चम्बल से है। एक हफ्ता या दस दिन में इसका जवाब दिलवाया जावे।

श्री चन्दनमल वैद : आप Short Notice question के जरिये दूसरा प्रश्न पूछ लीजिये। जवाब दे देंगे, इसके जरिये तो यह प्रश्न आता नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : राज्यों में जिन योजनाओं के द्वारा बिजली मिलती है और जिस पर आपका पैसा खर्च हुआ है वह आपको मिलती है वह किस भाव आपको पड़ी है, यह जानने के लिये प्रश्न किया है।

(६.०० म० पू०)

श्री चन्दनमल वैद : आप जो भावना व्यक्त कर रहे हैं वह मेरे पास आई नहीं है आपने पूछा है कि राज्य में जल विद्युत् उत्पादन का व्यय प्रति यूनिट कितना आता है ? राज्य में जल विद्युत् उत्पादन होता ही नहीं है इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : राज्य में ही तो होगा। राज्य को जो बिजली मिलती है वह किस रेट पर मिलती है। वह चाहे कहीं से भी मिलती हो वह खर्चा कितना पड़ता है ?

Page No. 31

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह प्रश्न तो उप-मन्त्री जी से नहीं पूछा है इसलिए विद्युत् मन्त्री जवाब दें, उप-मन्त्री जी क्यों देते है ।

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : Anybody can answer on behalf of Government. Even I can answer.

श्री मानिकचन्द सुराणा : फिर यह समझ में क्यों नहीं आता कि यह किस प्रश्न से सम्बन्धित है ।

श्री मथुरादास माथुर : We will interpret according to the language of the question.

श्री मानिकचन्द सुराणा : We are also interpreting according to the language of the question. The question has been asked from the Minister.

उम-मन्त्री जी से नहीं पूछा है मन्त्री जी से पूछा है ।

श्री मथुरादास माथुर : यह व्यवस्था सदन में हो चुकी है हाउस ऑफ कामन्स में भी है और पार्लियामेन्ट में भी है anyone from the Government side can reply to the questien.

श्री रामानन्द अग्रवाल : We will seek the intervention of the Chair that Treasury Benches should not try to evade the question on flimsy grounds.

श्री अध्यक्ष : They are trying to score a legal point as Members also do sometimes.

प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक प्रश्न रह गया है ।

श्री अध्यक्ष : कई रह गये हैं ।

अल्पकाल सूचना प्रश्न

हाई टेक प्रेसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर

२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजकीय उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या यह सही है कि धौलपुर में एक कांच का कारखाना हाई–टेक–प्रिसेशन ग्लास लि० सरकारी सहयोग से खोला गया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार के इसमें कितने मूल्य के शेयर्स हैं ?

(२) अभी तक कितना रुपया दिया जा चुका है ?

(३) क्या यह सही है कि अन्य शेयर होल्डर्स ने अपने हिस्से की पूंजी अदा नहीं की है ? यदि हां, तो किस किस ने और कितनी कितनी ?

(४) इस कम्पनी के कितने शेयर होल्डर्स हैं और हर एक ने कितने रुपये के शेयर्स खरीदे हैं और उस पेटे कितना रुपया जमा होना चाहिये था और कितना जमा हुआ है ?

(५) इस कम्पनी में कौन कौन सा माल तैयार करने का इरादा है ? मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन एण्ड प्रोसपेक्टस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(६) क्या यह सही है कि इस प्रकार की कम्पनी भरतपुर में खोलने का सुझाव ग्लास प्रोजेक्ट कमेटी जो राज्य सरकार ने जुलाई सन् ५६ में नियुक्त की थी, ने दिया था ? यदि हां, तो फिर धौलपुर में यह फैक्टरी क्यों खोली गई ?

(७) क्या यह सही है कि इस फैक्टरी के लिये जर्मनी की तीन फर्म्स का सहयोग प्राप्त होना था जो नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों और यदि प्राप्त हुआ है, तो किस रूप में ? एग्रीमेन्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(८) इस कारखाने के डाइरेक्टर्स कौन हैं और उनके कितने कितने के शेयर्स हैं ?

राजकीय उद्योग मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी हां, राज्य सरकार के इस कम्पनी में ५,१०,००० मूल्य के शेयर्स हैं ।

सतीशचन्द्र अग्रवाल : धीरे धीरे ।

मथुरादास माथुर : बहुत तसल्ली से ।

(२) राज्य सरकार द्वारा अभी तक ३,८२, ५००) रु० दिया जा चुका है ।

(३) पूर्णतया सही नहीं है । केवल निम्न लिखित दो शेयर होल्डर्स ने सैकिण्ड काल मनी अभी तक नहीं चुकाई है :

१. श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल	२,५००
२. श्री तारचन्द अग्रवाल	२५

(४) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(५) इसका विवरण कम्पनी के मेमोरेन्डम ऑफ एसोसियेन की धारा ३ (ए) में दिया हुआ है । मेमो तथा आर्टिकिल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । प्रासपेक्टस अभी जारी नहीं किया गया है ।

(६) जी हां, धौलपुर भरतपुर जिले में ही स्थित है । वहां पर टेक्नीकल लेबर सुविधा से उपलब्ध था । इसके अतिरिक्त किसी उद्योग का एक स्थान पर स्थिरीकरण प्रायः लाभप्रद ही रहता है । धौलपुर में ऐसा कारखाना खोले जाने में कोई विशेष आपत्ति भी नहीं थी । अतः कारखाना धौलपुर में खोला गया ।

(७) इस फैक्टरी के लिए जर्मनी की जिन फर्मों का सहयोग होना था उसके लिए भारत सरकार को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, तथा उसे कार्यान्वित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(८) कम्पनी के डाइरेक्टर्स तथा उनके शेयर्स का विवरण निम्नानुसार है ।

नाम	शेयर्स का मूल्य
श्री ए. के. राय	५,०६,६००
श्री टी. एन. चतुर्वेदी	१०
श्री एम. एल. माथुर	१०
श्री एस. के. अग्रवाल	१०,०००
श्री बी. के. खेतान	१००

(प्रश्न के भाग ४ से संबंधित तलिका के लिये कृपया परिशिष्ट ४ देखिये। भाग ५ से सम्बन्धित प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने शेयर होल्डर्स इस कम्पनी में ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना कॉल मनी पूरा दे दिया ?

श्री मथुरादास माथुर : इन दो के अलावा सब ने।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: गवर्नमेन्ट के अलावा दो को छोड़ कर कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने दे दिया ?

श्री मथुरादास माथुर : और हैं ही नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो बाकी ने नहीं दिया, मतलब ?

श्री मथुरादास माथुर : और शेयर होल्डर्स ही नहीं हैं। दो तो प्राईवेट है। उन्होंने ५० परसेन्ट दे दिया। सेकिण्ड कॉल मनी नहीं दिया उसका मैंने जवाब दे दिया बाकी गवर्नमेन्ट के शेयर्स हैं। गवर्नमेन्ट ने कितना पेमेन्ट किया वह जवाब दे दिया। टोटल बता दिया, मेमो तथा आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन की कॉपी दे दी और प्रोस्पेक्टस अभी निकाला नहीं है जो जल्दी ही निकल जायेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि कम्पनीज़ एक्ट के तहत प्रोस्पेक्टस निकालना जरूरी था और इसे जारी करना चाहिए था ?

श्री मथुरादास माथुर : हां, जारी करना चाहिए था और जरूरी नहीं था। लेकिन अब जारी किया जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने इसको कम्पनी फ्लोट करने से पहले क्यों नहीं किया ?

श्री मथुरादास माथुर : यह मेमोरेन्डम ऑफ आर्टीकल जरूरी होता है वह कर दिया गया है और बाकी यह प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट में है लॉ डिपार्टमेन्ट में, और जल्दी ही निकाला जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कम्पनी फ्लोट करने से पहले प्रोस्पेक्टस करना जरूरी था एक्ट के तहत।

श्री मथुरादास माथुर : प्रोस्पेक्टस जारी करना जरूरी नहीं होता है मेमोरण्डम ऑफ आर्टीकल्स ऑफ एसोसियेशन और उसकी डिटेल्स हमने जारी कर दी हैं और सदन की मेज पर उनको रख दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार उचित नहीं समझती कि स्टेट का जिसमें इन्टरेस्ट हो पब्लिक के शेयर्स प्राप्त करने के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया जाये जिससे कि पब्लिक को मालूम हो जाये कि गवर्नमेन्ट ऐसी कोई कम्पनी फ्लोट करने जा रही है और उसमें वे शेयर्स सब्सक्राइब कर सकें।

श्री मथुरादास माथुर : सरकार इसको मानती है इसलिए प्रोस्पेक्टस जारी किया जा रहा है। कम्पनी को कायम हुए बहुत अर्सा नहीं हुआ है और सरकार के सामने यह प्रश्न

(श्री मथुरादास माथुर)

भी विचाराधीन है कि हम और शेयर्स पब्लिक के लें या न लें या गवर्नमेन्ट प्योरली ही इसको स्टेट एन्टरप्राइज़ में रख ले इसलिए इसको थोड़ा रोका गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कम्पनी का मेनेजमेन्ट किस के हाथ में है ?

श्री मथुरादास माथुर : उन्हीं के हाथ में है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार की तरफ से डाइरेक्टर कौन है ?

श्री मथुरादास माथुर : चेयरमैन और मेम्बर्स के नाम बता दिये। मिस्टर बियानी हमारी तरफ से काम कर रहे हैं। डाइरेक्टर श्री ए० के० राय हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया और चेयरमैन स्टेट एन्टरप्राईजेज़ इसके बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स हो जायेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): सरकार ने दूसरे लोगों को शेयर्स बेचना मुनासिब नहीं समझा तो क्या इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जिन दो व्यक्तियों को शेयर्स दिये गये हैं उनको सरकार एक्वायर कर लेगी।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने विचाराधीन कहा है। विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : इन व्यक्तियों को शेयर्स देने का चयन किस आधार पर किया गया ?

श्री मथुरादास माथुर : २ ही शेयरहोल्डर्स हैं।

श्री अध्यक्ष : एक ही हो न। How did the Government choose these persons ?

श्री मथुरादास माथुर : Because of the technical knowledge of the man. As a matter of fact, the whole history is that Shri Kishan applied for a private license. उसने प्राईवेट लाइसेन्स के लिए एप्लाई किया था और यह जर्मनी में ट्रेण्ड हैं इस वर्क के लिए और जर्मनी में जो जैना ग्लास फैक्टरी है उसके केलोब्रेशन में थे। तो यहां प्राइवेट फैक्टरी कायम करना चाहते थे जिसके लिए गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी। क्योंकि यह हमारा एक्सपीरियन्स रहा है कि जो यहां पहले ७ ग्लास फैक्टरी थीं उनमें से ६ फेल हो गयीं और धौलपुर फैक्टरी भी करीब करीब बन्द सी थी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बन्द सी नहीं है। आपके गवर्नमेंट के उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स हैं।

श्री अध्यक्ष : Order please. That is beside the point.

श्री मथुरादास माथर : That is beside the point.

इसलिए गवर्नमेन्ट ने डिसाइड किया कि हम प्राइवेट पार्टी को नहीं देंगे और खुद चलायेंगे क्योंकि इनके पास टेक्नीकल नॉलेज थी। इसलिए इन्होंने पार्टीसिपेशन किया और ५० परसेन्ट फर्स्ट कॉल मनी दे दिया।

श्री अध्यक्ष : What about Mr. Khetan and T. C. Agrawal ?

Page No. 35

श्री मथुरादास माथुर : यह अकाउन्ट्स के आदमी हैं। इनके नोर्मल शेयर्स हैं १०--१० रुपये के।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन दोनों को कैसे मालूम हो गया कि कम्पनी फ्लोट हो रही है ?

श्री मथुरादास माथुर : कम्पनी फ्लोट भी हो गयी, कम्पनी खड़ी भी हो गयी और प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। बाकी उसके अन्दर मैं अब कह रहा हूं कि सरकार के विचाराधीन है कि इसको प्योरली स्टेट एन्टरप्राइज में रखा जाये और दूसरों के शेयर्स नहीं रखे जायें

The matter is still under consideration and no final decision has been taken so far.

श्री अध्यक्ष : इन डाइरेक्टर्स को टेक्नीकिल क्वालिफिकेशन के आधार पर किया है ? क्या मैनेजमेंट में भी हिस्सा देने का और मेनेजिंग डाइरेक्टर बनाने की सरकार की मन्शा है ?

श्री मथुरादास माथुर : ये अभी टेक्नीकल डाइरेक्टर हैं और आगे जाकर कोई टर्म्स या एग्रीमेंट नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वहां पर टैक्नीकल डाइरेक्टर जिनको अपॉइन्ट किया है क्या सरकार ने जांच की है....

श्री अध्यक्ष : टैक्नीकल डाइरेक्टर अपोइन्ट नहीं किया।

He is just a Director along with others.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He is a Technical Director.

श्री मथुरादास माथुर : Because of his technical knowledge, He is a technical Director.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अर्ज इसलिए कर रहा हूं कि उसको टेक्नीकल डाइरेक्टर बनाकर रखा हुआ है। आप कहते हैं कि टेक्नीकल नोलेज के आधार पर रखा है तो क्या आप बता सकते हैं कि इनके पास जर्मनी का कोई डिप्लोमा या और कोई ऐसी चीज है।

श्री मथुरादास माथुर : यह पहले खुद धौलपुर ग्लास फैक्टरी में थे। ये जर्मनी गये और वहां पर ट्रेनिंग ली। फिर जब यहां आये तो खुद ने लाइसेन्स के लिए एप्लाई किया और उसके बाद में जो टेक्नीकल केलोबरेशन थी वह इनके हाथ में थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा क्वेश्चन था कि वहां ट्रेनिंग ली या नहीं ! अगर ली तो कोई डिप्लोमा वगैरह तो होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : He has worked in the Glass Factory and it has been collaborated by the German firm.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : धौलपुर ग्लास वर्क्स में जब गवर्नमेंट के शेयर्स हैं और धौलपुर ग्लास वर्क्स का फन्क्शन सेटिस्फेक्ट्री

Page No. 36

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं था तो गवर्नमेंट का जो अन्डरटेकिंग एक्ट बना हुआ है, जिसके तहत में गवर्नमेंट ने भीलवाड़ा और ब्यावर की मिलों को लिया है तो उसी प्रकार से इसको गवर्नमेंट ने क्यों नहीं लिया ?

श्री मथुरादास माथुर : That is for the Minister for Industries, that is not my subject.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब आपने शेयर्स में सब्सक्रिप्शन किया है गवर्नमेंट की ओर से तो क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेंट ने १९६३ में एक कमेटी मुकर्रर की थी प्लान्स के टारगेट को एचीव करने के लिए कि कन्ट्री में जो ग्लास फैक्ट्रीज़ फेल हो रही हैं उनको रिवाइज़ करना चाहिए। राजस्थान में ७ थीं उनमें से ६ फेल हो गई तो उनको रिवाइज़ करना था हमारे टार्गेट में शोर्टेज हो रही थी। तो या तो गवर्नमेंट दूसरों को लाइसेन्स देती या खुद चलाती। गवर्नमेंट ने सोचा कि खुद चलाना चाहिये और गवर्नमेंट ने फैसला करके कि इनको सरकारी सेक्टर में लेना चाहिए तो first stage, we have started.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा कहना इतना ही है कि जब धौलपुर ग्लास वर्क्स में गवर्नमेंट शेयर्स थे और गवर्नमेंट यह महसूस कर रही थी कि शॉर्टफॉल टार्गेट में हो रहा है उसको पूरा करना चाहिए और ६ फैक्ट्रियां फेल हो गई थीं तो धौलपुर ग्लास वर्क्स में प्रोडक्शन शुरू कर देती।

श्री मथुरादास माथुर: I am sorry, this does not relate to this question at all. This position may be enquired from the Minister of Industries.

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : तो धौलपुर ग्लास वर्क्स का रिवाइवल हो।

श्री मथुरादास माथुर : वह जवाब वह देंगे। वह क्वेश्चन उनसे किया जाय। यह मैं कह सकता हूं कि कन्ट्री के अन्दर जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वह अभी फर्स्ट स्टेज का ही प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। वह हमने ग्लास इन्स्ट्रूमेंट्स का शुरू किया है। हमारी फैक्ट्री या धौलपुर ग्लास वर्क्स दोनों मिलकर या चार और फैक्ट्रियां राजस्थान में कायम हो जायं तो भी मुल्क में इसकी इतनी डिमाण्ड है, कि किसी के लिए कमी नहीं आयेगी और कम्पीटिशन नहीं होगा। यह प्लान टार्गेट सेकण्ड और थर्ड के इतने शॉर्टेजेज़ हैं कि एक नहीं; हम चार फैक्ट्रियां खोलें तो भी उनकी गुन्जायश है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो खास यह है कि इतने ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के धौलपुर ग्लास वर्क्स में हैं कि स्टेट एन्टरप्राइज़ के तौर पर रन नहीं करके किसी प्राइवेट पार्टी को रन करने के लिए दिया जाय। उसके बारे में माननीय सदस्य चिन्तित हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं धौलपुर वर्क्स का जवाब नहीं दे सकता हूँ। जो हमने खोली है उसके बारे में कहना चाहता हूँ।

Page No. 37

श्री मानिकचन्द सुराणा : २–३ व्यक्तियों को शेयर दिये जाय और उनको डाइरेक्टर बना दिया जाय और उनमें से एक के साढ़े सात हजार के शेयर्स हैं और एक के १००–२००) रु० के शेयर्स हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लिखा है कि वह डाइरेक्टर है।

श्री मथुरादास माथुर : डाइरेक्टर बनाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसके अलावा एक कन्ट्रोलिंग इन्ट्रेस्ट या मैनेजमेंन्ट उनको देते हैं तो आपत्ति की चीज होती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह हैं।

श्री मथुरादास माथुर : वह नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टेक्निकल डाइरेक्टर बना रखा है और वह मैनेजमेन्ट को भी देखते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैनेजमेंन्ट तो हमारे मि० बियानी देखते है।

श्री अध्यक्ष : Does he get any remuneration ?

श्री मथुरादास माथुर : No.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवालः जो आर्टीकल ऑफ एसोसियेशन आपने मुझे दिया है उसमें यह लिखा है :—

'Technical Director shall be incharge of the Company.'

श्री मथुरादास माथुर: He is incharge of the technical know-how ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो आपने आर्टीकल ऑफ ऐसोसियेशन मुझे दिया है उसमें लिखा है।

श्री मथुरादास माथुर : The man- agreement is looked after by the Government representative Mr. Biyani. Not a copper is paid to Shri Agrawal.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिन श्रीमान्‌जी को टेक्निकल डाइरेक्टर बना रखा है और जिन्होंने अपने हिस्से के जो १०,०००) रु० के शेयर्स खरीदे हैं जिसकी साढ़े सात हजार रुपये कॉल मनी होना चाहिए। यह आदमी, वह साढ़े सात हजार रुपये की कॉल मनी भी पे नहीं कर सका है।

श्री मथुरादास माथुरः The Government is considering the question of giving shares to him or having cent percent shares. This is under my consideration and I have not been able to take any decision so far.

अतरांकित प्रश्नोत्तर

आबादी भूमि विक्रय के अधिकार

२३७, श्री जुगलाल (रावतसर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नोहर तहसील में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिन्होंने भाखरा क्षेत्र में आबादी भूमि विक्रय के अधिकार राज्य

(श्री जुगलाल)

सरकार द्वारा वापिस लिए जाने के बाद भी पट्टे देना जारी रखा है ?

(२) राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त आदेश कब जारी किया गया ?

(३) किस २ ग्राम पंचायत ने कितने मूल्य के कितने पट्टे जारी किये हैं और उनमें पुराने कब्जों के कितने तथा नई भूमियों के कितने पट्टे हैं ?

(४) इस विषय में विभाग द्वारा किन किन सरपंचों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है एवं क्या निर्णय किया गया ?

उत्तर

(१) ऐसी ६ पंचायतें हैं।

(२) आदेश दिनांक २–२–१६५६ को जारी किया गया था।

(३) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(४) सरपंच पंचायत रामगढ़, गूडिया, बडविराना के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

सरपंच रतनपुरा, फेफाना, जस्साना, टीलकीजाटान, सरदारपुरा एवं मुकरका के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच जारी है।

जोड़ बीड़ का सीमांकन, बीकानेर

२४६. श्री **भीमसिंह** (लूणकरणसर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जोड़ बीड़ बीकानेर का सीमांकन कई दशाब्दियों पूर्व का किया हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि गांव गढवाल के आधे से अधिक घर उक्त सीमा रेखा में आते हैं ? अगर हां, तो वन विभाग ने अब तक पुनः सीमांकन के संबंध में कार्यवाही क्यों नहीं की ?

(३) क्या सरकार स्थानीय पंचायत की मांग के अनुसार गांव से करीब फर्लांग तक ऐरिया गांव की आबादी के विकास हेतु छोड़ने का विचार रखती है ताकि गांव की मवेशियों को आराम करने का स्थान निकल सके और वन विभाग एवं ग्रामीणों के बीच मवेशियों को लेकर आये दिन जो झगड़े होते हैं उनसे छुटकारा मिल सके ?

उत्तर

(१) सीमांकन बीकानेर इकाई के समय से ही है।

(२) जी नहीं, गढवाला गांव जोड़ बीड बीकानेर के पूर्वी सीमा के बाहर होना चाहिए, सीमांकन की कार्यवाही चालू हैं, और वहां का सीमांकन गलत होने से ठीक की जायेगी।

(३) पंचायत की ओर से मांग करने पर वन बन्दोबस्त अधिकारी विचार करेंगे।

पंचायत समिति, कुचामन द्वारा विकास कार्य हेतु अनुदान

२५०. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) पंचायत समिति कुचामन द्वारा सन् ६१-६२ में किस-किस पंचायत को किस-किस विकास कार्य हेतु कितना रुपया स्वीकृत किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) उपरोक्त विकास कार्यों में कितने कार्य सम्पूर्ण हो चुके हैं एवं कितनों की वसूली जारी है ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न हैं ।

(२) ४८ कार्य पूरे हो चुके हैं व २ मामलों में वसूली की जा रही है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

कृषकों को पम्पिंग सेट्स के लिए धन-राशि, विकास खंड, चेचट

२५१. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

क्या यह सही है कि चेचट विकास खंड में लगभग ५० हजार की धनराशि कृषकों को पम्पिंग सेट्स के लिए दी गई है ? यदि हां, तो यह रकम कब, किन किन किसानों को दी गई और पम्पिंग सेट्स कब खरीदे गये और किन के द्वारा ?

उत्तर

जी हां । सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

उरूरल इन्श्योरेन्स ड्राइव, पंचायत समिति, किशनगढ़

२५२. श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(१) क्या यह सही है कि फरवरी, १९६३ में रूरल इन्श्योरेन्स ड्राइव के लिए पंचायत समिति, किशनगढ़ का एक कोटा तय किया गया था तथा कमीशन पंचायतों को देना तय किया गया था ? यदि हां, तो इन्श्योरेन्स का कोटा कितना तय किया गया था और कितना पूरा हुआ और उसका कमीशन कितनी पंचायतों को दिया गया ? यदि पंचायतों को नहीं दिया गया, तो वह रकम कहां है ?

(२) यह कार्य पूरा करने के लिए अधिकारियों को कितना टी. ए., डी. ए. देना पड़ा और कितने रुपये का पेट्रोल खर्च हुआ ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

भूतपूर्व लेबर कमिश्नर

२५३. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भूतपूर्व लेबर कमिश्नर श्री एस. एस. माथुर की नियुक्ति लेबर कमिश्नर के पद पर कब हुई ?

(२) राजस्थान में श्रम कल्याण केन्द्र कितने हैं और भूतपूर्व लेबर कमिश्नर ने उनमें से कितनों का निरीक्षण किया ?

(३) भूतपूर्व लेबर कमिश्नर ने जयपुर के सिवाय कितने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज का मुआयना किया ?

(४) माइका माइन्स लेबर वेलफेयर फण्ड के चैयरमेन की हैसियत से भूतपूर्व लेबर कमिश्नर ने किन किन केन्द्रों का निरीक्षण किया ?

(५) भूतपूर्व लेबर कमिश्नर ने पांचों डिविज़नों में स्थित श्रम कार्यालयों में से कितने कार्यालयों का निरीक्षण किया ?

(६) भूतपूर्व लेबर कमिश्नर ने एम्प्लॉईज़ स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम के तहत चलने वाली कितनी डिस्पेन्सरीज़ का निरीक्षण किया ?

उत्तर

(१) भूतपूर्व लेबर कमिश्नर श्री एस. एस. माथुर ने लेबर कमिश्नर का चार्ज दिनांक २९–११–६० को संभाला था।

(२) राजस्थान में कुल २८ श्रम कल्याण केन्द्र हैं उनमें से भूतपूर्व कमिश्नर ने निम्न श्रम कल्याण केन्द्रों, का निरीक्षण किया।

श्रम कल्याण केन्द्र, जयपुर
,, अजमेर
,, उदयपुर
,, जोधपुर
,, भरतपुर
,, जावर माइन्स

(३) भूतपूर्व लेबर कमिश्नर ने जयपुर के सिवाय निम्न एक्सचेन्ज का मुआयना किया।

१–एम्पलॉयमेंट ऑफिसर, जोधपुर।

२– ,, ,, भरतपुर।

(४) माइका माइन्स लेबर वेलफेयर फन्ड के चेयरमैन की हैसियत से भूतपूर्व लेबर कमिश्नर ने निम्न केन्द्रों का निरीक्षण किया है।

१--दिनांक १५-१२-६० को महिला कल्याण केन्द्र माधोराजपुरा।

२–दिनांक ७-२-६१ को कल्याण केन्द्र अजमेर।

३–दिनांक ९-२-६१ को कल्याण केन्द्र गंगापुर इमली, बावोर।

४–दिनांक २०-४-६१ को कल्याण केन्द्र अजमेर।

भूतपूर्व लेबर कमिश्नर ने पांचों डिविजनों में से निम्न कार्यालयों का निरीक्षण किया :-

(श्री श्रम मन्त्री)

१–श्रम अधिकारी जोधपुर

२–श्रम अधिकारी अजमेर

(६) भूतपूर्व लेबर कमिश्नर ने निम्नलिखित एम्प्लाईज स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम के तहत चलने वाली डिस्पेन्सरीज़ का निरीक्षण किया :–

(१) दिनांक २-६-६२ को भरतपुर, (२) दिनांक ६-६-६२ को ब्यावर। (३) दिनांक १६–५–६१ जोधपुर।

कर्मचारियों की संख्या

२५४. श्री बाजूराम चौधरी (फतहपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में वर्तमान में महंगाई भत्ते सहित १००) रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है?

(२) राजस्थान सरकार में १०००) रु. से ऊपर तथा २०००) रु० से नीचे तथा २०००) रु० से ऊपर वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या क्या है?

उत्तर

(१) १,००,८१६

(२) २०७ (एक हजार से ऊपर तथा दो हजार रुपये तक वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या)

२६ (दो हजार रुपयों से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या)

शुगर मिल, भोपालसागर

२५५. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) शुगर मिल भोपालसागर, (करेड़ा), उदयपुर डिवीजन कब लगा? यह मिल प्रति वर्ष कितनी शक्कर का उत्पादन करता है और औसतन पांच वर्ष में कितना गन्ना खरीदता है?

(२) क्या यह सही है कि गन्ना उत्पादन क्षेत्र इसकी क्षमता से अधिक है? क्या यह भी सही है कि मई और जून तक गन्ना नहीं खरीदा जाता है? अगर हां, तो कृषकों को इससे होने वाली हानि का कौन जिम्मेदार है?

(३) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के किसानों को गन्ने की कीमत समय पर नहीं चुकाई जाती?

(४) क्या यह सही है कि इस मिल की गन्ने की रेट गंगानगर शुगर मिल से एवं उत्तर प्रदेश की रेटों से भी कम है? अगर हां, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि शक्कर के भाव इनसे अधिक हैं?

(५) क्या यह सही है कि इस साल शक्कर की कीमत मिल ने बढ़ा दी है? अगर हां, तो गन्ना किस भाव से खरीदा जाता है।

(६) क्या यह सही है कि यह मिल भिन्न भिन्न प्रकार की शक्कर का उत्पादन

Page No. 42

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

करता है ? यदि हां, तो ग्रेड मार्क पर क्या नियन्त्रण हैं ?

(७) इस मिल द्वारा खरीदे हुए गन्ने की कीमत का चुकारा स्वयं किसानों को किया जाता है या मिल के एजेन्टों को ? अगर एजन्टों को किया जाता है, तो उनके द्वारा १० प्रतिशत का कमीशन किसानों से लिया जाता है, उसका कौन जिम्मेदार है ?

(८) क्या यह सही है कि किसानों की गन्ने की गाड़ियां मिल द्वारा चिट्ठी दिये जाने पर २ या ३ दिन तक कांटे पर पड़ी रहती हैं ? अगर हां, तो इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली हानि एवं अव्यवस्था के निराकरण के लिये सरकार क्या उचित कदम उठाने का विचार रखती है ?

(९) सन् १९५८ से १९६२ तक इस मिल द्वारा कितना गन्ना प्रति वर्ष खरीदा गया है और प्रति वर्ष गन्ने की कीमत किस भाव से दी गई है ?

उत्तर

(१) शुगर मिल भूपालसागर १९३७ में लगा था। यह मिल औसतन गत ५ साल से ६४,४७३ क्विंटल शक्कर उत्पादन कर रही है व ६,७७,६५६ क्विंटल गन्ना खरीदता है।

(२) जी नहीं। गन्ने का उत्पादन इसकी क्षमता से अधिक नहीं है, इस कारण मिल गन्ना पेरने के बाद जल्दी ही बंद हो जाता है अतः जून तक गन्ना खरीदने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) १९६२–६३ के सीज़न तक जो गन्ना खरीदा गया उसकी रकम चुका दी गई है। १९६३–६४ के सीज़न की खरीद की ७३ प्रतिशत रकम चुका दी गई है। भुगतान चालू है।

(४) जी नहीं।

(गन्ना ५.२१ न० पै० प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाता है।)

(५) जी नहीं।

(६) जी हां।

ग्रेड मार्क पर भारत सरकार के डाइरेक्टर ऑफ शुगर एण्ड वनस्पति, मिनिस्ट्री ऑफ फ़ूड एन्ड एग्रीकल्चर का नियन्त्रण है।

(७) गन्ने की कीमत का चुकारा मिल द्वारा स्वयं किसानों को सीधा किया जाता है।

(८) जी नहीं।

(९) सन् १९५८ से १९६२ तक इस मिल द्वारा गन्ना इस प्रकार खरीदा गया व गन्ने की कीमत दी गई :

सन्	गन्ना खरीद	गन्ने की रेट (मिल रेट)
		रु०
१९५८	८२,८४,२५ मन	१.४४ प्रति मन
१९५९	११,६४,९०० मन	१.६२ प्रति मन

(श्री उद्योग मंत्री)

१६६० १०,६२,६२३ क्विंटल १.६२ प्रति मन
१६६१ ७,६२,३०२ क्विंटल १.६२ प्रति मन
१६६२ ७,२६,६६६ क्विंटल १.७१ प्रति मन

स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री मोतीलाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति........

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था दो-तीन रोज पहले........

श्री अध्यक्ष : स्थगन-प्रस्ताव को यहां पर न उठाया जाय जब तक कि आपको आज्ञा नहीं मिले पहले उठाने की।

(६.१५ म० पू०)

श्री मोतीलाल चौधरी।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति, १९६३-६४ के निम्नांकित ६ प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :—

(१) प्राक्कलन समिति, १९६१–६२ के २२ वें प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का सातवां प्रतिवेदन (आयुर्वेद विभाग)

(२) प्राक्कलन समिति १९६१–६२ के २३ वें प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का आठवां प्रतिवेदन (चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य विभाग)

(३) प्राक्कलन समिति १९६०–६१ के १९ वें प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का बारहवां प्रतिवेदन (विकास विभाग)

(४) प्राक्कलन समिति १९६२–६३ के पहले प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (यातायात विभाग)

(५) प्राक्कलन समिति १९५९–६० के चौदहवें प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (सहकारिता विभाग)

(६) प्राक्कलन समिति का उद्योग विभाग से सम्बन्धित पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(६.१७ म० पू०)

जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड सम्बन्धी आधे घंटे की चर्चा

श्री अध्यक्ष : आधे घण्टे की चर्चा, श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने दिनांक ४ मार्च को प्रश्न संख्या १६६ के द्वारा सरकार से यह जानकारी चाही थी कि जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि० में सरकार के जो प्रिफरेन्शियल शेयर्स थे और उनका सन् १९५३ से

Page No. 44

(श्री भैरोंसिंह)

लेकर १९६२ तक जो डिविडेन्ड का क्लेम था क्या वह क्लेम सरकार ने फोरगो किया है। माननीय मंत्री महोदय ने इस बात से इन्कार किया, और उस इन्कारी की स्थिति को लेकर यह आधे घन्टे की चर्चा इस सदन में उठाये जाने की अनुमति चाही गई है।

अध्यक्ष महोदय, इस कम्पनी में राजस्थान सरकार के १७,४५,००० रु० के शेयर्स हैं। उनमें ४,९८,०००) रु० के ऑर्डीनेरी शेयर्स और लगभग १२,४७,००० रु० के प्रिफरेन्शियल शेयर्स हैं। यह कम्पनी १९४३ में भूतपूर्व जयपुर रियासत के समय चालू हुई। इस कम्पनी के अन्दर उस समय की सरकार ने शेयर्स खरीदे थे। सन् ४३ में यह कम्पनी चालू नहीं हुई और १९४७ में चालू हुई, और १९४७ से लेकर १९६२ तक केवल एक वर्ष में १,८२,००० रु० के डिविडेन्ड्स राज्य सरकार को मिले और बाकी इन १६ वर्षों में राज्य सरकार को ऑर्डीनेरी शेयर्स और प्रिफरेन्शियल शेयर्स के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई डिविडेन्ड नहीं मिला है। यहां शेयर होल्डर्स की भी स्थिति ऐसी थी कि इस कम्पनी ने अपने खर्चे को बढ़ाकर यार्न की परचेज और सेल के मामले के अन्दर अपने ही रिश्तेदारों की कम्पनियों से बिज़नेस करके इस प्रकार से लाखों का घाटा बताया कि इस कम्पनी के शेयर की वेल्यू ५४ तक पहुंच गई। जब इस कम्पनी के शेयर्स की वेल्यू गिरी तो इस कम्पनी के डाइरेक्टर्स ने जिनमें श्री रामनाथजी पोद्दार चेयरमैन हैं इसके बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के उन्होंने अलग अलग नाम से इस कम्पनी के शेयर्स खरीदने शुरू किये और ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि शेयर होल्डर्स को अनुमान लगने लगा कि यह कम्पनी घाटे में चल रही है। इस कम्पनी में न कोई व्यवस्था है, न खरीद की न बिक्री की व्यवस्था है। खरीद और बिक्री सब अपने रिश्तेदारों की एजेन्सियों की मार्फत होती है। पे रोल्स में ज्यादा खर्चा दिखाया जाता है, डेप्रिसियेशन्स चार्जेज बहुत ज्यादा दिखाये जाते हैं। इस सारी स्थिति को देखते हुए शेयर होल्डर्स ने कम्प्लेन्ट की राजस्थान सरकार के पास और उसके ऊपर राजस्थान सरकार ने एक कमेटी अपोइन्ट करने का नोटिफिकेशन निकाला। नोटिफिकेशन निकलने के कुछ दिन बाद उस नोटिफिकेशन को विद्ड्रा किया गया यह कह कर कि भारत सरकार इस कम्पनी की इन्क्वायरी नहीं कराना चाहती, इस नोटिफिकेशन को विद्ड्रा करने के बाद कम्पनी लॉ के मातहत किसी इन्सपेक्टर की नियुक्ति की जाकर सब मसले की जांच उससे करवाई जाती है। उस प्रकार का ऑर्डर न निकाल कर एक आदेश के रूप में निकाल दिया जिस पर कम्पनी ने ऑब्जेक्शन लिया। उसमें टेक्निकल डिफेक्ट था और उस टेक्निकल डिफेक्ट का लाभ उठा कर सरकार ने उस ऑर्डर को भी विद्ड्रा कर लिया और किसी प्रकार की जांच इस कम्पनी की नहीं करवाई। जब शेयर होल्डर्स को पता लगा कि सरकार इस कम्पनी की सारी कार्यवाही, चाहे वह किसी भी सीमा तक गलत क्यों न हो, उसकी जांच न करवा कर उसको बचाने के लिये तुली हुई है, जब उनको यह मालूम हुआ कि इस सरकार को अपने शेयर्स की चिन्ता नहीं है, इस सरकार को इस कम्पनी के प्रोडक्शन की चिन्ता नहीं है, इस सरकार को आमदनी की चिन्ता नहीं है,

(श्री भैरोंसिंह)

इस सरकार को लेबरर्स की चिन्ता नहीं है, तो उनको बड़ी चिन्ता हुई और शेयर्स की वेल्यू गिरते गिरते ५५) तक चली गई और हालत यहां तक पहुंच गई कि शेयर्स कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। इधर तो यह स्थिति बनी और उधर राज्य सरकार, मैं ऐसा समझता हूं वर्तमान मुख्य मंत्रीजी अपने हस्तक्षेप से यह चाहने लगे कि इस कम्पनी की स्थिति सुधारी जाय, मैं समझता हूं इसके पीछे और कोई कारण नहीं था सिवाय इसके कि यह कम्पनी सुधर जायगी इसलिये इसको किसी प्रकार की रियायत दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, जितने भी डाइरेक्टर्स होते हैं, खास करके पूंजीपति, वे अपनी कम्पनियों में सरकारी पूंजी लगवाकर पब्लिक मनी का उपयोग करते हैं और पब्लिक मनी जब काफी मात्रा में उनको मिल जाय तो कम्पनी में वे घाटा बताते हैं और शेयर वेल्यू किस प्रकार गिरे, प्लान्ड-वे में इसके लिये प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार शेयर वेल्यू नीचे गिरती है तब शेयर्स किसी न किसी नाम से खरीदते हैं और उसके बाद किस प्रकार फायदा हो उसकी व्यवस्था करते हैं ताकि कम्पनी के एसेट्स, प्रोडक्शन और पूरी फेक्ट्री पर डाइरेक्टर्स के रूप में उनका पूरा अधिकार हो जाय। इसी प्रकार की व्यवस्था इस कम्पनी द्वारा भी की गई और हमारी सरकार का इसमें साझा रहा। मार्च ६१ में इस कम्पनी के डाइरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, २८ मार्च ६१ को, उसमें प्रस्ताव रखा गया कि हम प्रिफरेन्शियल शेयर्स के डिविडेन्ड का जो क्लेम है जो करीब १५ लाख रु० का है उसको फोरगो करते हैं। इस कम्पनी के डाइरेक्टर्स के शेयर्स रामनाथजी पोद्दार वगैरह के थे, उन्होंने एक चाल चली और कहा कि हम हमारे डिविडेन्ड को फोरगो करते हैं और उन्होंने सरकार को कहा कि सरकार को भी अपना डिविडेन्ड फोरगो करना चाहिये। हमारी सरकार ने ७॥ लाख रुपयों के डिविडेन्ड को फोरगो किया। कहने को तो यह कहते हैं कि हमने ७॥ लाख रुपयों का डिविडेन्ड फोरगो किया, इसको फोरगो करने से हमें पहले जो हमारे शेयर्स पर ५॥ परसेन्ट इन्ट्रेस्ट मिलता था उसके बजाय अब हमें ६.३ परसेन्ट इन्ट्रेस्ट मिलेगा। लेकिन यह इतना बड़ा स्केन्डल है जिसके बराबर मैं समझता हूँ कि आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ होगा। हिन्दुस्तान की किसी भी स्टेट में किसी भी कम्पनी में अपनी में अपने शेयर्स के बारे में इस प्रकार नहीं हुआ होगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ५॥ परसेन्ट के बजाय ६ परसेन्ट इन्ट्रेस्ट कर दिया। पुराने पर ५॥ परसेन्ट से मिलता लेकिन डिविडेन्ड के ७॥ लाख रुपये आपने फोरगो किये उसकी जगह यदि ५ लाख का एडीशन इसमें होता तो उस पर जो इन्ट्रेस्ट मिलता उस पर ६ परसेन्ट के हिसाब से इन्ट्रेस्ट आता और बाकी पर ५॥ परसेन्ट के हिसाब से आता। ७॥ लाख रुपये प्रिफरेन्शियल शेयर्स के डिविडेन्ड के रूप में मिलते उस पर ६ परसेन्ट मिल जाता तो इसमें घाटा नहीं होता बल्कि दुगुनी आमदनी होती। इस दुगुनी आमदनी को छोड़ कर जो कम्पनी गिरी हुई हालत में बताई उसको सुधारने का बहाना लेकर हम ने लगभग १५॥ लाख रुपयों का घाटा खाया है।

(श्री भैरोंसिंह)

कहने को तो यह कम्पनी कहती है कि इसकी हालत खराब थी लेकिन यह कम्पनी नीम के थाने में सीमेन्ट की फैक्ट्री लगाना चाहती थी, उसके लिये उसने गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया को एक लैटर उन्हीं दिनों में लिखा था जिसमें यह लिखा था कि इस कम्पनी की हालत अच्छी है। यह अच्छी हालत इसलिये थी कि सीमेन्ट की फैक्ट्री लगाने के लिये लाइसेन्स लेना चाहती थी, शेयर्स के रूप में गवर्नमेन्ट से रुपया लेना चाहते थे, एल० आई० सी० से लोन लेना चाहते थे, इसलिये भारत सरकार के सामने इस कम्पनी को स्वीकार करना पड़ा कि इसकी हालत अच्छी है। इसलिये मैं इस लैटर का कुछ पोर्शन पढ़ कर सुनाता हूँ, उससे यह साबित होता है कि गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान ने डिसीज़न लिया उस समय इस कम्पनी की हालत अच्छी थी, संतोषजनक थी। इसलिये मौजूदा कम्पनी को चालू करने में किसी प्रकार के अतिरिक्त धन की उसको आवश्यकता नहीं थी। पत्र में लिखा है :—

"The working results of the Company for six months ending 31st March, 62 accounting current years show a gross loss of 6 lacs."

इस तरह से इस कम्पनी ने अपनी सारी हालत बताकर एक पैराग्राफ राजस्थान सरकार के लिये लिखा है :—

"It may be noted that the government of Rajasthan...."

कहने का तात्पर्य यह है कि जिस दिन हमारी सरकार ने अपने डिविडेन्ड के क्लेम को फोरगो किया उस दिन यह आधार नहीं बताया जा सकता कि कम्पनी की फाइनेन्शियल पोज़ीशन खराब थी और राजस्थान सरकार केवल ७॥ लाख रुपयों का डिविडेन्ड फोरगो नहीं करती; भविष्य में यह कम्पनी रन नहीं कर सकती थी या जो नयी सीमेन्ट की फैक्ट्री खोलना चाहते थे वह नहीं खुल सकती थी; उसको १५.००० के बजाय २५.००० स्पिन्डल्स का लाइसेन्स नहीं मिलता। इन सारी चीजों के पीछे और कोई कारण नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि सरकार इस कम्पनी को अनड्यू प्रोटेक्शन देना चाहती थी। मैं सदन को यह कहता हूं कि हमने डिविडेन्ड फोरगो किया, जितने शेयर्स हमारे इस जयपुर स्पिनिंग एन्ड विविंग मिल में हैं, यह मिल अब पोद्दार ग्रुप ऑफ इन्डस्ट्री में शामिल हो रही है। उसमें अमेल्गेमेशन होने के साथ साथ वे इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की शेयर केपिटल है वह लोन में कन्वर्ट हो जाय और उसके बाद जो सरकार की लाएबिलिटीज़ है उससे कंपनी को किसी प्रकार से बचा लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर राज्य सरकार ने इस कम्पनी के साथ रियायत क्यों की ? आपने हिन्दुस्तान की किसी भी रियासत में किसी भी कम्पनी के साथ कम्पनी लॉ की हिस्ट्री में इस प्रकार की रियायत बरतने की बात सुनी हो तो बतावें। आज तक राज्य सरकार ने १२ लाख रुपयों का घाटा खाकर किसी कम्पनी को इस प्रकार से प्रोटेक्शन दिया हो तो बतावें। उन दिनों हमारे वित्तमंत्रीजी हरिभाऊजी थे, उनका ज्यादा हिस्सा

(श्री भैरोंसिंह)

तो उसमें नहीं हो सकता, लेकिन डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट में लिखा है कि शिक्षा सदन, हट्टून्डी को ५००) रु० दान में दिये गये। हमारे वित्त मंत्रीजी ने इस दान को, मैं यह नहीं कहता कि किस कंसीडशन से स्वीकार किया। वे इतने भले हो सकते हैं कि किसी के कहने पर कि आप इस पर दस्तखत करिये, दस्तखत कर दिये हों और इसलिये हट्टून्डी के शिक्षा सदन को ५००) रु० दिला दिये हों। इसकी जांच कराई जाय तो इस कारण से तो नहीं हो सकता, राजस्थान सरकार को १२ लाख रुपयों का घाटा भुगतना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूँ, माननीय मंत्री फाइल लेकर आते हैं, मैं नहीं कहता कि आज लाये हैं या नहीं, लेकिन जवाब देने के लिए फाइनेन्स डिपार्टमेंन्ट की फाइल लेकर आते हैं, अगर लाये हैं तो फाइनेन्स सेक्रेटरी का सारा नोटिंग पढ़ कर सुना दीजिये। इस सरकार के फाइनेन्स सेक्रेटरी ने अप-टू लास्ट इस बात को स्वीकार नहीं किया कि सरकार को इस मामले में घाटा पहुंचाया जाय। लेकिन इस सरकार के मंत्री महोदय ने न मालूम किन कन्सीडरेशन्स से ऐसा फैसला किया, और वे कन्सीडरेशन्स सिवाय राजनैतिक कन्सीडरेशन्स के और हो नहीं सकते। श्री सुखाड़िया और राजस्थान की केबिनेट, श्री रामनाथ पोद्दार और दो चार केपिटलिस्ट्स के बाई-प्रॉडक्ट हैं। दो चार केपिटलिस्ट्स ने राजस्थान के मुख्य मंत्री का शासन बनाया है। अभी जिस समय अविश्वास का प्रस्ताव आया था तो केपिटलिस्ट बादलों की तरह जयपुर पर मंडराते रहे और उनकी पूंजी के बल के ऊपर राजस्थान की सरकार निर्भर है। यह बात सही नहीं होती तो रामनाथ पौद्दार सरकार की हर कन्सर्न में न होते, वे फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन के चेअरमैन हैं, जयपुर उद्योग के अन्दर डाइरेक्टर हैं और राजस्थान में कोई भी इन्डस्ट्री खुलेगी तो इन श्रीमान्जी की बिना एप्रूवल के नहीं खुल सकती। ये केपिटलिस्ट्स राजस्थान में राजनैतिक संस्थाओं को मुफ्त में अपने हाथ में लेकर राजस्थान की गरीब जनता को लूट खसौट रहे हैं और राजस्थान सरकार उनको रोक नहीं पाती। मैं चाहूँगा कि इस सारे मसले की जुडिशियल इन्क्वायरी करवाई जाय और जिसने राजस्थान की सरकार को १७ लाख का घाटा पहुंचाया है उसकी इन्क्वायरी करा कर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। इस प्रश्न को लेकर मैंने आधे घन्टे की चर्चा उठाई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): For want of time, I don't speak. But I second the whole statement.

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो नोटिस मुझे मिला था, मैं समझता हूँ, माननीय सदस्य उस नोटिस के दायरे से काफी दूर चले गये। राजस्थान सरकार के जयपुर स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स में १२,४७१ के प्रिफरेन्स शेअर्स हैं। यह मसला सरकार के सामने १९६२ की फरवरी और मार्च में आया........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चुनाव के टाइम में ?

श्री हरिश्चन्द्र : चुनाव का टाइम ? 1962 - February.

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : कौनसी तारीख बतलाई ?

श्री हरिश्चन्द्र : फरवरी–मार्च !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : चुनाव के टाइम में !

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे बोल तो लेने दीजिये आप !

तो १९६२ की फरवरी-मार्च में यह मसला सामने आया कि जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स के शेअर्स हैं उनकी वेल्यू काफी गिर गई है और वेल्यू गिरने की हालत में राज्य सरकार को काफी हानि हो सकती है। तो यह प्रपोज़ल राज्य सरकार के सामने जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल ने रखा कि फाइनेन्स को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने के लिए और बैलेन्स शीट को थोड़ा मोर–अट्रेक्टिव बनाने के लिए यदि राजस्थान सरकार अपने प्रिफरेन्स शेयर्स को कन्वर्ट करती है, जिसका कि डिविडेंड ऊंचा है, पहले उनका पांच, साढ़े पांच परसेन्ट के हिसाब से था, तो जो ५.५ परसेन्ट था, उसके बदले उन्होंने कहा कि ६.३ डिविडेंड दिया जाय। तो यह मामला जब राज्य सरकार के सामने आया तो इस सम्बन्ध में काफी विचार किया गया। विचार इस दृष्टि से किया गया कि जो हमारी शेयर्स की वेल्यू गिर गई है, और उन शेयर्स की वेल्यू, मार्केट वेल्यू, मार्केट वेल्यू यदि कन्वर्शन के लिहाज से ठीक हो सकती है तो सरकार को क्या नुकसान दिखता है और क्या प्रॉफिट मिल सकता है ? तो उसके केल्कुलेशन के अन्दर जब राज्य सरकार घुसी तो उनके केलकुलेशन जिस तरीके के थे वे मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। १९६२ की फरवरी-मार्च तक जो नेट एक्युम्युलेशन ऑफ डिविडेंड राज्य सरकार का था वह करीब ४,९८,२६४ रुपये का था। आप यह पूछ सकते हैं, ये फिगर्स आपने कैसे डिराइव किये। तो फिगर्स जिस तरह से डिराइव हुए, वह मैं पेश करना चाहता हूं। डिविडेंड ऑफ प्रिफरेन्स शेअर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टिल ३०-९-६१ है, ५,४८,७२४ एट ११ पर्सेंट as provided in the preference shares regulations of dividend Act of 1960.

Less 20 percent deduct 20 percent as provided in the Dividend Act, 60...

तो टोटल आता है ४ लाख, जो मैंने आपको फिगर बताया, ८७ हजार २६४ रुपये के आस-पास....

श्री भैरोंसिंह : क्लेम का बतायें।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं आ रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको क्यों नाराज करते हैं बेकार में ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह आप प्रिफरेन्स शेयर्स में फैलाते हैं तो पर-शेयर उसकी वेल्यू ३९ आती है। ३९ रुपीज़ पर-शेयर डिविडेंड् एक्रूड-यह आता है। अब इस बात को देखने की जरूरत है कि प्रिफरेन्स शेयर्स, जिनका कि डिविडेंड ५.५ पर्सेन्ट के आस

(श्री हरिश्चन्द्र)

पास कोटेड करता हो, उनकी मार्केट वेल्यू क्या है ? उसके लिए मैं कोटेशन लाया हूं, 'कॉमर्स' मार्च २१, १९६४। उसमें देखने से मालूम होगा। इसके लिए जो अपनी मिल है, जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, इसके राज्य सरकार और पोद्दारजी, दो ही मेन पार्टनर्स हैं शेअर्स के लिहाज से- उनका कोटेशन यहां नहीं मिलेगा। लेकिन कॉटन स्पिनिंग मिल्स जो हैं उनके जो रेट्स देखते हैं वह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं- न्यू ग्रेड का डिविडेंड है, वह ५.५० परसेन्ट रेट ऑफ डिविडेंड है, पेड अप शेअर की वेल्यू है वह दो सौ है और लेटेस्ट अवेलेबल कोटेड है १२०। इसी तरह से जो पोद्दार मिल्स है, वह ५.७५ परसेन्ट डिविडेंड देती हैं, उसकी सौ पेड-अप शेअर वेल्यू है....

श्री भैरोंसिंह : यह प्रिफरेंन्स शेअर्स का है या ऑर्डिनरी शेअर्स का ?

श्री हरिश्चन्द्र : प्रिफरेंन्स !

श्री भैरोंसिंह : यह प्रिफरेंन्स शेअर्स की बात १९६४ की है।

श्री हरिश्चन्द्र : This is the latest position.

श्री भैरोंसिंह : बुलेटिन १९६४ का है, १९६२ का नहीं है जिस समय डिसीजन लिया था।

श्री हरिश्चन्द्र : १९६४ का बता रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : I am talking about 1962 and you are giving figures of 1964.

श्री हरिश्चन्द्र : I am giving you the latest position.

श्री भैरोंसिंह : But there is great difference.....

श्री हरिश्चन्द्र : इतना फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिफरेंन्स शेअर में इतना फर्क नहीं पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : पड़ता है।

श्री हरिश्चन्द्र :आपके पास हैं तो आप बता दीजिये। १९६२ के आपके पास हैं तो आप बता दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : मैं बता दूंगा।

श्री हरिश्चन्द्र : बताइये।

श्री अध्यक्ष : उसकी आवश्यकता है। मंत्री महोदय यह बताना चाहते हैं, आज भी प्रिफरेंन्स शेअर की कीमत दूसरी मिलों की है उसके अनुसार है।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन यह है नहीं।

श्री अध्यक्ष : उस पर आ रहे हैं। अभी यह बताना चाहते हैं कि उसका क्या केलकुलेशन निकाला है।

श्री हरिशचन्द्र : मैं बताना चाहता हूं, जिन शेअर्स का ५.२० परसेन्ट डिविडेंड देते हैं, प्रिफरेन्स शेअर्स हैं उनकी मार्केट वेल्यू १२० है वेन दी पेड-अप वेल्यू इज़ २०० । इसी तरह से पोद्दार मिल्स का ५.७५ परसेन्ट डिविडेंड है, उसकी पेड-अप वेल्यू है १०० और कोटेशन मार्केट का है वह ६४ है । उस हिसाब से आप १० परसेन्ट के प्रिफरेन्स शेअर को देखते हैं तो जो ब्रेड बरी है जो कॉटन मिल हैं, उसका २० परसेन्ट डिविडेंड डिक्लेअर करते हैं । इस प्रकार जो डिक्लेअर करते हैं और जो कन्वर्शन हुआ है वह ६.३ हुआ है । एप्रोक्सीमेटली मैं निवेदन करना चाहता हूं, ६.३ का तो नहीं, १० पर्सेन्ट लेते हैं, तो पेड-अप वेल्यू ५० आती है उसके बदले में लेटेस्ट पोज़ीशन ६० है....

तो मैंने आपको अर्ज किया कि हमारी जो मार्केट वेल्यू है................

श्री अध्यक्षः एरियर्स ऑफ प्रिफरेन्स शेयर्स का कोटा ५॥ और ६ परसेन्ट । या ५॥ परसेंट का ६ ऐसा है । केवल रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट से एसेस नहीं होता ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं इस पोइंट पर आ रहा हूं । पोइन्ट यह है कि कन्वर्शन से सरकार को नुकसान होगा या नहीं । ३६ पर शेयर ऑफ डिविडेन्ड एक्रयू हुआ और ५५ हमने मारकेट वेल्यू रखी । ५५ और ३६ मिला कर ६४ होते हैं । जब ६४ का केल्कुलेशन किया तो ३६ का डिविडेन्ड आपने निगाह में रखा । इसलिये आपने कहा वह भी सही नहीं है कि सरकार ने क्लेम छोड़ा । ३६ को केल्कुलेशन में इन्क्लूड किया, इसलिए ६४ वेल्यू आपकी हुई । आपको ५.३ से रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट से ६.३ इन्टरेस्ट मिल गया । केपिटल एप्रीसीएशन ६.३० था । उसकी मारकेट वेल्यू प्रिफरेन्स शेयर ५० का कोट किया, वह ६० मारकेट वेल्यू हो गई । १०० का १०१ या १०२ हो सकता है । इन चीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने उचित समझा कि डेप्रीसियेशन हो रहा है । जो गिर रहे थे उसको कन्वर्ट किया है तो इससे दो फायदे हुए । एक तो बेलेन्स शीट एट्रेक्टिव हो सकता है । केपिटल आ सकता है और सरकार को घाटा हो रहा है उसको निकालने के लिये सरकार के सामने यह पोजिशन आ सकती है ।

दूसरा प्रश्न आपने उठाया जिसका नोटिस में जिक्र नहीं है । डिविडेन्ड अभी नहीं दे रहे हैं । इसके लिये राज्य सरकार के दो डाइरेक्टर जाते हैं । और इस बात की पूरी कोशिश की जावेगी कि प्रोप्राइटर्स से भी डिविडेन्ट के लिये राज्य सरकार बात करेगी, मगर क्या वजह है कि आज तक उन्होंने डिविडेन्ड नहीं दिया इसके लिये मैं नहीं कह सकता लेकिन आगे के लिये क्या कदम उठा सकते हैं उसके लिये मैं यह कहूंगा कि राज्य सरकार का जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वह सेफ रहे, इसके लिये क्या कदम उठाना चाहिये इस दिशा में राज्य सरकार पूरी तरह जागरूक है और रहेगी ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जो बातें मैंने आपके सामने पेश की हैं उनसे आपको सन्तोष हुआ होगा ।

श्री भैरोंसिंह : इनको लोन में कन्वर्शन करने की क्या स्थिति है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि सेक्रेटेरियेट में इस प्रकार की योजना है कि ये केपिटल के शेयर्स लोन में कन्वर्टेड हो जावेगे। आज नहीं तो ६ महीने के बाद आप देखेंगे कि यह हो गया है।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, आपको आपकी सी.आई.डी.ने सूचना दी होगी। लेकिन कार्यालय में मेरे पास कोई ऐसी बात अभी तक नहीं आई है। अगर आवेगी तो राज्य सरकार ध्यान देगी।

श्री अध्यक्ष : सरकार की तरफ से डाइरेक्टर वहां पर जाते हैं, वे क्या करते है ? क्या उन्होंने आपको कभी रिपोर्ट इस बात की दी कि कम्पनी की क्या पोज़िशन है और क्या मुनाफा हो रहा है। आपके डाइरेक्टर अगर यह नहीं करते तो वहां पर जा कर क्या करते है ?

श्री हरिश्चन्द्र : पास्ट कन्वेन्शन्स क्या रहे हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो भी अब डाइरेक्टर जावेंगे वे इन्डस्ट्री डिपार्टमेंन्ट से विशेष डाइरेक्शन लेकर जावेंगे और उसी तरह से सरकार का रिप्रिजेन्टेशन करेंगे। पास्ट में क्या हुआ है मैं नहीं कह सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय,......

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस समाप्त हुई। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी।

(६.४५ म० पू०)

१. राजस्थान नगर-सुधार (संशोधन) विधेयक, १९६४

२. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४

(प्रवर समिति में भेजने विषयक वाद-विवाद)

श्री परसराम मदेरणा उप-मन्त्री, भवन तथा नगर विकास प्रन्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंन्ट (एमेन्डमेंन्ट) बिल, १९६४ को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मुरलीधर व्यास।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका (संशोधन) विधेयक जो आज पेश होने वाला है यदि उसको भी इसके साथ ले लिया जावे, दोनों पर बोल लेंगे और इससे समय की बचत हो जावेगी।

श्री अध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो ऐसा किया जावे। इसका भी प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४ को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन), विधेयक, १९६४ तथा नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १९६४....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि सारे माननीय सदस्यों को बोलना है और दो विधेयकों को पारित करना है इसलिये आप संक्षेप में बोलें !

श्री मुरलीधर व्यास: इन दोनों विधेयकों को साथ साथ लेने का आपकी ओर से आदेश हुआ है। वैसे दोनों एक से ही हैं, पर इन दोनों में जो मार्ग-दर्शन दिया गया है और जो जो सरकार ने अपनी नीति अपने उद्देश्यों में दिखाई है इसको देखने से कुछ सामाजिक और सैद्धान्तिक तथ्य सामने आये हैं। वे इस प्रकार के हैं कि सरकार ने इसे माना है कि आज के समाज में एक ओर मनुष्य है और दूसरी ओर समाज है और मनुष्य का जो कुछ भी विकास होता है वह समाज के प्रयत्न से ही होता है और जब समाज के प्रयत्नों से मनुष्य का विकास हो सकता है, मनुष्यों द्वारा किया गया किसी काम का श्रेय और लाभ है वह समाज को मिलना चाहिये। यह उद्देश्य दर्शाया गया है और इसी उद्देश्य का नाम समाजवाद कहा जा सकता है। अब जहां तक समाज के प्रतिनिधि को इसके अन्दर मान्यता दी गई है और यह भी माना गया है कि समाज के प्रयत्न से ही किसी भी संपत्ति का मूल्य भी बढ़ता है और वह संपत्ति जिसकी है उसका मूल्य भी बढ़ता है; इस संबन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये दो संशोधन विधेयक जिनके अन्दर महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, इनके अन्दर जो भी संशोधन युमनिसिपैलिटी और अरबन इम्प्रूवमेंन्ट ट्रस्ट में लाये गये हैं, उनमें कुछ ऐसे प्रश्न भी आये हैं जिनमें कुछ बुनियादी परिवर्तन करने की जरूरत है। एक ओर समाज में ऐसा व्यक्ति बैठा है जो पिछड़ा हुआ है, जिसके पास रहने के लिये न तो मकान है न दूसरे साधन हैं। जहां तक सफाई, स्वच्छता और दूसरे साधनों का प्रश्न है हमने देखा है कि सरकार ने उसकी मेहनत के लिये उसको कुछ नहीं दिया है, जिसकी मेहनत से समाज का धन और धनी लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उनको इन व्यक्तियों ने जो लाभ दिया है उन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं रखा है। आज भी हम देखते हैं कि चाहे नगरपालिका का क्षेत्र है, चाहे अर्बन इम्प्रूवमेंट का क्षेत्र है, चाहे जागीरदार का पुराना जागीरी स्थान हो, चाहे उनकी बड़ी बड़ी कोठियां हों, बाग-बगीचों में कन्वर्ट किया हो या और तरीके से कन्वर्ट किया हो, जिसका उन्हें लाभ मिल रहा है और आज सभी जानते हैं कि इस प्रकार से लोगों ने लाभ लिया है, समाज और समाजवाद के नाते स्वीकार किया है कि उनको जो लाभ मिला है, समाज के प्रयत्नों के कारण मिला है, उन लोगों ने किसी भी प्रकार से उन जमीनों से अनुचित लाभ उठाया है तो सरकार को इस प्रकार की भी व्यवस्था करनी चाहिये कि उसको किस प्रकार रोका जाय। मैं कहना चाहता हूं कि जयपुर के इलाके को ले लीजिये। अकेले जयपुर क्षेत्र में आज इस प्रकार के बहुत से स्थान हैं, जैसा आपने आज भी इसके अन्तर्गत रखा है, अगर समाज के प्रयत्नों से जमीन का किसी चीज का मूल्य बढ़ता है, जमीन

(श्री मुरलीधर व्यास)

को दूसरे रूप में कोई व्यक्ति परवर्तित करता है, उसका मूल्य बढ़ता है और उस बढ़े हुए मूल्य का हिस्सा समाज में नहीं आता। तो उसके लिये आपने व्यवस्था की कि यह रुपया समाज के खजाने में, सरकार के खजाने में आ सके तो इसमें यह व्यवस्था भी होनी चाहिये कि आज तक जिन लोगों ने अपनी भूमि, चाहे बाग-बगीचे के लिये थी या और किसी काम के लिये थी उसको आबादी लैंड में कन्वर्ट कर दिया, उस जमीन के प्लॉट्स बनाकर बेचे और उसको आबादी लैंड में कन्वर्ट कर दिया और इससे उसने काफी लाभ उठाया। आज सारे राजस्थान में इस प्रकार से यह बहुत बड़ी तादाद में हुआ है। तो सरकार को इसमें ऐसा प्रावधान भी रखना चाहिये था कि आज तक जिन जिन लोगों ने अपनी भूमि को आबादी लैंड में कन्वर्ट करके उसमें परिवर्तन किये हैं, जिससे कि उनकी जमीनों की कीमत बढ़ी है, उस परिवर्तन से उन लोगों ने बहुत बड़ा लाभ उठाया है, उनके ऊपर भी प्रावधान रहना चाहिये था जिससे कि सरकार के खजाने में, इस प्रकार के परिवर्तनों से हुए लाभ का हिस्सा आ सकता है।

आज हमें रुपयों की आवश्यकता है। गरीब से गरीब आदमी पर भी हम रुपया इकट्ठा करने के लिये टैक्स लगाते हैं और हम अपनी घोषणा में कहते हैं कि चाहे किसी के पास केवल एक एकड़ जमीन है और उस एक एकड़ में हमारे प्रोजेक्ट्स का पानी फिरता है तो उसको बैटरमेंट लेवी देनी होगी। तो ऐसी दशा में जो बेटरमेन्ट, जो विकास सरकार के प्रयत्नों से शहरों में हुआ है और इस कारण लोगों के मकानों की जायदाद की कीमत बढ़ी है, शहरों के विकास के कारण इन मकानों और जायदाद का वेल्यूएशन पुराने समय से कितना बढ़ा है, कितना कितना किस किसने लाभ किस किस प्रकार से लिया है यह सब मालूम करके जितना लाभ लिया है उसका बीच का मार्जिन सरकार के पास किस प्रकार आना चाहिये, इस प्रकार का इसमें होना चाहिये था, वह प्रावधान इसमें ही है। पहले के एक्ट में इस प्रकार के प्रावधान नहीं रखे गये, इसलिये सरकार इनके नाम का हिस्सा नहीं ले सकी, पर अब इसमें इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिये कि जिन लोगों ने जमीनों को दूसरे रूप में परिवर्तित करके लाभ उठाया है, उस लाभ को भी इसमें जोड़ना चाहिये था और राज्य सरकार को उसे वसूल करना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार आज जब नीति-परिवर्तन कर रही है तो सरकार को अपनी विचारधाराओं को बदलना चाहिये। जहां तक नगर विकास का सवाल है सरकार ने ऐसा रुख मान लिया है कि मानों इसमें ऐसे लोगों को पूरी आजादी दे दी है। इतने वर्षों में किसी व्यक्ति ने सरकार से किसी एक खास काम के लिये जमीन ली, मान लीजिये किसी व्यक्ति ने गन्ने की फैक्टरी के लिये कहीं पर जमीन ली, किसी व्यक्ति ने किसी और औद्योगिक कार्य के लिये जमीन ली, किसी ने किसी दूसरे कार्य के लिये जमीन ली, पर आज आप इसमें परिवर्तन करने का उनको अधिकार देना चाहते हैं।

आज कोई व्यक्ति अपने औद्योगिक धन्धे को बदलना चाहता है, जिस धन्धे के लिये,

Page No. 54

(श्री मुरलीधर व्यास)

जिस उद्योग को चलाने के लिये उसने सरकार से जमीन ली है, उस जमीन को उस काम में न लेकर दूसरे काम में ले लेना चाहता है और उसका रूप परिवर्तन करना चाहता है तो वह सरकार आज्ञा मांगेगा और सरकार से आज्ञा प्राप्त करके उस जमीन से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठायेगा। आज कई व्यक्तियों ने कई प्रकार से कई जमीनों पर अपना अधिकार जमा रखा है, आपने किसी व्यक्ति को गन्ना फैक्टरी के लिये जमीन दे दी कि उसमें गन्ना बोयेगा, पर गन्ना फैक्टरी डूब रही है इसलिये वह उस जमीन को किसी और काम में लेकर ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा रहा है। जिस मूलभूत उद्देश्य को लेकर सरकार ने उसको जमीन देने का प्रावधान रखा था उससे सरकार को अब नुकसान होता है और वह परिवर्तन करके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहता है तो उसे ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिये। सरकार को इस सम्बन्ध में इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि समाजवाद का मूल्यतन्त्र उसमें आ सके।

शहरों में जितनी आबादियां बसी हुई हैं, गन्दी बस्तियों के नाम से उन्हें पुकारते हैं, जहां गरीब आदमी झोंपड़ियों में सदियों से रहते हैं, उनके सम्बन्ध में सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि जो लोग सदियों से वहां रहते हैं उन्हीं को वे जमीनें अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड से थोड़ी कीमत में दिला कर, वहां पर सड़कें, छोटी छोटी नालियां आदि बनवा कर उनको छोटे छोटे मकान बनाने की इजाजत दे दे। इस प्रकार की व्यवस्था करने के बजाय उल्टे आपने उन लोगों को उन जगहों से हटाया है, उन जमीनों को दूसरों को नीलाम किया है और इन गरीबों को उजाड़ा है। इन बातों के ऊपर भी आपका निर्देश होना चाहिये कि इस प्रकार की जमीनों पर जो लोग सदियों से आबाद हैं, उनको ही वे जमीनें दे दी जायंगी। ऐसी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए आपको योजना बद्ध तरीके से इनको बसाने का कार्य करना चाहिये, वहां पर सफाई आदि का पूरा प्रबन्ध करके उन लोगों को वहां ठीक ढंग से आबाद करना चाहिये। पर आपने इस प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं किया है। उसका नतीजा यह हुआ है कि जो गरीब आदमी शहरों में में कहीं आबाद थे उनको शहरों से दूर फैंका गया है। शहरों में जिन लोगों ने रहने के मकानों के लिये जमीनें लीं, जो मकान रहने के लिए लिये उनमें वे उद्योग कायम कर रहे हैं, उद्योगों में परिवर्तन करना चाहते हैं और इस प्रकार शहरों के बीच, आबादी के बीच उद्योग चला कर न्यूसेंस पैदा करना चाहते हैं आप शहरों में जो लोग रहने के लिये ली हुई जमीन में उद्योग कायम करना चाहते हैं उनको उद्योग खोलने की इजाजत दे देते हैं। शहरी इलाकों में मैंने देखा है कि कई लोगों ने ऐसी जमीनों पर जो रहने के लिये ले रखी हैं, वहां कहीं आॅइल एंजिन लगा रखे हैं, कहीं और प्रकार के कारखाने खोल रखे हैं, और इस तरह से शहरों के अन्दर न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं। आप लोगों को इस प्रकार छोटे छोटे उद्योग शहरों में चलाने की इजाजत देंगे, कारखाने खोलने की इजाजत देंगे तो इससे शहरों में न्यूसेंस पैदा होगी। इसलिए मैं निवेदन करना

Page No. 55

(श्री मुरलीधर व्यास)

चाहता हूं कि आपके प्रावधान ऐसे होने चाहिये कि शहरों के अन्दर जो रहने की जमीन है उसमें इस प्रकार उद्योग चलाने के लिये कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जानी चाहिये, आपको इस प्रकार का प्रावधान रखना चाहिये कि शहरों के अन्दर जो मकान हैं, जो जमीनें हैं वहां औद्योगिक कारखाने जिनसे कि शहरों में न्यूसेंस पैदा होता है, वहां खोलने की इजाजत नहीं देंगे।

एक तरफ इन्डस्ट्रियल बस्तियां शहरों से दूर बसा रहे हैं और इस प्रकार का प्रावधान इसमें कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि कम से कम सरकार इस मामले में विचार करेगी और जो दृष्टिकोण इसमें रखा है कि समाज की प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं तो वह बढ़ानी चाहिये।

यह व्यवस्था रखी गई है कि वह नगरपालिकाओं को कुछ पैसा आयेगा वह कन्सोलिडेटेट फण्ड में जमा होगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो परिवर्तन होता है, नगर विकास होता है, नगर विकास के जरिये जो पैसा लगाया जाता है उसके जरिये भी विकास होता है या नहीं ?

(१०.०० म० पू०)

विकास होता है, उस विकास से लैंड वैल्यूएशन बढ़ जाती है और बदले हुए रूप में जो प्रोपर्टी बढ़ती है उसमें नगरपालिका को भी कम से कम या अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आप उस पैसे को लगाएंगे और वह पैसा जो नगरपालिका का खर्च हुआ है या अर्बन इम्प्रूवमेन्ट का खर्च हुआ है, उसके अंतर्गत उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे मसले को कम से कम हर नगरपालिका के पास हर अरबन इम्प्रूवमेन्ट के पास में भेजा जाय, वहां के लोग भी सोच सकें। जो नगरपालिका के अन्दर नाना प्रकार की खामियां हैं और कानून के अन्तर्गत जो खामियां हैं उसे नगरपालिका वाले बेचारे चलाते रहते हैं, बहुत सी खामियां हैं। अभी जैसा जनता के समक्ष जो कानून है उसमें बुनियादी परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो वहां पर जो कभी कभी ऐसी अमेंडमेंट आती है उनके अन्दर उन लोगों की राय लेना बहुत आवश्यक होता है। तो मैं समझता हूं कि ये दोनों विधेयक, क्योंकि नीति के दृष्टिकोण से इनके अन्दर एक निर्देश बनता है और उस निर्देश के आधार पर एक बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है सरकार इसको महसूस करती है कि परिवर्तन की आवश्यकता है तो कम से कम सरकार इसको जनमत के लिए प्रसारित करे ताकि जनता के पास यह बात जा सके। नगरपालिकाओं और अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्डों को अपने रातदिन के कार्य करने में दिक्कतें पैदा होती हैं उनको देखते हुए क्या संशोधन करना है, यह वे बता सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

तो दोनों विधेयकों में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। ये जनता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं इसलिए भी मैंने इनको

Page No. 56

(श्री मुरलीधर व्यास)

जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, हमने तो समझा था कि विधि कर्त्ता ऐसा संशोधन लाएंगे जिससे नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है या नगरपालिकाओं के जो कागजात विभिन्न विभागों में जाते हैं और वहां पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती हैं, उनमें कोई सुनवाई नहीं होती है, उसे सुधारा जायगा; लेकिन हमने जब दोनों विधेयक देखे तो बुद्धि का दिवाला निकल गया। अध्यक्ष महोदय, इसमें आर्थिक स्थिति को सुधारने का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें जो कागजात के बारे में सुनवाई नहीं होती है, उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है, और ट्रस्ट से सदस्यों को निकालने का भी कोई प्रावधान नहीं है। हमने तो यह समझा था कि शोभाराम को निकालने का कोई न कोई अमेन्डमेन्ट लाया जा रहा है! अध्यक्ष महोदय, यह बात तो जाने दीजिए, लेकिन नगरपालिका की तरफ से जो सूचना संबन्धित विभागों में जाती है उस बारे में कोई कार्यवाही नहीं होती।

मैं एक बहुत ही सीरियस मामला सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। कोई पाकिस्तान का गिरोह कुछ दिनों से जयपुर डिवीजन का भ्रमण कर रहा है और तारीख २७ को निवाई नगरपालिका के दो कुन्डों में विष डाला गया और उस विष का तारीख २८ की सुबह को मालूम होता है कि कुछ व्यक्ति पानी भरने के लिए जाते हैं, मच्छियां मरी हुई देखते हैं, इसकी सूचना नगरपालिका का देते हैं कि दो कुन्डों में, जहां से ४ हजार जनता पानी भरती है, किन्हीं व्यक्तियों ने विष डाल दिया है। नगरपालिका की तरफ से गवर्नमेन्ट को सूचना आती है, हैल्थ मिनिस्टर को तार दिया जाता है, चीफ मिनिस्टर को तार दिया जाता है और वहां पर कुन्डों की सफाई कराई जाती है। कुन्डों की करीब सैकड़ों मच्छियां मरी हुई पाई जाती हैं और रोटी के टुकड़े मिलते हैं, उनकी डाक्टरी जांच होती है, डाक्टरी जांच से सिद्ध होता है कि रोटी के टुकड़ों में इस प्रकार का विष मिलाया गया है जो विष पानी के अन्दर फैलकर ऐसा हो गया है कि पीने वाला कभी जिन्दा नहीं रह सकता। इसी प्रकार मच्छियों को जो डाक्टरी जांच हुई है उसमें डाक्टर ने राय दी है कि इसमें विष है जिसको पीने से आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का जो गिरोह हमारे जयपुर डिवीज़न में जगह जगह पर कुछ पेय स्थान हैं वहां पर विष डालने का कार्य कर रहा है और उसके विरुद्ध जो नगरपालिका सूचना देती है उस पर यदि कोई कार्यवाही न हो तो इससे बढ़ कर शर्म की बात और नहीं हो सकती। तो मैं उपमंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि किस कारण से वहां विष डाली गई और किसने विष डाली और नगरपालिका की सूचना के आधार पर क्या कार्यवाही की?

इसके साथ ही कुछ ऐसे मामले हैं जहां बहुत से प्रशासक नियुक्त हुए थे और अपने कार्यकाल में जो अवैध कार्यवाही की उसकी अभी तक जांच नहीं हुई। मैं उदयपुर प्रशासक के एक-दो उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक ताम्रपत्र खुदवाया, उसकी लम्बाई एक फुट और चौड़ाई आधा फुट, उसके ८०० रुपये लग

(श्री विजयसिंह झाला)

गए और तांम्रपत्र में क्या लिखा है, उसे मैं जरा सदन को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। १६५५ में जब उस भवन का शिलान्यास कर दिया गया था माननीय देशमुख द्वारा, वहां शिलान्यास लगा हुआ है, उसके बाद में अब जब यह प्रशासक महोदय पधारे हैं नगर-पालिका की अवधि समाप्त होने पर तो उन्होंने इस प्रकार से तांम्रपत्र जिसको बाजार से बेचें तो ४ रुपए से अधिक कीमत नहीं मिलेगी उसके ८०० रुपये क्यों दिये ?

श्री अध्यक्ष : कहां की बात है ?

श्री विजयसिंह झाला: उदयपुर। हमारे मुख्यमंत्री के नाम है। इसे पढ़कर सुनाना चाहता हूँ :

"टाउन हाल

नगरपालिका परिषद, उदयपुर

शिलान्यास कर्ताः श्री सी. डी. देशमुख, वित्त मंत्री, भारत सरकार

मुख्य संरक्षकः श्री मोहनलाल सुखाड़िया मुख्य मंत्री, राजस्थान

अध्यक्ष नगरपालिकाः श्री निरंजननाथ आचार्य वर्तमान उप गृह मंत्री, राजस्थान"

इसका मतलब यह है कि उप गृह मंत्री बनने के बाद में यह तांम्रपत्र बना है और इसके बाद :

निर्माण कार्य आरम्भ दिनांक १-१-५७

तत्कालीन कार्य-सलाहकार अभियन्ता : श्री जिया-उद्दिन-अहमद।

प्रभारी ओवरसियर : श्री उदयलाल शर्मा

एडमिनिस्ट्रेटर : श्री देवीप्रसाद चतुर्वेदी जिनके कार्यकाल में निर्माण कार्य को दुर्गति (द्रुतगति) मिली।"

श्री अध्यक्ष : द्रुतगति मिली या दुर्गति मिली ?

श्री विजयसिंह झाला : मैं तो दुर्गति मानता हूं।

"**ठेकेदार** : श्री नारायण लाल बजाज,
शिल्प स्थापत्य विशारद : श्री गि. लि. धराधर, बी. एस सी, जी. डी. आर्य, ए. आई. आई. ए.

कार्यवाहक अभियंता—श्री उदयलाल शर्मा।

मिस्त्री : श्री दुल्हेसिंह लोढा।"

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि यह ताम्र-पत्र अपने सदन की प्रोपर्टी बन जाय ताकि उदयपुर का एक उदाहरण हमारे सामने रहेगा जहां के मुख्य मंत्री हैं, वहां का प्रशासक किस प्रकार के ताम्र-पत्र तैयार करवाते है, जो राजस्थान की हिस्ट्री के अन्दर एक प्रकार का उदाहरण बन सकता है, उसके लिए ८०० रु., जिसको बाजार में बेचें तो ४ रुपये नहीं आ सकते, इस प्रकार से प्रशासक अवैध कार्यवाहियां करते है।

(श्री विजयसिंह झाला)

इतना ही नहीं इन्होंने एक मोटर लांच २०,००० में खरीदी, वह खरीदने के बाद में आज तक मोटर लांच नहीं चली है। उसके बाद में ३,००० रु० और खर्च कर दिये। २३,००० खर्च करने के बाद में अभी तक एक दिन भी वह नहीं चली है और नियमानुसार यूटिलाइज़ेशन सर्टीफिकेट आना चाहिए। यदि चलती तो यूटिलाइज़ेशन सर्टीफिकेट आ जाना चाहिए था, तो यह २३,००० हजार का घोटाला है।

इस प्रकार से जो नगरपालिका का पैसा है वह प्राइवेट प्रोपर्टी में भी चुनाव के दिनों में लग जाता है और केवल मुख्यमंत्री के आदेश से। वहां बोरों की टाटियां हैं, प्राइवेट कम्यूनिटी है, प्राइवेट प्रोपर्टी है, नगरपालिका का पैसा नहीं लगना चाहिए था लेकिन चुनाव के दिन थे, मुख्यमंत्री ने मौखिक आदेश दिये और उस आदेश पर कुछ पैसा नगरपालिका ने बोरों की टाटियों के लिए खर्च किया। अब सवाल पैदा होता है कि क्या वह पब्लिक प्रोपर्टी है ? सभी सोच सकते हैं कि यह कम्युनिटी प्रोपर्टी है, प्राइवेट प्रोपर्टी है। जो पैसा नगरपालिका ने खर्च किया है उसके लिए क्या कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार की अनियमितताएं नगरपालिका के प्रशासक के अवधिकाल में हुई हैं। मैं समझता हूं कि उसकी एन्क्वायरी होनी चाहिए विभिन्न नगरपालिकाओं में भी जहां कहीं इस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं, एक कमेटी के द्वारा जांच होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एक बार हमारे नेता माननीय भैरोंसिंहजी ने कपासन का मसला उठाया था और कहा था कि उस समय के चेयरमैन हमारे उप-मंत्री, पी. डब्ल्यू. डी. थे और उनसे वह मामला सम्बन्धित था और उसमें घोटाला हुआ है। उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जबाब दिया था कि जो जमीन पट्टे के आधार पर दी है उसका सम्बन्ध नगरपालिका से नहीं है। मैं कुछ डॉक्युमेन्ट्स आपकी इजाजत से सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। उनसे स्पष्ट है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन में जो जबाब दिया है वह उसके विपरीत है और उसका सारा का सारा सम्बन्ध नगरपालिका कपासन से था और उस समय के अध्यक्ष ने वह रुपया नहीं लिया और रोकड़ में जमा होना चाहिये था वह नहीं हुआ। एन्टी-करप्शन के अन्दर वह मामला गया और दो तीन साल बाद वह रुपया एक सहकारी समिति की रोकड़ में जमा किया गया। जब नगरपालिका की ओर से जमीन दी गई थी, इस प्रकार का प्रस्ताव था नगरपालिका का कि कुछ लोगों को दूकानें बनाने के लिए जमीन दी जाय तो सहकारी समिति की रोकड़ में वह रकम जमा होने का सवाल कहां से आया ? उस सहकारी समिति को जमीन देने का कोई अधिकार भी नहीं था। जब हमारे माननीय उप मंत्रीजी, पी. डब्ल्यू. डी., नगरपालिका के अध्यक्ष पद से, चेयरमैन पद से हट गये थे और दूसरे चेयरमैन आ गये थे और उनकी भी अवधि समाप्त हो गई थी तो उन्होंने और कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी उसका कुछ पोर्शन मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं आपकी इजाजत से :

(श्री विजयसिंह झाला)

"उसका हिसाब हमको नहीं समझाया गया है, साथ ही जो रुपया नगरपालिका की ओर से लोन दिया गया है उसकी तादाद कितनी है कितने परसेन्ट से उस पर ब्याज जोड़ा गया है, आदि आदि सभी बातों से अनभिज्ञ हैं ।"

इससे यह स्पष्ट है कि यह कहा गया था कि नगरपालिका से कोई सम्बन्ध नहीं था बिल्कुल गलत है और इससे यह स्पष्ट है कि सारा सम्बन्ध इसका नगरपालिका से था ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी एप्लीकेशन सेक्रे-टरी महोदय सुखाड़िया मार्केट निर्माण समिति, को लिखी गई है उसकी भी कुछ लाइनें मैं आपके सामने पढ़ कर सुना देता हूं :

"विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि म्युनिसिपेलिटी एक बहुत बड़ी रकम लेकर पट्टा देने का कार्य करने वाली है । पहली मांग तो यह है कि आप स्वयम् व निर्माण समिति की कार्य समिति के सभी सदस्य बगैर हमें हिसाब समझाये म्युनिसिपेलिटी द्वारा निर्धारित की हुई रकम देकर पट्टा नहीं लवें ।"

इससे भी यह स्पष्ट होता है कि जो रकम पट्टे की थी वह नगरपालिका में जमा होनी चाहिये थी ।

इसके बाद एक प्रस्ताव पास किया गया था उन व्यापारियों की तरफ से जिन्होंने जमीन चाही थी, उनका भी मैं प्रस्ताव पढ़कर सुनाना चाहता हूं ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय सदस्य जो मुद्दा उठा रहे हैं उसका बिल से कैसे ताल्लुक है ?

श्री विजयसिंह झाला : अमेंडमेंट लाना चाहिये था । इस समय जो घोटाला हुआ है उसकी जांच होनी चाहिये । नगर-पालिका की आर्थिक स्थिति कैसे बढ़ायी जाय ऐसा संशोधन लाना चाहिये था । × × × × निकल गया है कि वे ऐसा संशोधन लाये हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह × × × × शब्द ठीक नहीं है । इसको प्रोसि-डिंग्ज़ से निकाला जाता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तय कर लिया जाय कि दो बार कहा उसमें से किसको निकाला गया ।

श्री अध्यक्ष : एक दफा कह दिया और दूसरी दफा उसको कहें, वह उचित नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला : मन्त्री महोदय नहीं हैं, बीमार हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवाहमल, जयपुर) : It means bankruptcy of knowledge, nothing else.

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव सदस्यों द्वारा पास किया गया । मैं उसके पोर्शन को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"एक दरख्वास्त श्रीमान् चेयरमैन को दी जाकर उनसे मांग की जाय कि जो सुखाड़िया मार्केट की दूकानों का निर्माण हमारे अथक

××× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गए ।

(श्री विजयसिंह झाला)

परिश्रम द्वारा कमाये हुए धन से हुआ है उसका हमें हिसाब समझाया जाय साथ ही बोर्ड द्वारा जो रकम दी गई हैं उसका ब्याज क्या जोड़ा गया है तथा कितना लोन दिया है, उसका हिसाब हमें समझाया जावे ऐसी एक दरख्वास्त उन्हें रजिस्ट्री द्वारा दी जावे"।

अध्यक्ष महोदय, नाम क्या है 'सुखाड़िया मार्केट'।

यह एक प्रस्ताव उन सदस्यों का है जो कि बिल्कुल स्पष्ट है। मुख्य मन्त्री ने सदन में जो वक्तव्य दिया था उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि इसका नगरपालिका से सम्बन्ध नहीं था, उससे मेल नहीं खाता है।

अध्यक्ष महोदय, एक पत्र सुखाड़िया साहब का मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : Sir, is this the same question in which the Chief Minister made a statement in the House ?

श्री विजयसिंह झाला : मैंने पहले ही इजाजत ले ली है।

श्री अध्यक्ष : वही मामला है। उस समय कहा गया था कि उसका सम्बन्ध इससे नहीं था। यह कहा गया था कि यह प्रश्न म्युनिसिपेलिटी से सम्बन्धित नहीं था। माननीय सदस्य यह बताना चाहते हैं कि म्युनिसिपेलिटी से इसका सम्बन्ध कैसे है।

श्री विजयसिंह झाला : उस समय कह दिया गया था कि रुपया जमा नहीं हुआ और एन्टीकरप्शन की इन्क्वायरी कराने के बाद में स्टेटमेंट दिया था।

उसी को स्पष्ट कर रहा हूं। एन्टीकरप्शन पर भी आता हूं। यहां आश्वासन देने के बाद में, एन्टी करप्शन विभाग के आई. जी. पी. कपासन जाते हैं, वे उन्हीं व्यक्तियों से पूछते हैं, जो इसमें इन्वोल्व्ड थे। उन्होंने दूसरों से कोई पूछताछ नहीं की। एक मोहनलालजी ने माननीय मोहनलालजी को पत्र लिखा है; लिखने वाले भी मोहनलाल जी और जिनको लिखा गया है वे भी मोहनलाल जी। पहले मोहनलालजी हैं वे वहां के प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता हैं। उन्होंने दूसरे माननीय मोहनलालजी को इसके विषय में एक पत्र लिखा। वह इस प्रकार है :

"विषय : सुखाड़िया मार्केट कपासन निर्माण में घोटाला सम्बन्धी हिसाब की जांच हेतु।

महोदय जी, नम्र निवेदन है कि कुछ दिनों पहले भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के कार्यकर्त्ता श्री आई. जी. पी. साहब यहां पर इस घोटाले की जांच की कार्यवाही हेतु पधारे और उन्हीं व्यक्तियों से मिल कर इस विषय में जांच की जिन पर कि इस घोटाले का आरोप था तथा हम हस्ताक्षरकर्त्ताओं से जो कि इस घोटाले की पूर्ण रूप से जांच कराने के पक्ष में हैं और हमारे द्वारा सही जानकारी करने में उनको मदद मिल सकती थी, उससे हमको वंचित रख हमको पूछ-ताछ किये बिना उन्हीं लोगों से मिल कर, जिन पर कि आरोप है, वापिस यहां से तशरीफ ले गये तथा विश्वस्त सूत्र से यह भी ज्ञात हुआ कि सम्बन्धित हिसाबात की बहियें रसीद एवं

(श्री विजयसिंह झाला)

आवश्यक कागजात अपने चार्ज में नहीं लिये और घोटाला करने वालों की ओर से कार्यवाही में ढिलाई लाने के लिए अनेकों उपाय किये जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों का अनुरोध है कि इसकी खुली जानकारी कर कार्यवाही की जावे"

इस पर मुख्य मंत्री महोदय ने क्या उत्तर दिया वह भी मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

"८०४३ । कोन० से० । ६३
जयपुर
राजस्थान
४ ओक्टोबर, १९६३

प्रिय मोहनलालजी,

आपका पत्र मैंने पढ़ा। आपने उसमें लिखा है कि एडीशनल आई. जी. पी. ने पूरी जांच की। लेकिन मैं आपके पत्र से यह नहीं समझ पाया कि आपका आक्षेप क्या है और आप किस बात की जांच चाहते हैं? आप जानते हैं कि बहुत सी चीजों के लिये कायदे से कार्यवाही की जा सकती है और उसमें भ्रष्टाचार विभाग की जांच की आवश्यकता नहीं होती। कृपया आप स्पष्ट लिखें कि आपका क्या आक्षेप है और किन पर है।

आपका
मोहनलाल सुखाड़िया"

अध्यक्ष महोदय, अर्थ स्पष्ट लिखने की क्या आवश्यकता है जबकि उन्होंने इतना स्पष्ट कहा है और लिख दिया है कि एन्टी-करप्शन विभाग के आई. जी. पी. स्वयम् वहां गये थे, उन्हीं से उन्होंने पूछताछ की जो कि उस घोटाले में स्वयम् इन्वोल्ड थे, उनसे नहीं पूछा गया जो इसमें शिकायत कर रहे थे। फिर वैसी जांच कराने से कोई मतलब नहीं है। मुख्य मंत्री महोदय ने ऐसा कैसे जवाब दिया? तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के जो घोटाले हैं इनकी जांच होनी चाहिये। साथ ही साथ मैं यह भी सदन के अन्दर रखना चाहूंगा कि जो स्टेटमेंट यहां मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया, वह डोक्यूमेन्टरी आधार पर, जो कि मैंने रखे हैं, सही नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो ही मिनिट में समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, उदयपुर अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बारे में जो मैंने डॉक्यूमेंटरी प्रूफ रखे थे, मैंने यह भी निवेदन किया था कि गुलाम अब्बास खां जो सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सदस्य नियुक्त किये गये हैं इनके बारे में गत सत्र में भी मैंने इनके खिलाफ डोक्यूमेंटरी एवीडेन्स दी थी और कलेक्टर ने भी यहां पर मिनिस्टर महोदय को लिखा था, इस प्रकार का षडयन्त्र किया जा रहा है। जिसमें राजनीतिक प्रभाव है। इसका एक महीने में केस डिसाइड होना चाहिये, लेकिन सात साल तक डिसाइड नहीं होता है, उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत आज भी करते हैं; उस व्यक्ति का पानर वा कांड में बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ शिकायत होती हैं उसके बावजूद भी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का सदस्य बना देते हैं इसलिये मैं मांग करूंगा कि इस सदस्य को इम्प्रूवमेंट बोर्ड से निकाल देना चाहिये।

इसके अलावा मैंने आदर्श बस्ती उदयपुर का भी प्रश्न रखा था उसके लिये बरकतुल्ला

(श्री विजयसिंह झाला)

खां ने कहा था सिटी इम्प्रूवमेंट के जो सदस्य थे उन्होंने यह अलॉटमेंट किया था, उनके विरुद्ध मैं डॉक्युमेंटरी प्रूफ देना चाहता हूं। हमने कहा इसका अलॉटमेंट पहले हुआ उस अलॉटमेंट को कैन्सिल कर दिया गया था। कैन्सिल करने के बाद जो इस समय सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के समाजवादी सदस्य श्री भाई भगवान हैं उन्होंने पत्र लिखा सिटी इम्प्रूवमेंट सेक्रेटरी को कि जो अलॉटमेंट हमने सदस्यों द्वारा कराया था क्या उसको कैन्सिल कर दिया है। उस पर सेक्रेटरी साहब ने लिखा वह मैं सदन के सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। सेक्रेटरी साहब लिखते हैं यह' सारा कार्य ऊपर के आदेश से किया गया। इसके सिवाय कुछ नहीं लिखा। ऊपर का आदेश क्या खुदा का आदेश था। खुदा थे या कौल साहब थे। केवल यह लिखा गया क्या खुदा जो ऊपर हैं वह जमीन पर भी आता है? यदि वह आता है और उसका आदेश था तो वह भी बता दिया जाय। यह आप कह दें कि खुदा धरती पर आता है और उसी के आदेश से यह हुआ तो हम इस प्रकार का प्रश्न नहीं उठायेंगे। इस प्रकार से असत्य जवाब दिया जाता है उसका निराकरण होना चाहिये। क्या सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा अलॉमेन्ट हुआ था, यदि हुआ था तो इस प्रकार दूसरे सदस्य को ये सारी बातें लिखने की आवश्यकता थी।

श्री **परसराम मदेरणा** (उप–मन्त्री, भवन तथा नगर विकास प्रन्यास) : किस अलॉटमेंट के बारे में कह रहे हैं?

श्री विजयसिंह झाला : आदर्श बस्ती, उदयपुर के बारे में जिसका आठ लाख रुपये का सौदा हुआ था ताकि नगरपालिका के चुनाव के समय वोट मिल सकें। इस मामले को ज्यादा मैं उठाना नहीं चाहता, यह मामला पहले भी आ चुका है।

मैं अन्त में यह मांग करूंगा कि इस संशोधन के जरिये जिस भूमि को आबादी लैन्ड में परिवर्तित किया जाता है उसकी फीस ली जायगी। मैं उसके लिये मांग करूंगा कि उससे जो आमदनी होगी उसका ५० प्रतिशत नगरपालिका को दिया जायगा। इसके अलावा ये जमीन जो अलॉट होती हैं उसके अधिकार भी म्युनिसिपेलिटी को होने चाहिये। इसके आलावा जहां जहां म्युनिसिपेलिटीज़ हैं जहां अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो तो उनको भंग कर देना चाहिये। और ये सारे के सारे अधिकार नगरपालिका को दे देने चाहिये, क्योंकि यह चुनी हुई बॉडी है। आप ट्रस्ट में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करते है जो कांग्रेसपार्टी के हैं। शोभारामजी के बारे में एतराज उठाया गया था कि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया फिर भी क्यों नहीं हटाया। कुछ आपके ऐसे आदमियों को आप धर्मादे के रूप में कुछ देना चाहते हैं तो आपको सदन द्वारा धर्मादा फण्ड के लिये मन्जूरी लेनी चाहिये, सदन उसके लिये सहर्ष मन्जूरी देगा। लेकिन इस प्रकार हारे हुए मन्त्रियों, हारे हुए एम० एल० एज़०, उनके एजेन्ट्स, उनको धर्मादा फण्ड में से देना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन प्रजातन्त्र की हत्या करके इन लोगों को इसमें रखना चाहेंगे तो हम कभी सहन नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं पुनः इस ओर

(श्री विजयसिंह झाला)

ध्यान आकर्षित करता हूं कि पाकिस्तानी एजेण्ट्स उदयपुर डिवीजन में कुओं के अन्दर जहर डालने में सक्रिय हैं, इस बारे में अवश्य कार्यवाही करेंगे और उससे सदन को अवगत करावेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : एक दर्जन सदस्य इस पर बोलने वाले हैं, उनका भी ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों बिल्स को साथ साथ लिया जा रहा है, मेरे दोनों पर संशोधन हैं। मैं अपने विचार राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ अमेन्डमेन्ट बिल पर ही व्यक्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार विकेन्द्रीकरण के नाम पर आज नगरपालिकाओं को केवल अपनी आय पर ही जिन्दा रखना चाहती है। आशा तो यह की जाती थी कि विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को मान लेने के पश्चात् सरकार नगरपालिकाओं को स्वावलम्बी बनायेगी। उनकी जो आय के श्रोत हैं उनके अन्दर किसी प्रकार की रुकावट न डालकर आमदनी के साधन जुटाने को प्रोत्साहन देगी। और बाद में उस आमदनी से खर्च करने में नगरपालिका स्वतंत्र रहेगी। इसके साथ साथ यह आवश्यक है कि खर्चे में मिसयूज़ न हो, गबन घोटाले न हों इसलिये सरकार उस पर अपना चैक रखेगी; लेकिन सरकार का रवैया इस प्रकार का दिखाई देता है कि धीरे धीरे सरकार सारी म्युनिसिपेलिटीज़ को अपने चंगुल में लेना चाहती है। इस नीति के द्वारा एक राजनैतिक गंदा वातावरण नगरपालिकाओं में बनाना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपल एक्ट की भिन्न भिन्न धाराओं की तरफ ध्यान आकर्षित करता हुआ मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि आज सरकार किस प्रकार से म्युनिसिपेलिटी के जो आय के श्रोत हैं उनको खत्म करती जा रही है। जहां तक म्युनिसिपेलिटी को सब से बड़ी आमदनी हो सकती थी वह उन म्युनिसिपेलिटीज़ में जिनकी आबादी बराबर बढ़ती जा रही है उनकी आय का सब से बड़ा श्रोत हैं वहां की जमीन की बिक्री! जहां तक जमीन बिक्री का सवाल है, उसकी मिल्कियत का सवाल है वह म्युनिसिपेलिटी की होती है, वह जमीन आबादी लैन्ड है जो म्युनिसिपल सीमा के अन्दर है, उनको बेचने का अधिकार या उनको किराये पर उठाने का अधिकार म्युनिसिपेलिटी का होता है।

धारा ६२ राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार जितनी जमीन म्युनिसिपल सीमा के अन्दर है उनको बेचने का अधिकार म्युनिसिपैलिटी ज़ को दिया हुआ है। लेकिन इस अधिकार को धारा ६२ सब-क्लाज २ ई, के सब क्लॉज ३ और धारा ८० के द्वारा एकदम सीमित कर दिया गया है। इसके बारे में कलेक्टर और सरकार को अधिकार दिया गया है कि सरकार किसी विशेष कार्य के लिये म्युनिसिपल जमीन को अपने अधिकार में ले

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सकती है। जहां तक इन अधिकारों को इतना सीमित कर दिया गया है बिना कलेक्टर की पर्मिशन के म्युनिसिपेलिटी अपनी जमीन को नहीं बेच सकती। लैन्ड रेवेन्यू कानून के अन्तर्गत जितनी भी न्यूलैन्ड है वह गवर्नमेन्ट में वेस्ट करती है। स्थिति यहां भी इसी प्रकार की है म्युनिसिपैलिटी की जितनी आबादी लैन्ड है, ऐसी भूमि है जो मकानात बनाने के लिये बेची जा सकती है, उसको म्युनिसिपेलिटी नहीं बेच सकती। सारी की सारी जमीन सरकार के अन्दर वेस्ट करेगी; इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कोटा नगरपालिका क्षेत्र के लिये एक सर्कूलर द्वारा जो ८.६.६१ को जारी किया गया उसमें जमीन बिक्री के लिये आदेश दिये गये कि उसके लिये कमेटी का निर्माण किया जाय जिसके चेयरमेन कलेक्टर हों। वह उस क्षेत्र की जमीन के रेट्स निर्धारित करेगी। उसके बाद म्युनिसिपेलिटी को अधिकार होगा कि वह अपने क्षेत्र की जमीन को बेच सकेगी।

लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तीन साल बीत गये, खास कर जब से जनसंघ की नगरपालिका कोटा में बनी, उसका कार्यकाल समाप्त होने आया, पर अभी तक न मीटिंग हुई है कोई, न कलेक्टर ने कुछ किया है। तीन साल से कोटा में यह नगरपालिका एक इन्च जमीन भी नहीं बेच सकी।

इसके विपरीत नगरपालिका की इस आय को छीनने के लिये सरकार ने इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट और मन्डी कमेटियों का निर्माण किया जिन्होंने लाखों रुपया जमीन बेच कर इकट्ठा किया और आज भी कर रहे हैं। अब इसका क्या अनुपात म्यूनिसिपेलिटी को डेवलपमेन्ट के लिये दिया जाना चाहिये, यह आज तक भी निर्धारित इस सरकार ने नहीं किया है। चालीस-पचास लाख रुपया तक इन्होंने इकट्ठा किया है उसमें से सरकार ने केवल नगरपालिका को ७५ हजार रुपया दिया और वह भी मण्डी कमेटी या इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की रकम में से नहीं, बल्कि जो ग्रान्ट-इन-एड सरकार देती है उसके अन्दर ७५ हजार एडजस्ट करके।

तो क्या सरकार इस प्रकार के कारनामों से विकेन्द्रीकरण की जो संस्था, एक इकाई है, और जिस विकेन्द्रीकरण की सरकार इतनी दुहाई देती है, उस विकेन्द्रीकरण को सफल बनाना चाहती है? सरकार ने उस नगरपालिका की आमदनी को समाप्त करने के लिये और उसकी आमदनी को हड़पने के लिये इन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट और मण्डी कमेटी की आड़ में, इनका निर्माण करके, कोशिश की है। सरकार सारा पैसा खुद ले लेती है। तो इस प्रश्न पर कि म्यूनिसिपेलिटियों को यह अधिकार दिया जावे कि वह स्वावलम्बी बनें, अपना बजट स्वयं बनावें, अपनी रेवेन्यू स्वयं इकट्ठी करें और ग्रान्ट-इन-एड आवश्यक हो सो दिया जावे, इन सारी चीजों पर गम्भीर विचार किया जाना चाहिये।

सरकार ने जमीन ही छीनी हो ऐसा नहीं, म्युनिसिपेलिटी के कार्यों के लिये इन्टरटेनमेन्ट टैक्स लिया जाता है। पर वह भी सरकार खुद लेती है, उसका इससे क्या लेना देना, वैसे देखा जावे तो, क्योंकि जितने सिनेमा हैं वे सब नगरपालिका क्षेत्र में हैं। उसकी सारी

Page No. 65

[श्री कृष्णकुमार गोयल]

आमदनी उसको मिलनी चाहिये। पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार कुछ प्रतिशत रुपया ही उसको देती है।

इसी प्रकार इस एक्ट में यह प्रावधान भी रख दिया है कि मोटर विहिकल एक्ट की तहत भी जितने टैक्स हैं वे सरकार ले। इन पर म्यूनिसिपैलिटियों का अधिकार नहीं है कि वह इन पर कोई नया टैक्स लगा सके। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि नगरपालिका सड़कों को मेन्टेन करती है मोटरों के लिये ग्राउन्ड और शेड आदि की व्यवस्था करती है और भी अन्य प्रकार की जो आवश्यक है वह व्यवस्था करती है पर इसके बावजूद सरकार उसको किसी प्रकार का अधिकार नहीं देना चाहती कि वे भी मोटरों पर टैक्स लगावें।

इसी प्रकार से नये विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। नगरपालिका की आमदनी बढ़ाने के लिये और उसको स्वावलम्बी बनाने के लिये अधिक से अधिक आमदनी के स्रोत निकालने चाहिये जितने निकाले जा सकें। ताकि नगरपालिका सरकार की दया पर निर्भर न रहे। राजनैतिक दृष्टि से सरकार नगरपालिकाओं को अपने हाथ में रखना चाहती है और इसलिये उनको स्वावलम्बी नहीं होने देती।

सरकार इसी दृष्टि से नगरपालिका को हाउस टैक्स लगाने के लिये बाध्य करती है। यह सरकार की गलत नीति है। सरकार इतनी जबर्दस्ती करती है कि वह नगरपालिकाओं को कहती है कि हाउस टैक्स लगाओ, नहीं तो ग्रान्ट इन एड बन्द कर दी जावेगी। यह कतई उचित नहीं है। यह एक प्रकार से नगरपालिका के काम में हस्तक्षेप है सरकार का। आज आपने १०४ धारा जोड़कर इसे ओब्लीगेटरी किया है। हमारा इससे विरोध है। म्युनिसिपल एक्ट में व्यवस्था है कि अगर नगरपालिका उचित समझे कि उसके क्षेत्र में हाउस टैक्स लगाया जाना उचित नहीं है, और अगर ऐसा निर्णय लेकर कोई नगरपालिका सरकार के पास भेजे तो सरकार उस पर विचार करके उसे एक्सेम्प्ट कर सकती है। गजट में शाया किया है इसे। इस प्रकार के बाकायदा प्रस्ताव पास करके नगरपालिकाओं ने सरकार के पास भेजे, पर सरकार ने उन पर आज तक विचार नहीं किया।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, भवन तथा नगर विकास प्रन्यास) : The House tax is obligatory as passed by this House.

श्री कृष्णकुमार गोयल : नगरपालिकाएं कहती हैं कि आज उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे हाउस टैक्स वहां लगावें। मैं १०४ धारा के प्रोविजो की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं :

""Provided further that, upon a representation made to it by, and at the request of, a board, the State Government, if it is satisfied that circumstances exist which sufffciently provide the justification for a board not to levy, or to stop the levy of, any of the taxes mentioned in this section, may by special order published in the official Gazette, along with the reasons for making such

Page No. 66

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

order, permit the board not to levy or stop the levy of any such tax."

इसके तहत नगरपालिकाओं ने प्रस्ताव पास करके भेजे कि आप दुबारा इस पर विचार करें। हमारी नगरपालिका हाउस टैक्स लगाने में असमर्थ है और न यह उसे उचित समझती है। पर सरकार ने एक पर भी विचार किया हो तो बतावें।

सरकार अपनी हठवादिता पर अड़ी हुई है। जो नगरपालिका इस तरह के प्रस्ताव भेजती है उन पर वह विचार ही नहीं करती। एक ओर से तो सरकार नये नये एक्ट और नये नये प्रोविजो लेकर आती है और उनके तहत मण्डी कमेटीज और इम्प्रूवमेन्ट कमेटीज बनाकर हर प्रकार से नगरपालिकाओं की आय से स्रोत खतम करती जा रही है और दूसरी तरफ जो इस प्रकार की आमदनी से ही नगर पालिकायें अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना चाहती है उनको उस तरह से न चलाने देकर सरकार कहती है कि यह आमदनी का स्रोत तो हम लेंगे तुम हाउस टैक्स लगाओ। तो यह सरकार का रवैया हर प्रकार से अनुचित है। इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। सरकार को चाहिये कि जो टैक्स नगरपालिका लगाना चाहें वे ही लगाने दें, और उसकी आमदनी के स्रोत जो सरकार छीन लेती है वह न छीने। बल्कि और भी अधिक साधन जो हो सकते हों वे सरकार को देने चाहिये ताकि उनको आमदनी बढे और और अपना काम सुचारू रूप से चला सकें।

बाकी टैक्सों के लिये आप नगरपालिकाओं को ऑप्शन दीजिये, वे लगाना चाहें तो लगावें, न चाहें तो न लगावे। ऐसा करेंगे तो आप का विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त सफल होगा।

अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नही, जब नगरपालिकाएं अपने बजट बनाकर सरकार के पास एप्रूवल के लिये भेजती हैं तो अपने आप बजट में कटौती कर देती है। मैं पूछना चाहता हूं जब नगरपालिकाओं के पास पैसा मौजूद है, आय है, तो फिर इस तरह से सरकार को हस्तक्षेप करने का क्यों अधिकार अपने पास रखना चाहिये। यह विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त के विपरीत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बजट में कुछ पोस्टें स्वीकार की जाती हैं कुछ कर्मचारियों के लिये पर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के नाम पर वे पोस्टें साल भर तक भी स्वीकार नहीं की जातीं और नया साल आ जाता है। इस प्रकार की घटना काफी नगरपालिकाओं के साथ घटी है। क्या यह आपकी ही नीति का उल्लंघन नहीं है।

म्यूनिसिपैलिटी के फाइनेन्सेज को सुपरवाइज करने का मैनेजमेन्ट को देखने करने का अधिकार प्रेसीडेन्ट नगरपालिका को होता है लेकिन आज सरकार ने नये एक्ट और नये रूल्स बनाकर उनके इस अधिकार को समाप्त कर दिया है। सरकार ने अब यह व्यवस्था की है कि जबतक म्युनिसिपल कमिश्नर या

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

एग्जीक्यूटिव आफीसर चैक पर काउन्टर साइन नहीं करेगा उसका भुगतान अकेले चैयरमैन के सिग्नेचर से नहीं हो सकेगा। मैं पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार से एक्ट के अन्दर जो अधिकार प्रेसिडेन्ट या चेयरमैन को दिये गये हैं उसको आप छीन लेते हैं इस प्रकार के नये रूल्स ला कर और इसी प्रकार से आपने व्यवस्था की है कि प्रि-ऑडिट सिस्टम होना चाहिए। म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर जो उसकी सब-कमेटी है वह एक निर्णय लेती है, और उस निर्णय के अनुसार कोई काम करवाती है और काम होने के बाद पेमेन्ट होने के लिए प्रेसीडेन्ट चैक को इश्यू करता है लेकिन उसका भुगतान नहीं होगा जब तक कि प्रि-आडिट पार्टी जो आपने वहां पर बैठा दी है, उन एक्सपेन्डीचर को वैरीफाई नहीं करती और वैरीफिकेशन करने के बाद में कमिश्नर काउन्टर सिगनेचर करेगा। तब कहीं जाकर पेमेन्ट होगा। तो इस प्रकार के आपने रूल्स बना दिये........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह मानता हूं कि यह सारा का सारा, एक्ट की स्प्रिट के खिलाफ है। नतीजा यह होता है कि म्युनिसिपैलिटी के हर प्रकार से काम में अड़चन आती है अगर नगरपालिका कहीं पर पार्टी-इन-पॉवर की हो तो हर प्रकार से प्रभाव डालकर कमिश्नर को मजबूर कर देगी कि वह कमिश्नर के काम में बाधा न डाले। लेकिन म्युनिसिपैलिटी विरोधी दल की है तो कमिश्नर पैसों का भुगतान होने में पचास तरह की अड़चन डाल सकता है। आज बीसियों ठेकेदार पेमेन्ट के लिए तरस रहे हैं और उनका पेमेन्ट नहीं हो पा रहा है और नतीजा यह है कि म्युनिसिपेलिटीज के होते हुए भी वहां पर काम नहीं हो पा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो अध्यक्ष महोदय, कोटा स्टेट के अन्दर एक धर्मादा फण्ड रखा हुआ था।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनिट में समाप्त करता हूं। आज सरकार उस धर्मादा पर ही अंकुश लगाना चाहती है और नतीजा यह हो रहा है कि धीरे धीरे आज वहां पर व्यापारी लोग धर्मादा देना बन्द कर रहे हैं। मैं इस विषय पर ज्यादा न जाता हुआ केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इन बातों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपके बिल की भावनाओं से हम पूर्णतया हम सहमत हैं कि इस प्रकार के लोगों को रोका जाना चाहिए कि वह जमीन जो कि किसी परपज के लिए दी गयी है उसको उसी काम में न लाकर नाजायज मुनाफा कमाना चाहे तो अनुचित है। लेकिन बहुत अच्छा होता और सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के नये टैक्स लगाने से जो आमदनी होगी वह सरकार के कन्सोलीडेट फण्ड में न आकर नगरपालिकाओं के पास जाये। पहला संशोधन तो मेरा इस प्रकार का है और आपने जो इसके अन्दर टैक्स का सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया है मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जो आपकी मन्शा है वह पूरी नहीं होगी। आज लोगों ने

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

लाखों और करोड़ों रुपये इस प्रकार से कमा लिये हैं नाजायज तरीकों मे बेचान कर करके। आज कोटा के अन्दर जो नवरंग होटल है उसके पास की जमीन को देखा जाये तो उसके पास की जमीन एक भूतपूर्व मंत्री ने खरीदी थी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस जमीन को उन्होंने अपने स्वयं के काम में न लेकर मुनाफे के ऊपर दूसरे आदमी को बेच डाली है और काफी नाजायज फायदा उठाया है। इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण कोटा में हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि किसी प्रकार से आपकी मन्शा पूरी हो और आप जो इस एक्ट की धारा अमेन्डिंग बिल के द्वारा ला रहे हैं उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दें, ताकि जिन लोगों ने जमीनें खरीद ली हैं उनको आप नाजायज फायदों से रोक सकें। लेकिन जैसा कि संशोधन बिल लाया गया है इस बिल के द्वारा १७० (ए) के अन्दर यह व्यवस्था की गयी है कि आपके द्वारा एक प्लान बनाया जायेगा और प्लान के द्वारा आप क्षेत्र का निर्धारण करेंगे कि अमुक जगह पर मकान होंगे और अमुक जगह पर इन्डस्ट्रीज खोल सकते है और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में अलाटेड भूमि में दूसरा काम करेगा तो यह टैक्स लागू होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि १७० (ए) के तहत जो प्लान बनेगा उसके पहले जो जमीनें लोगों ने ले ली हैं और उसका वह नाजायज फायदा उठाकर बेचना चाहें तो सरकार उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। प्लान बन जाने के बाद जब प्लाट्स दिये जायेंगे और उन प्लाट्स का कोई दुरुपयोग करेगा तब आप टैक्स लगा सकते हैं।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा संशोधन विधेयक है इसको तो आप पास कीजिए लेकिन निवेदन मेरा इस प्रकार है कि इस टैक्स से जो आमदनी होगी उसका पैसा कन्सोलिडेटेड फण्ड में न जाकर म्युनिसिपैलिटीज को जाये और यदि आप वास्तव में नाजायज फायदा जो उठाना चाहते हैं उनको रोकना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि इस बिल को आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दें। यह आवश्यक नहीं है कि कोई भूमि मकान के लिए दी गयी है और दूसरे काम में ले ली गयी हो बल्कि अगर किसी ने जमीन खरीदी है उसको वह बेचता भी है चाहे मकान बनाने के लिए भी तो आप टैक्स लें। इन विचारों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट और नगरपालिका संशोधन विधेयक के विषय में मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह एक प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। इसके कारण स्पष्ट हैं कि जहां तक अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का प्रश्न है और नगरपालिका के कानून में जो संशोधन लाया जा रहा है उसके द्वारा राज्य सरकार यह चाहती है कि हम एक इस प्रकार का संशोधन ला दें कि जिससे जो भूमि जिस कार्य के लिए ली गयी है उस भूमि में यदि कोई परिवर्तन करना चाहें, या संशोधन करना चाहे या कोई

(श्री दुर्गालाल वाद्दार)

तबदीली करना चाहे तो उस पर किसी प्रकार का एक टैक्स लगा दिया जाये और चूंकि राज्य सरकार को पैसे की आवश्यकता हैं और पैसा राज्य सरकार को चाहिए उस टैक्स की रकम के द्वारा यह वृद्धि करना चाहते हैं वह कन्सोलिडेटेड फण्ड में चली जाये। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जहां तक अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के अध्ययन करने से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। हमारे यहां जयपुर में भी अरबन इम्प्रूवमेंन्ट ट्रस्ट एक लंबे अर्से से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने कितनी तरक्की की मेरी तो अब तक समझ में नहीं आ रहा है। यह दो प्रकार का राज्य कम से कम जयपुर के ऊपर क्यों लादा जा रहा है। मैंने एक बार सदन में प्रश्न पूछा था और इस प्रश्न के द्वारा इसका स्पष्टीकरण करने की चेष्टा की थी कि जयपुर के अन्दर नगरपालिका की हद और अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की हद कहां तक है। जो उत्तर दिया गया उससे स्पष्ट होता है कि जयपुर की चारदीवारी के अन्दर तो नगरपालिका का अधिकार है और चारदीवारी के बाहर जो कोई भी एरिया आता है उस पर अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का अधिकार है। मान लें कि आपने इस प्रकार सीमा का निर्धारण कर लिया है और इसी प्रकार से अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट यदि शहर का विकास करने जा रहा है तो मैं कुछ मुद्दे यहां पर रखना चाहता हूं। अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने कहां तक इस नगर का विकास किया है या विकास के नाम पर जो शहर पर कुटाराघात हुआ है दो चार बातें हैं उस सम्बन्ध में जो मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने बहुत सी योजनायें बनाई, कई नगर बनाये गये गांधीनगर, व्यास नगर, बजाज नगर, लेबर कॉलोनी बन गयी, लेकिन सारी योजनाओं के बनाने के पहले सड़कों का जहां सवाल होना चाहिए गटर का सवाल होना चाहिए, सेनीटेशन और दूसरी बातों का सवाल होना चाहिए। अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने इस बात पर ध्यान दिया है या नहीं दिया है, यह एक अहम बात है।........

आपकी योजनाएं १०-१०, १५-१५ साल से चालू हुईं। १५ साल से चालू होने के पश्चात् उन योजनाओं से जो आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक उपकरण जनता को मिलने चाहिए और जो सरकार का पहला कर्तव्य हो जाता है, इस प्वाइन्ट ऑफ व्यू से इस ट्रस्ट ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इस अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को या यू० आई० बी० को आप कहते हैं अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट लेकिन लोग बाग उसको कहते है ऊजड़ इजाफा

(श्री दुर्गालाल बाददार)

ट्रस्ट। इसका नाम ऊजड़ इजाफा ट्रस्ट दिया जाता है। लोगबाग उसका इस तरह से अनुवाद करते हैं। यह मेरी मान्यता नहीं है। यू० से वे उजड़ लेते हैं और आई से इजाफा लगाते है। और ट्रस्ट तो आपका ट्रस्ट है ही। यह ऊजड़ इजाफा ट्रस्ट है वह किस प्रकार से है। ऐसा कहा जाता है कि जो शहर के बाहर बस्तियां है वे बहुत बड़ी तरक्की से बढ़ती चली जा रही हैं और इसी दृष्टिकोण से संभवतः यह ट्रस्ट बना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और राज्य सरकार के कानों तक यह बात लाना चाहता हूं कि अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कई लाख रुपयों की जमीनें जनता को बेची हैं और बेचने के बाद यह विश्वास दिलाया कि शहर के अन्दर बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग के साथ शहर का डेवलपमेंट किया जायगा। आज बनी पार्क कोलोनी को कितना अर्सा हो गया, क्या आप वहां पर गटर की योजनाएं कर सकें ? क्या सब जगह गटर और नालियां व सड़कें बन चुकी हैं। आज गांधीनगर और सी. स्कीम जो सबसे बढ़िया मानी जाती हैं तो केवल वह स्थान सिविल लाइन्स का है उसको छोड़ने के पश्चात् यदि सी. स्कीम में चला जाय तो वहां पर जो सड़कें हैं वे इस प्रकार की सड़कें हैं कि यदि रिक्शा या तांगे में बैठ कर कोई गर्भवती स्त्री जाय तो वहां पर दचकों के मारे उसका गर्भ गिर सकता है। वहां पर इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। लेकिन संभवतः मंत्रीगण उधर से गुजरने की कोशिश नहीं करते हैं। वहां पर बहुत से ऐसे स्लम्प एरियाज हैं जिनके अन्दर से नाक भींच कर भी गुजरने की कोशिश करेंगे तो भी बदबू आपके दिमाग में पहुंचे बिना नहीं रह सकती है। यह स्थिति है, जब कि हम १५ साल से योजनाएं बनाकर चल रहे हैं। वहां पर कोई चीज नहीं की है। उसमें आप संशोधन लाते है तो केवल इसी दृष्टिकोण से संशोधन लाते है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जब आप कानून बनायें तो जनता प्लाट लेना चाहती है, जनता मकान बनाना चाहती है उसको राहत नहीं मिलती है। उसको कोई भी सुविधा नहीं मिलती है एक दर्ख्वास्त देने के अन्दर ३० दिन के अन्दर इजाजत दिला दी जाय। यदि इजाजत नहीं मिलती है तो परेशानी होती है लोगों को। इधर-उधर चिल्लाते फिरते हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। संभवतः इस दृष्टिकोण से संशोधन लाने की चेष्टा करते उसको जल्दी से एक्सपीडाइट कराने की चेष्टा करते तो ऐसा हो सकता है कि हमारे कानों को हमारे हृदय में यह विश्वास होता कि राज्य सरकार कम से कम जनता को सहयोग दे रही है। कम से कम राज्य सरकार जनता के कष्टों की ओर ध्यान देने लगी है और उनके कष्टों

(श्री दुर्गालाल बाददार)

का निराकरण करने के लिये ऐसे कानून बनाने जा रही है। मगर जो कानून बना रही है उससे जनता को राहत नहीं मिलेगी, जनता को किसी प्रकार का आराम मिले यह बात नहीं होगी। यह एमेन्डमेंट तो आपने ऐसा बना दिया है कि हम आपके ऊपर इस प्रकार का टैक्स और लगायेंगे। हो सकता है, माननीय अध्यक्ष, कि इस प्रकार का टैक्स लगाने से राज्य सरकार के एक्सचेकर में थोड़ी सी आमदनी हो जाय, लेकिन जहां पर एक और राज्य सरकार की टैक्स लगाने की तैयारी होती है तो दूसरी ओर जनता के आराम और हिफाजत को देखने का पहला कर्तव्य राज्य सरकार का हो जाता है।

नगरपालिका की स्थिति जहां तक जयपुर शहर का सवाल है वह मेरे ध्यान में है। मैं आपके सामने यह बताना चाहता हूँ कि नगर पालिका का जो मौजूदा कानून है उसके लिए मैं तो यहां तक कह सकता हूँ कि शायद चौथी श्रेणी की जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके लिए राज्य सरकार ने सोच कर कानून बनाया हो। इस प्रकार का कानून इस नगरपालिका का बना हुआ है। जो नगर इतना बड़ा है, जिसको कि बी. क्लास का नगर घोषित कर दिया गया है, उसके पश्चात अगर नगर-पालिका का ऐसा कानून हो कि जो नगर-पालिका के चुने हुए प्रतिनिधि हों उनके हाथ में कोई अधिकार नहीं हों। न वे बेचारे नगर का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और न टैक्स की किसी योजना पर विचार कर सकते हैं, न उनको किसी प्रकार का ऐसा अधिकार है कि आपके कर्मचारी जो उनके साथ में सहयोग नहीं करें, तो संभवतः उनके खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले सकते। आपने चुने हुए नुमायन्दों की नगरपालिका बना दी, लेकिन उनके साथ में जिस प्रकार कि किसी तालाब के अन्दर किसी को डाल दिया और उसके हाथ और पांव बांध दिये और चाहा कि बेटा इस मैदान में दौड़ने की कोशिश करो, तुमको आगे बढ़ने की इजाजत दी जाती है, किसी प्रकार से उनको कानून के द्वारा पाबन्द करने के बाद जिस तरह से नगरपालिका कार्य चलाना चाहती है, तो चुने हुए नुमायन्दों से इस प्रकार का काम नहीं चलने वाला है। यदि सरकार संशोधन लाना चाहती है तो राज्य सरकार इस प्रकार का एमेंडमेंट लाये कि जिससे नगरपालिका सुचारु रूप से काम कर सके।

एक और महत्वपूर्ण बात मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ। राज्य सरकार इस बात को मानती है, मैं आपके आंकड़ों से इस बात को साबित कर देता हूँ कि आज से १० साल पहले जयपुर नगर की पापुलेशन कितनी और आज से १० साल पहले जयपुर नगरपालिका को सफाई के उपकरण कितने दे रखे थे, कितने कर्मचारी सफाई के लिए वहां पर थे। आज जो मासेज में वृद्धि हो रही है उन सारे आंकड़ों के ऊपर भी इत्मिनान किया जाय तो उन आंकड़ों के ऊपर विचार के आधार पर क्या राज्य सरकार यह मान्यता रखती है कि जो

(श्री दुर्गालाल बादवार)

सफाई के उपकरण आपने उस छोटी सी पापुलेशन के लिए जो कुछ नगरपालिका को दे रखे थे क्या उतने ही उपकरणों से आज जब कि तिगुनी, चौगुनी स्थिति पहुँच गई है पापुलेशन की उसकी सफाई कर सकती हैं। वह नगरपालिका राज्य सरकार के सामने समस्या रखती है तो वह जवाब देती है कि नगरपालिका को बहुत से साधन दे रखे हैं। नगरपालिका टैक्स लगाकर अपनी आमदनी को बढ़ाये और आमदनी बढ़ाने के बाद नगर-पालिका उपकरण इकट्ठे करे और जब उपकरण इकट्ठे हो जांय तो सफाई की सारी व्यवस्था की जा सकती है।

एक बात और भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक जमीनों के एलाटमेंट का सवाल है, जहां तक भूमि को विक्रय करने का सवाल है, लीज पर देने का सवाल है, उस दृष्टिकोण से राज्यसरकार की जो अब तक योजनाएं रही हैं वे इस प्रकार की रही हैं कि जिनके द्वारा नगरपालिका न जनता का हित कर सकती है और न नगरपालिका अपना ही काम किसी प्रकार से सुचारु रूप से चला सकती है। जयपुर शहर की चहार–दीवारी के अन्दर कई ऐसे स्लम्स एरियाज हैं जिनके बारे में मैं तो यहां तक कहूँगा कि राज्य सरकार को किसी बात का इसका ज्ञान नहीं है। प्रश्नोत्तर काल में मैंने एक प्रश्न पूछा था यहां सदन के सम्मुख कि क्या राज्य सरकार बतायेगी कि नदी के अन्दर कितने मकानात ऐसे हैं जो आथोराइज्ड वे में नहीं बने हैं। जवाब तो सरकार की ओर से यह आ गया कि करीब ५२५ मकान बने हैं, लेकिन राजस्थान सरकार इस स्थिति में नहीं है जो बताये कि कितने अर्से से बने हैं, किस प्रकार से बने हैं और किस प्रकार लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया है? उसके बाद में किन योजनाओं को लेकर सरकार चल रही है? क्या स्कीम है? क्या उनसे पैसा लेकर वापिस उनको रेग्युलेराइज करने को चेष्टा कर रही है? अगर चेष्टा नहीं कर रही है तो क्या वजह है? जो यह मकानात बनाये गये हैं तो कोई स्टेप्स नहीं लिये जाते हैं? जनता की बढ़ती हुई पोपुलेशन की ओर आप ध्यान नहीं देते हैं। लोगों को रहने के लिए स्थान नहीं मिलता। शहर के चारों तरफ आप देखेंगे तो लोग बाग छोटी मोटी झोंपड़ियां खड़ी कर लेते हैं और उसके बाद में इर्रेग्युलर वे में गलियों का कोई ध्यान नहीं रखते हैं, कोई सेनीटेशन का ध्यान नहीं रखते हुए यह अनधिकृत निर्माण इन जमीनों पर होता जा रहा है। तो ये नगरपालिका और अरबन इम्प्रूवमेंन्ट ट्रस्ट दोनों मिलाकर कौन सी ऐसी योजनाएं बनाकर चल रहे हैं कि जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि नगर का विकास हो रहा है, शहर का विकास हो रहा है, शहर के बाहर विकास हो रहा है, लेकिन विकास के नाम की कोई चीज नहीं है। बल्कि जो कुछ भी कार्यवाही हो रही है उससे शहर के रूप को विकृत किया जा रहा है। मैं तो यहां तक कहूँगा कि सुन्दर आवरण वाले शहर के ऊपर जो कुठाराघात इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कर रहा है और नगरपा-लिका की जो व्यवस्था आप कर रहे है इससे शहर का उद्धार नहीं हो सकता है। राज्य सरकार को इन सारी और बातों को देखकर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से विकास की योजनाओं की ओर ध्यान

(श्री दुर्गालाल बादूदार)

देना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में इन्जीनियर हैं, नगरपालिका में आपके इन्जीनियर हैं जो कि इतनी लम्बी-चौड़ी तनख्वाहें पाते हैं, मगर उन्हें इस बात का ध्यान नहीं है कि गटर लाइन कैसे बनाई जानी चाहिए, और, माननीय अध्यक्ष, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भी स्कीम चाहे वह अरबन इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट की स्कीम हो चाहे नगरपालिका की स्कीम हो, उस स्कीम के बारे में मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो स्कीमें चलती हैं वे इस प्रकार से चलती हैं कि सड़क बना देते हैं नाली नहीं बनाते। फिर नाली बनाने का सवाल आगया तो सड़क तोड़ी जाती है और फिर गटर बनाने का सवाल आगया तो नाली और सड़क दोनों टूट जाती हैं और फिर दुबारा सड़क बनाई जाती है और उस पर पैसा खर्च होता है।

जो स्कीमें बनाई जायं वे इस प्रकार से बनाई जाय कि पहले नाली और गटर बनाई जाय और फिर सड़क बनाई जाय तो दुबारा पैसा खर्च नहीं होगा। लेकिन यहां पर अजीब प्रकार का खेया देखने में आता है कि पहले सड़क बना दी जाती है। उसके बाद में नालियां बनने की सैंक्शन दी जायगी तो सड़क को तोड़ा जायगा। उसके बाद में जब नालियां बन गई तो सड़क बनाई जायगी और दूसरी स्कीमें राज्य सरकार लेकर आयेगी, गटर बनाने की व्यवस्था की जायगी तो वह सड़क फिर टूटेगी नालियां फिर टूटेंगी और फिर उस पर निर्माण करेगी। आपका ध्यान इन सारी बातों की ओर नहीं जाता है। मेरे निवेदन करने का मतलब यहहै कि किस योजना को पहले करना चाहिए और किसको बाद में। आखिर राज्य सरकार की हुकूमत आपके कंधों पर डाली हुई है। बड़े बड़े इन्जीनियर्स को आप तनख्वाहें देते हैं, प्लानर्स को आप बड़ी बड़ी तनख्वाहें देते हैं। लेकिन योजनाओं में आपका दिमाग सही नहीं बैठता है लेकिन उल्टी कार्यवाही होती है। हार्स के पहले कार्ट लगाते हैं। राज्य सरकार जो योजनाएं करती हैं वे इस तरह से करती हैं कि सरकारी पैसा नष्ट होता है और जनता को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलती है। इसका ज्ञान उनको नहीं है। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है यह एक बार नहीं दो-दो, तीन तीन बार इस सदन के सम्मुख लाया गया है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष, यह एक छोटी सी बात है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जयपुर शहर के अन्दर जो नाहरगढ़ की सड़क को ले लें कि यह जल्दी बनी हुई हो यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। सैकड़ों साल पहले से बनी हुई है। इस सड़क के बारे में मैंने यह पूछा था कि यह सड़क म्युनिसिपैलिटी की है या पी० डब्ल्यू० डी० की है। जब पी० डब्ल्यू० डी० से पूछा जाता है वह यह जवाब देते हैं कि हमारे यहां इसका इन्दराज नहीं है। हम इसके मालिक नहीं हैं। नगरपालिका से पूछते हैं तो वह उत्तर देती है कि हमको यह मालूम नहीं है कि यह सड़क किसके अधिकार में है।

(११.०० म० पू०)

नगरपालिका के अंदर तो यह नहीं है। आज तक इस सड़क में लम्बे चौड़े खड्डे पड़े हैं उनको भरने की ओर ध्यान किसी ने नहीं दिया, नाहरगढ़ फोर्ट को देखने के लिये बाहर के टूरिस्ट भी इस सड़क पर से गुजरते है, मोटरें गुजरती हैं बहुत से आदमी इस सड़क

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

से आते जाते हैं, रिक्सों की भीड़ लगी रहती है, एक्सीडेन्ट्स होते हैं। माननीय अध्यक्षजी, आपको भी कभी मौका पड़े उधर से निकलने का तो आप देख लीजये कि इसकी क्या हालत है। ५०. १०० रिक्शों की कतार खड़ी है, साइकलों की कतार खड़ी है, पैदल भी कोई जाना चाहें तो आसानी से जा नहीं सकता। चांदपोल की तरफ वैसे भी भीड़ ज्यादा रहती है, लेकिन साथ में जो अव्यवस्था हो रही है उससे जनता को कितना कष्ट उठाना पड़ता है इस ओर राज्य सरकार का ध्यान नहीं जाता है। उनका दिमाग तो जाता है और तरफ। दुनियां में क्या हो रहा है इस ओर उनका ध्यान नहीं अनाज सस्ता करने के लिये कहें, शक्कर का वितरण ठीक तरह से करें तो इन गहन समस्याओं की ओर इनका ध्यान नहीं जाता है। इन बातों की ओर राज्य सरकार ध्यान नहीं देगी।

मंत्रियों का ध्यान तो एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज का इन आगरेशन की ओर चला जायगा और कोई काम हो तो वे कर लेंगे, ऐसी बातों के लिये इनको समय काफी मिल जाता है। लेकिन पब्लिक को आराम देने के लिये, अनाज की समस्या को हल करने के लिये, शक्कर की समस्या को हल करने के लिये इनका ध्यान नहीं जाता है। शक्कर की समस्या के लिये दो बार यहां प्रश्न उठाया था, यहां तक कहा गया था कि शुगर मरचेन्ट्स एसोसियेशन के सेक्रेटरी कहीं और चले गए और रुपये जमा नहीं कराये इसलिये रेल्वे स्टेशन पर शक्कर के वैगन भरे हुये पड़े हैं और पब्लिक को कोटा नहीं मिला। राज्य सरकार को कहा जाता है कि कोटा इस महीने का नहीं आया है तो अगले महीने में पिछले महीने की भी शक्कर दे दीजिये, लेकिन नहीं दी। तीन दिन पहले सरकार ने आज्ञा निकाल दी कि जिनको शक्कर का कोटा इस महीने का नहीं मिला है वे कलेक्टोरेट में पहुँच जायगा सैकड़ों आदमियों ने वहां पहुंच कर कतार लगा दी। एक बार कलेक्टोरेट जाने में ४० नये पैसे खर्च होते हैं और यदि शक्कर लेने के लिये किसी को तीन बार जाना पड़ा तो १.२० नये पैसे तो आने जाने में ही खर्च होगये, किराये के देने पड़ेंगे। सैकड़ों आदमी, औरतें और बच्चे वहां जाते हैं, दूसरे आदमी जाते हैं, लड़ाइयां होती हैं, कपड़े फट जाते हैं, गर्मी के कारण लोग बेहोश हो जाते हैं लेकिन पब्लिक को कोई चीज नहीं मिलेगी। अनाज सस्ता नहीं मिलेगा, शक्कर नहीं मिलेगी, इन बातों की ओर सरकार ध्यान नहीं देगी। लेकिन राज्य सरकार का ध्यान दूसरी ओर जाता है। मैं विषयान्तर होगया हूं, मैं कहना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Two minutes more.

जहां तक अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट और नगरपालिका का प्रश्न है, मैं दो-तीन सुझाव रखना चाहता हूं। संशोधन के द्वारा जो आर्थिक वृद्धि आप करना चाहते हैं उससे हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार को अवश्य सोचना चाहिये कि जहां तक प्लोट्स वितरण का सवाल है शहर की चार दीवारी के बाहर और भूमि

(श्री दुर्गालाल बाददार)

वितरण का सवाल है चार दीवारी के अंदर, शहर के अन्दर और बाहर राज्य सरकार ने भूमि वितरण का जो तरीका बनाया है वह अनुचित है। राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये। यह जो प्लॉट्स की स्कीम बनाई है, मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि करीब ३००० दर्ख्वास्तें अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में राज्य सरकार के विचाराधीन पड़ी है। कितने वर्षों से ये दर्ख्वास्तें पेन्डिंग पड़ी हैं ? एक साधारण सी बात है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या वितरण के लिये जो नियम हैं उनके अनुसार वितरण होना चाहिये था लेकिन इसके पीछे भी कुछ न कुछ रहता है। या तो जो ट्रस्ट के मेम्बर साहबान हैं उनका इन्ट्रेस्ट इसमें हो सकता है या दूसरे रीजन्स हो सकते हैं जिन के कारण डिस्पोजल नहीं हो सका। अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जो व्यवस्था है उसमें मेम्बर नोमिनेट होते हैं। मैं यह भी कहूंगा कि इसके जो चेयरमैन होते हैं वे व्यक्ति हो जाते हैं जो उजड़ जाते हैं, उन उजड़े हुए व्यक्तियों को प्रश्रय और आश्रय देने के लिये यह ट्रस्ट एक बहुत अच्छा उपाय है। जिस व्यक्ति को मुख्य मंत्रीजी अपने मंत्रिमंडल में नहीं ले सके या और कोई कारण हो जिसकी वजह से मंत्री मंडल में नहीं आ सका तो उसको अरबन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन बना दीजिये। इस प्रकार उजड़े हुए लोगों को आश्रय देते रहते हैं, उनको तरक्की देते रहते हैं। लेकिन आपने गरीबों को जमीन देने के लिये कौनसी व्यवस्था की ? आपने जो नीलाम का तरीका लागू किया उससे तो जो संपन्न व्यक्ति हैं, लखपति हैं, किसी कीमत पर पैसा देकर खरीद सकते हैं उन्हीं लोगों को जमीन मिल सकती है। मगर जो मामूली क्लर्क्स हैं, छोटे अहलकार हैं, जो मजदूरी करने वाले हैं उनको तो जमीन नहीं मिल सकती। शहर में भी नहीं मिलती है, बाहर का तो सवाल नहीं, क्योंकि शहर के परकोटे के अंदर जमीन वितरण बिल्कुल बंद कर दिया है। कम से कम आप ऐसी व्यवस्था तो नहीं करें....

राव श्री नारायणसिंह (उपाध्यक्ष, पदासीन) : कि जिसके कारण दरख्वास्तें पड़ी रहें। दरख्वास्तें पड़ी रहती हैं, दो–दो वर्षों तक सुनवाई नहीं होती। इसके लिये जब तक आप व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक लोगों को आसानी से मकान के लिये जमीन मिलना मुश्किल है। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का यह पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है। साथ ही साथ आपको व्यवस्था करनी चाहिये, बल्कि और नई स्कीमें बनाई जायं जिसके अंतर्गत प्लोट्स दो सौ, ढाई सौ गज से अधिक बड़े न हों। प्लॉट वितरण के लिये अगर ईमानदारी बरतना चाहें तो हर दफ्तर को कुछ प्लॉट्स एलॉट कर दीजिये और लोगों से कह दीजिये कि वे अपने अपने दफ्तर में दरख्वास्तें दे दें। किसी दफ्तर में १५ किसी में २० किसी में ज्यादा जैसा जैसा आवश्यक समझें प्लाट्स का नम्बर रख दीजिये ताकि उस हिसाब से वितरण हो जाय। इसी तरह से फैक्ट्रीज के मजदूरों के लिये भी व्यवस्था कर दीजिये। व्यापारियों के और दूसरे लोगों के भी कई छोटे छोटे एसोशियेशन्स बने हुए हैं उनको भी इसी तरह से एलॉट कर दीजिये। इसी तरह से एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स और दूसरे इन्स्टीट्यूशन्स को भी एलॉट कर दीजिये। मैं यह नहीं कहता कि

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

हजार हजार या दो हजार या पांच सौ गज के प्लॉट्स बनावें लेकिन आप दो सौ, ढाई सौ गज के प्लॉट्स बनाकर इस तरह से लोगों को दें। यदि राज्य सरकार रहने के लिए मकान नहीं दे सकती, खाने के लिये अन्न की व्यवस्था नहीं कर सकती और पीने के लिये अच्छे पानी की व्यवस्था नहीं कर सकती तो मैं यह कहूंगा कि इस राज्य सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। मैं यह कहता हूं कि भलमनसाहत के साथ जो कर्तव्य जनता ने सौंपा है उसको निभावें। यह न सोचें कि विरोधी पक्ष का ही कर्त्तव्य है कि आप तक इन बातों को पहुंचावे बल्कि यह फर्ज आपका है और यह दो दो तरह से है। एक तो इसलिये कि आपको उन्होंने चुन कर यहां भेजा और दूसरा इसलिये कि आप पर विश्वास किया, आप उनकी आवाज को पहचानें। यह दोहरा आपका दायित्व और कर्त्तव्य है। इन दोनों को महसूस करना राज्य सरकार का धर्म होता है, कर्तव्य होता है और उन्हें इसको महसूस करना चाहिये और जो तकलीफ जनता को है उसके लिये राज्य सरकार को चिन्ता करनी चाहिये। यदि राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है और कान बंद करके रहना चाहती है तो राज्य सरकार का कर्तव्य होता है कि उसको फिर आसन पर, नहीं रहना चाहिये। मैं फिर निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि नगरपालिका संशोधन और यू. आई. टी. संशोधन बिल आये हैं ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनको कम से कम एक प्रवर समिति के समक्ष रखा जाय और उसके द्वारा सारी समस्याओं पर विचार करने के पश्चात् अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट रखनी चाहिये जिससे राज्य सरकार के सामने ऐसी स्पष्ट बातें दृष्टिगोचर हो जाय जिसके द्वारा सही व्यवस्था, सही प्रकार का आराम और सही कार्यक्रम हो सके।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अब मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतलाल बोहरा।

श्री ज्वालाप्रसाद : He is absent.

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जिन बिलों पर यहां बहस हो रही है इन दोनों ही बिलों के उद्देश्य एक से जरूर हैं उद्देश्यों में आदर्श की बात कही गई है और आदर्श की बात कहे बिना कानून नहीं होता। मैं देख रहा हूं कि इस बिल को रखने वाले बरकतुल्ला साहब भी एबसेन्ट हैं और इसको पायलेट करने वाले हैं वे भी एबसेन्ट हैं। इस आधार पर सिर्फ खजान्ची बेन्चेज पर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब तशरीफ रख रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): आपके दल की उपस्थिति देखिये, उससे दिलचस्पी का पता चलेगा कि कितनी दिलचस्पी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं कहना चाहूंगा, इस सदन....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : यह कोरम भी हमारे पीछे पूरा हो

(श्री दुर्गालाल बादटार)

रहा है। कोरम भी आपके पीछे पूरा नहीं होता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वही अर्ज कर रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है कि सम्बन्धित मंत्री को यहां होना चाहिए....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार,जयपुर): On a point of order, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य (खजान्ची) शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किसके लिए यह प्रयोग कर रहे हैं, इसका पता नहीं चलता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : 'खजान्ची बैंच' से मतलब 'ट्रेजरी बैंच'। आप बड़ी संस्कृत और संस्कृति की बात करते हैं। आप यह भी नहीं जानते तो क्या संस्कृति की रक्षा करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : फिर कोष बैंच कह दीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे आपकी अक्ल की जरूरत नहीं है। आप अपने पास रखिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरी अक्ल....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप चुप रहें तो सही।

पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि नगर सुधार मंडल और म्युनिसिपैलिटी किसी की महरबानी से नहीं बने हैं–यह तो जनता का अधिकार कान्स्टीट्यूशन में माना हुआ है। इसको रिकग्नीशन लेकिल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से कान्स्टीट्यूशन में मिला है। और उसके मातहत ही टैक्सेज लगाने का अधिकार मिला हुआ है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के भी कानकरेन्ट टैक्सेज हैं जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कान्स्टीट्यूशन में एक गवर्नमेंट माना है और उसके टैक्सेज को कान्करेन्ट टैक्स माना है। तो स्टेट के कान्करेन्ट टैक्सेज हैं उनको जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट लेती है हर साल सारी स्टेट्स को उसका हिस्सा मिलता है। लेकिन यह सरकार म्युनिसिपेलिटी के टैक्सेज को ले लेती है लेकिन उनके हिस्से का पैसा उन म्युनिसिपल कमेटीज को नहीं देती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो एग्रीमेंट है कि आठ आना फी नागरिक आप म्युनिसिपैलिटी को ऐड देते हैं तो वह आप कोई महरबानी करके नहीं देते हैं। बल्कि आपकी तो यह नीति है कि मेरा मिले सो मेरा और तेरा मिले सो भी मेरा। मेरा तो मेरा है ही और तेरा है तो मेरा है–यह आपने कर रखा है। यह निश्चित रूप से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ में ज्यादती है। आपको यह समझना होगा कि जिस तरह से आप हुकूमत का ढांचा चलाते हैं, आप कानून और कान्स्टीट्यूशन की स्पिरिट की परवाह नहीं करते हैं, आप अपने को सामन्त समझते हैं, और आप अपनी पॉवर को ब्लाइन्ड होकर यूज करते हैं। इस प्रकार की जो हुकूमत होती है उस पर आगे जाकर बहुत भारी जिम्मेदारी आती है जिससे उनको कमजोर होना पड़ता है। मैं आपसे

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कहना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता से पहले जिस तरह दो गवर्नमेंटों का, ड्युअल गवर्नमेंट का राज्य होता था–एक तरफ तो कम्पनी का राज्य हुआ करता था और दूसरी ओर नवाब का राज्य होता था। उसी तरह से उसका अनुसरण करके आप बता रहे हैं कि शहर शहर में नगर विकास मंडल का राज्य अलग और म्युनिसिपैलिटी का राज्य अलग है। आप दोनों के विधेयकों में एक जैसा परिवर्तन करने जा रहे हैं। आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को तबाह करके अपने सब जगह नगर विकास मंडल बना रहे हैं। आपने एक कानून पास किया था, उसकी स्पिरिट यह थी कि नगर विकास मंडल में टेक्नीकल लोग होंगे, उनको शहर की खूब सूरती बढाने का हक दिया जायगा। और इसलिए राज्य सरकार को यह हक दिया गया था कि नॉमीनेशन के द्वारा उसके मेम्बर की नियुक्ति टेक्नीकल एक्सपीरियेन्स के आधार पर होगी। उसको आपने अलग कर दिया है। मैं यह कहूं कि आप न तो इस उद्देश्य की परवाह करते हैं, न सिद्धान्तों की बात की परवाह करते हैं। लेकिन सिद्धान्तों के नाम के ऊपर कानून लाते हैं और टैक्स, गैर कानूनी टैक्स को आप जस्टीफाई करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि आपका यह एक्शन जस्टीफाइड नहीं है कि नगर विकास मंडल में ऐसे लोगों को रखा जाता है, जिन्होंने कभी किसी खूबसूरती का नाम सुना नहीं है, जिनमें कोई एस्थेटिक सेंस नहीं है जिन्हें नगर विकास की ए. बी. सी. डी. नहीं आती। हमने राज्य सरकार को नॉमीनेशन की पॉवर इसलिए दी थी, हम सोचते थे कि चुनाव के जरिये टेक्नीकल आदमियों को आने में दिक्कत हो सकती है। तो नॉमीनेशन करने की पॉवर जब सदन देता है, वह इसलिए देता है कि सरकार उपयुक्त आदमी का नॉमीनेशन करेगी। लेकिन सरकार उपयुक्त अनुपयुक्त आदमी नहीं देखती। सरकार देखती है कि किस तरह खाते को भरना है। जिस तरह से प्रान्त में नॉमीनेशन के नाम पर नगर विकास मंडल के अन्दर नॉमीनेशन किये हैं, जो चेअरमैन बनाये हैं, उनका जस्टीफिकेशन डिस्कस किया जाय तो पता चलेगा कि उसमें कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय देश में एमर्जेन्सी की स्थिति है उस वक्त देश के अन्दर देशभक्ति को और कुर्बानी की भावनाओं को ऊंच उठाने की जरूरत होती है। उस वक्त आप ऐसे लोगों को चेअरमैन बना कर रखें जो अंग्रेजों के वक्त में कानून की चिन्ता रखते थे और जेल में डाल दिये गये तो कांग्रेस की प्रतिष्ठा नीची करके, कांग्रेस की इज्जत को खाक में मिला कर माफी मांग कर आये थे। ऐसे लोगों का आपने नॉमीनेशन किया है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ानी है तो कांग्रेस में जिन लोगों ने कुर्बानी की है। कांग्रेस के लिए हर तरह से कुर्बानी की है और जेल में वर्षों काटे हैं, उनको नोमीनेट करना चाहिए। उनके सिर के ऊपर इस एमर्जेन्सी के वक्त ऐसे लोगों को बैठा दें जो अंग्रेजों के वक्त में माफी मांग कर जेल से छूटे। ऐसे लोगों का नॉमीनेशन करने का इस डेमोक्रेसी में इस कांग्रेस सरकार को क्या हक है।

इसके बाद आपने जो ड्युअल गवर्नमेंट कायम की है, दो तरह की गवर्नमेंट कायम की है। जहां तक इसका ताल्लुक है, आप कहते हैं कि यह टेक्नीकल कमेटी है, नगर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

विकास मंडल का काम टेक्नीकल लोगों का काम है। लेकिन आपने उसमें क्या कर रखा है? आप कहते हैं कि आपको नोटीफिकेशन जारी करने का हक मिल गया है। लेकिन आप इसको कानूनी स्पिरिट से नहीं देखते हैं और आप नोटीफिकेशन निकाल देते हैं। हर शहर के अन्दर नगर विकास का काम इस नगर विकास मंडल को दे दिया गया है, वह क्या कोई बर्तन मांजने का काम हैं। अजमेर शहर के अन्दर जितने बाजार हैं, जितनी बड़ी सड़कें हैं, वे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दे दी हैं। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का जो प्रोवीजन है, उसको आप याद रखिये, यह मैं आपसे ही नहीं कहता लेकिन जिनको आपने नगर विकास मंडल का अध्यक्ष बना रखा है, उनको यह बात पहुंचा दीजिये कि नगर विकास का क्या मतलब है। मैं भी उस सिलेक्ट कमेटी में था जिस सिलेक्ट कमेटी में यह बिल गया था। वहां जो इसकी स्पिरिट समझाई गई थी वह यह थी कि म्युनिसिपल कमेटी अपनी जगह कायम रखेंगे और म्युनिसिपल कमेटी का एक टुकड़े का मास्टर प्लान बनाने के बाद नगर विकास मंडल को दे देंगे, जिस पर उसका काम शुरू होगा। उसमें यह था कि म्युनिसिपल कमेटी का एक टुकड़ा विकास करने के लिए इस नगर विकास मंडल को देंगे। यह नहीं था कि सारा शहर नगर विकास मंडल को देंगे। यह कभी नहीं रहा। किसी जगह को भी ले लें, कानपुर, मैसूर, बम्बई-जितने शहरों का इम्प्रूवमेंट हुआ है, वह इम्प्रूवमेंट आपकी तरह नहीं हुआ है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमान्, मैं समझता हूं, यहां पहले भी कुछ तकरीरें हुई हैं। घंटी के बजाय तो आप कहें तो मैं अभी बैठ जाऊं। सवाल यह है कि मैं जो पॉइन्ट एजीटेट कर रहा हूं, उस पॉइन्ट पर मेरे से पहले भी माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में आप इस तरह नोटिफिकेशन नहीं निकालें। जिस वक्त कानून बन रहा था उस वक्त सिलेक्ट कमेटी में कहा था कि टेक्नीकल मामलों के अन्दर माइनोरिटी और मेजोरिटी से तय करने का प्रश्न नहीं होना चाहिए, टैक्नीकल एक्सपर्ट्स के मामले में यह प्रश्न नहीं आना चाहिये। लेकिन इनमें कौन आते हैं, अपनी नीति की डिफेन्स में आप एक भी मिसाल बता दें और उसके बाद कानून लायें तो अच्छा होगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं, आप यह बतायें, इन्टरटेनमेंट टैक्स म्युनिसिपैलिटी का था, उसका क्या हिस्सा आप म्युनिसिपैलिटी को देते हैं। अजमेर म्युनिसिपल कमेटी में जब मैं चेअरमैन था, उस वक्त एग्रीमेंट हुआ है कि एन्टरटेनमैंट टैक्स को वसूल करने में जितना खर्चा सरकार का लगता है, उतना यानि दस पर्सेन्ट ही हमारी सरकार काटेगी और उस दस पर्सेन्ट के अलावा जो ९० पर्सेन्ट एन्टरटेनमेंट टैक्स से आय होगी वह सारी म्युनिसिपल कमेटी को दे दी जायगी। यह रिटिन डॉक्यूमेंट है अजमेर म्युनिसिपैलिटी के पास। आज एमर्जेन्सी की हालत होते हुए भी और म्युनिसिपैलिटी की आर्थिक हालत खराब होते हुए भी इस एन्टरटेनमेंट टैक्स को बिना म्युनिसिपैलिटी की मर्जी के सरकार लेने का

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इरादा रखती है, और कान्स्टीट्युशन को डाइवर्ट करके इस टैक्स को खुद लेना चाहती है। पर इस तरह जनता के अधिकार को लेना चाहते हैं, एक्स चैकर के उस पैसे पर आपका कोई हक नहीं है क्योंकि शहर की व्यवस्था और उनकी सुख सुविधा उन पर चलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि एन्टरटेनमेंट टैक्स का पैसा रेस्पेक्टिव म्युनिसिपैलिटी का हिस्सा डिसाइड करके उनको लौटाया है।

एक और चीज इसी तरह की है, उसका नमूना यहां पेश करना चाहता हूं।

इसमें किसी को बुरा लगे तो लगे, अभी थोड़े दिन हुए जयपुर शहर में जो आतिश बाजार बन रहा है, उसकी सैंक्शन दे दी। उसके बाद कानून ला रहे हैं। वहां बाज़ार बन गया है, वहां की दुकानें बन गई हैं, जहां घोड़े रखते थे उसका कन्वर्शन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या नई सूझी है, सत्रह साल से हुकूमत चल रही है, बराबर चलती रही है उसके बाद यह आपकी नई सूझ है। यह नई सूझ नहीं है, पहले भी थी, क्योंकि सारे लोग वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के तरीके से काम करते हैं। जयपुर में काफी कब्जा कर लिया। जयपुर में सब तरफ पूछा जाय कि फलां फलां जगह कौन कौन रहते हैं–आप उनकी ओर मेरे से इशारा मत करवाइये – सारी जनता उन बिल्डिंग्स को देखती है, नाम देखती है। आप, जो बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं उनके बारे में ऐलान कर दें कि जो उनमें बीस साल से रह रहे हैं वह उनकी हो जायेगी। आप डेमोक्रेसी के अन्दर इस प्रकार की सुविधा दें जिससे सब इसका फायदा उठायें। मैं सामाजिक न्याय के अनुसार मांग करता हूं। जब आपके रूरल एरिया में सीलिंग लगाते हैं तो अर्बन एरिया के लिए भी कर दें कि जो किरायेदार एक मकान में बीस साल रह गया तो वह उसका नोमीनल कम्पेन्सेशन दे दें तो उसका हो जायगा। जिस कमरे में वह रहा है वह कमरा उसका हो जायगा। आप इस तरह का कानून बनायें। हम इसलिए मांग करते हैं कि यह एक सामाजिक न्याय है। आपने सीलिंग लगाई, जो जमीन के ऊपर काश्त करते हैं उनकी जमीन हो गई, उसी तरह मैं यह न्याय की मांग करता हूं कि अगर एक आदमी बीस साल एक मकान में रहा है तो चाहे वह गरीब हो या मालदार, वह आदमी उसी मकान में रह जाय। किसी मालदार के मकान में रह रहे हैं तो उस मकान पर हमारा मौरूसी हक हो जावे जबकि हमने उसको उस मकान की कीमत से कई गुना–दुगुना, चौगुना पैसा किराये के रूप में दे दिया है। जब हम सीलिंग ला सकते हैं तो इस प्रकार का कानून क्यों नहीं लाते। हमको इसके लिये अवश्य आवाज उठानी चाहिये। हमने जब जमीन के सीलिंग को सपार्ट किया है और उसको न्यायपूर्ण माना है, हम चाहते है कि फिर इस तरह से मकानों और बिल्डिगों पर ऐसा सीलिंग क्यों नहीं हो। हम जब इस बात को मानते हैं कि जमीन उसकी है जो उस पर खेती करता है तो उसी सिद्धान्त के अनुसार जो रहता है उसका मकान होना चाहिये और हम इस चीज की मांग करते हैं। कोई भी प्लॉट हो या बिल्डिंग हो, यह सब पर लागू होना चाहिये। आप ऊपर ऊपर पकड़ते हैं।

Page No. 81

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मैं यह कहूँगा कि आपको तले से पकड़ना चाहिये। यदि इसके लिये सरकार और हकूमत इन्कार करेगी और सीलिंग कायम करने में कुछ हिचकिचाहट करेगी तो मैं कहता हूं कि पब्लिक आपको इसके लिये मजबूर करेगी। पब्लिक आपसे सामाजिक न्याय लेकर रहेगी। एक तरफ आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि वाकई में शहरों के मकानों की कीमतें बढ़ी हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि ये शहरों में बिल्डिंग्ज और मकानों की कीमतें बढ़ी हैं वे आपके नगर विकास और आपकी वजह से नहीं बढ़ी हैं। और अगर वह जो शहर में कीमतें बढ़ी हैं और आमदनी बढ़ी है उसकी वजह से, उसको अगर लेने का किसी को अधिकार है. कोई हकदार हो सकती है तो वह म्युनिसिपल कमेटी। और उसको शहरों में रहने वालों के उपयोग के लिये रुपया देना और चाहिये उसका दूसरों को कोई हक नहीं हो सकता।

अब मैं यह कहूंगा कि जो इसमें जमा है उसका उपयोग आपने उसके लिये क्यों नहीं किया, इसका क्या कारण है? आप ऑर्डिनेन्सेज निकालते हैं। ६—६ महीनों तक उसका उपयोग नहीं होता और फिर आप यहां पर उस पर सील मोहर लगा देते हैं। कल ही आपका एक बिल बन चुका है। आपने क्यों नहीं उस कानून के अन्तर्गत टैक्स लगाये। मगर होता यह है कि जो नजदीक होते हैं वे आपकी गर्दन पकड़ लेते हैं। १७ साल पहले इम्प्रूवमेंट हुआ।........

(समय—समाप्ति—सूचक घन्टी)

आपको चाहिये कि वह पैसा जनता को देते। आप कहेंगे कि आपके पास पैसे की कमी है। मैं यह कहूंगा कि आपको उस पैसे को लेने का कोई अधिकार नहीं है जो इस प्रकार के टैक्सों से आता है। इस पर पब्लिक का अधिकार है। आप उनको आगे बढ़ने के बजाय पीछे छोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि आप इन सारी चीजों की जानकारी रखते हैं और उसको वेस्टेड इन्ट्रेस्ट जो आपके पास रहते हैं इनको बतला देते हैं और जब वह कानून के रूप में हमारे सामने आता है तो वे उस कानून की गिरफ्त से बच निकलते हैं। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप ऐसा न करें आज नगर विकास आपका है। आप ऐसा न करें कि कानून की नियत खराब हो। आप कन्सट्रक्शन के लिये एक्ट बनाने जा रहे हैं। आप हकूमत करते हैं आपको चाहिये कि आप कानून की नीयत को खराब न करें। यह मेरा आपके प्रति चार्ज है। मैं यह कहूंगा कि लाखों रुपये आपके पास पड़े हुए हैं। मैं आपको कॉंक्रीट लिस्ट बताना चाहूंगा। लाखों रुपये आपके पास पड़े हुए हैं। आप उसको खर्च नहीं करते। म्युनिसिपैलिटी अच्छी तरह से उसको खर्च करती है। हम भी यहां पर आते हैं हाउस में हम जानते हैं कि जहां पर एक व्यक्ति को ४००) रु० मिलते थे वहां पर उसको उसकी बजाय ८००) दिये हैं। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा। और वह भी आपने उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दिये हैं। जहां एक आदमी से काम निकलता था गवर्नमेंट ने तय कर लिया था मगर फिर भी आपकी तरफ से उसको ८००) दिये जाते हैं। मेरे से पूछेंगे....

Page No. 82

एक माननीय सदस्य : आप उनका नाम बता दें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : आपको नाम बताने में क्या ऐतराज है ? बता दीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप भी जानते होंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या कोई अजमेर के हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने कहा कि आप भी उसको जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब क्या किसी इन्जीनियर से है जो अजमेर से हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अजमेर का इन्जीनियर नहीं होगा तो कोई और होगा क्या ? उपाध्यक्ष महोदय समझ गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष समझ गये तो आप भी अब उसका नाम बता दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने निवेदन किया कि उनको ४००) के बजाय ८००) दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे ऐसे कौनसे अधिकारी हैं जिनको पहले ४००) मिलते थे उसके बजाय आप उसको ८००) देने की बात कहते हैं इसका कोई आखिर कारण भी तो होगा। आप उसका नाम तो बता दें।

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि रेवेन्यू वकील हैं। एक वकील से काम निकालने के लिये कोर्ट ने तय कर दिया था। उसके बाद उनको तनख्वाह नहीं दी गई और उसके बाद क्या हुआ कि उनको ८००) रु० सरकार ने देने तय कर दिये और वे भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दिये।

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब चन्देल से है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप समझ गये।

मेरे कहने का मतलब यह है और मेरा यह दावा है कि अगर इसके लिये कमेटी बिठा दी जावे तो आपको मालूम होगा कि इतनी बड़ी हुकूमत इसमें खर्चा करती है वह गलत तरीके से करती है। कोई भी चुनी हुई कमेटी आपसे अच्छी तरह से खर्चा करेगी। वे जानते हैं जो चुने हुए होते हैं कि कहां पर कितना पैसा खर्च करना चाहिये। हम यहां पर इकट्ठे होते हैं मगर सब बातों का हमको पता नहीं चलता। यह हकूमत पैसा खर्च करती है उससे चुनी हुई म्युनिसिपेलिटीज हैं वे अच्छी तरह से ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। आप क्या करते हैं। आप यह कहते हैं कि जो ज्यादा टैक्स लगा सकती है उसको अच्छी गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन जहां तक पंचायतों और म्युनिसिपेलिटीज का प्रश्न है, जिनके पास एक्स चेकर हैं, टैक्स लेती है। मैं कहता हूं कि आपने उन पर प्रीऑडिट बिठला दी है। भगवान करें आप पर भी यह नजला गिरे और प्रीऑडिट, आपके ऊपर भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट का प्रीऑडिट बैठे। आपको पता लग सकता है। आपने एक दफा देखा होगा

Page No. 83

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कि जब ३६ करोड़ रुपये बैंक के चढे हुए थे तो उस समय सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने कहा कि आपके यहां अनाप शनाप खर्चा हुआ है इसके लिये हम तीन महीनों के लिये आपको आदमी भेज देंगे। आपने उसको नहीं माना जबकि दूसरी हुकूमतों ने उसको मान लिया आपने यह किया कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कर्जा लेकर हम मूक लोगों को आपने उनके गिरवी रख दिया और चुपचाप आपने सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से लोन लेकर ३६ करोड़ रुपये रिजर्व बैंक को चुका दिये और हमको बन्दिश में डाल दिया। ६ करोड़ रुपये हर साल देने पड़ते हैं।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : आप विषय के बाहर जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Please try to wind up earliy.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह मौके की बात कही है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इसकी कल्पना का लेटर आया तो आपने तीन दिन में यह सब प्रीऑडिट के तौर पर आप पर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से ऑफिसर भेजने की बात थी उसको आपने समाप्त कर दिया।

इसके अलावा आप म्युनिसिपैलिटीज़ को और दूसरी संस्थाओं को कहते हैं कि टैक्स लगाओ और काम करो। आपको दर्द हुआ उनके काम करने से और आपने उन पर प्रिआडिट बिठला दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आप उनके चुने हुए नुमायन्दों को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। आप यह चाहते हैं कि एल. एस. जी. के डाईरेक्टर को चुने हुए लोग हाथ जोड़ते फिरें, जब आप चाहें। इस तरह की बात होती है तो मुझे शर्म आती है कि कोई शर्मदार आदमी तो म्युनिसिपेलिटी में जाना पसन्द नहीं करेगा क्योंकि जो रवैया गवर्नमेन्ट ने म्युनिसिपेलिटीज़ में चुने हुए लोगों के साथ अख्त्यार कर रखा है वह अच्छा नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं ३ मांगे रखता हूं।

पहली मांग यह है कि मकान के अन्दर जो किरायेदार रहता है वह मकान उस किरायेदार का होगा, जिस प्रकार हमने यह सिद्धान्त माना है कि जमीन को जोतता है, ज़मीन उसकी ही होगी, यही मकानों के लिये होना चाहिये।

दूसरी मांग यह है कि नगर विकास का मास्टर प्लान बनाओ, उससे पहले के जितने नोटिफिकेशन आपने निकाले हैं, जिनके द्वारा आपनें कम्पनी राज बना रखा है, उसको बन्द करो, उन नोटिफिकेशन्स को रद्द करो और मास्टर प्लान में सबको जमीनों के टुकड़े दो जिनको वे लोग इम्प्रूव करके रह सकें।

तीसरी बात यह है कि यह प्रीऑडिट बन्द करो, सम्हलो कि वह एक ऐसा डंडा, ऐसी पावर आपके हाथ में आ गई है कि उसके जोम में आप उनको भूल गये जो आप ही की तरह चुने हुए हैं, जिस तरह आप जनता के रिप्रेजेन्टेटिव हैं उसी तरह वे भी जनता के रिप्रेजेन्टेटिव हैं, प्रीऑडिट से जनता के नुमायन्दों की, जनता के अधिकारों की बेइज्जती करने से बाज आओ, बाज आओ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरेशविहारी ।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : मेरा नम्बर है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लिस्ट देखिये, मेरा नम्बर है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका नाम बोल देते तो लिस्ट ठीक हो जाती ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक, १६६४ और राजस्थान नगर सुधार संशोधन विधेयक, १६६४ दोनों सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुए हैं इन दोनों को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का मैंने प्रस्ताव रखा है ।

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon. Members to be as much brief as possible.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन दोनों संशोधन विधेयकों को प्रवर समितियों में भेजा जाय और वहां पर इन पर विचार किया जाय कि किस प्रकार के आवश्यक संशोधन किये जाने आवश्यक हैं । उपाध्यक्ष महोदय, हमने हमारे देश में प्रजातन्त्रीय पद्धति को स्वीकार किया है । उस संसदीय प्रजातन्त्र की पद्धति में स्वायत्त शासन संस्थाओं का अपना एक स्थान होता है और उस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देश में अगर प्रजातन्त्र को सफल बनाना है तो उसकी जो मूल इकाइयां हैं, शहरों में नगरपालिकाएं हैं और गांवों में पंचायतें हैं, इन मूल इकाइयों को मजबूत बनाया जाय । यदि इन मूल इकाइयों को मजबूत नहीं बनाया गया तो प्रजातन्त्र सफल नहीं हो सकता ।

माननीय उपाध्यक्ष, हमें दुख इस बात का है कि नगरपालिकाओं की हालत आज राजस्थान में बद से बदतर होती जा रही है । इसके कारण आज यह भय होने लग गया है कि प्रजातन्त्र कैसे फलेगा फूलेगा । नाम की स्वायत्त शासन संस्थाएं, पर अधिकार इनको कुछ भी नहीं, विशेष कर उस समय से जिस समय से कि सरकार ने यह अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स बनाये हैं, तब से तो शहरों में चलने वाली नगरपालिकाओं की हालत इतनी खराब हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं । डुप्लीकेट एडमिनिस्ट्रेशन हर शहर में चालू हो गया है, आमदनी के जितने जरिये हैं उन सब जरियों को इन ट्रस्टों ने, इन प्रन्यासों ने ले लिये हैं । इन ट्रस्ट्स की हालत यह है कि हमने कानून पास कर दिया, १६५६ में कानून पास किया और आज १६६४ चल रहा है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सदन को इस कानून को पास किये चार वर्ष हो गये इन चार वर्षों में इस कानून की क्रियान्विति की दृष्टि से सरकार ने क्या किया ? चार साल हो गये कानून को पास

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किये पर सरकार ने इसकी क्रियान्विति की दृष्टि से नियम तक नहीं बनाये हैं। इस सदन में अनेकों बार चर्चा की गई कि कानून पास किये जाते हैं पर सरकार नियम नहीं बनाती। अध्यादेश जारी किये जाते हैं पर नियमों के अभाव में उनकी क्रियान्विति नहीं होती और आज ऐसा महसूस होता है कि आज राजस्थान में कानून से चलने वाली सरकार नहीं बल्कि कानून को लुंगी लगा कर चंगेज को फोलो करने वाली सरकार है।

१९६५ में ट्रस्ट के बारे में कानून पास हुआ। सरकार ने नियम बनाये वे ४ साल बाद १९६३ में बनाये। १ अक्टूबर, १९६२ में सरकार ने अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट के तहत नियम बनाये, मार्च ६३ के गजट में ६ महीने बाद वे प्रकाशित हुए, चार साल बाद नियम बने, नियम बनने के बाद ६ महीने बाद प्रकाशित हों, उसके बाद नियम लागू हों और इन चार सालों में जितनी कार्यवाहियां ट्रस्ट की हुई वे सारी नियमों के खिलाफ, कानून के खिलाफ हुई पर सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती और आज ऐसा लगता है कि राजस्थान में सरकार नाम की या कानून नाम की कोई चीज नहीं। जो आदेश निकल गये, जो इनका फरमान निकल गया, वही फरमान चलता है। आज जो अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आपने बनाये हैं उनके सम्बन्ध में नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां बातें रखीं। हमने अनेकों बार सरकार से मांग की है कि नगरपालिकाओं को उसे आमदनी का जरिया देना होगा, जब तक वह नगरपालिकाओं को आमदनी का जरिया नहीं देगी तब तक नगरपालिकाओं की हालत सुधर नहीं सकती। नगरपालिकाओं की माली हालत नहीं सुधरेगी तो नगरों का विकास नहीं हो सकेगा और नगरों का विकास नहीं होगा तो वहां की जनता की भावनाएं प्रजातन्त्र के खिलाफ हो जायेंगी। आज राजस्थान की सरकार ने एन्टरटेनमेंट टैक्स नगरपालिकाओं से लेकर अपने हाथ में ले लिया है, जमीनों को बेच कर उनका पैसा नगरपालिकाओं को न देकर ट्रस्ट्स के अन्दर दिया हैं तो फिर नगरपालिकाओं के पास आमदनी का कौनसा जरिया बचा, नगरपालिकाएं अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहें तो कौनसा जरिया उनके पास है, सिवा टैक्सेज़ लगाने के? और टैक्सेज़ का भार आज राजस्थान की गरीब जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिये आज यह आवश्यक है कि एन्टरटेनमेंट टैक्स से जितना पैसा आता है वह नगरपालिकाओं को दिया जाय, स्टेम्प ड्यूटी का जितना पैसा आता है वह नगरपालिकाओं को दिया जाय, विहिकल्स टैक्स का पैसा नगरपालिकाओं को दिया जाय। जमीनें बेचने का अधिकार नगरपालिकाओं को दिया जाय, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्टस की दोहरी व्यवस्था को है उसको दूर कर के उनके सब अधिकार नगर पालिकाओं को दे दिये जायं जब गावों के लोग पंचायतों में अपने गावों का विकास कर सकते हैं तो नगरपालिकाओं को वे अधिकार क्यों नहीं दिये जाते कि शहरों का सारा का सारा विकास नगरपालिकाएं करें। अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्टस को डिजोल्व कर देना चाहिये। आज ट्रस्टस क्या करते हैं? जयपुर का उदाहरण

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बताऊं । राजस्थान में राजस्थान की सरकार ने ट्रस्ट्स कांस्टीच्यूट किये हैं, उनके चेयरमेन नियुक्त किये गये हैं। मैंने पिछली बार सदन में निवेदन किया था कि नाम ट्रस्ट है पर ट्रस्ट के चेयरमैन इस प्रकार के आदमी हैं। मैंने उदाहरण दिया अलवर के अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स के चैयरमैन का कि ऐसे व्यक्ति को ट्रस्ट्स का चैयरमैन बनाया जिसके बारे में राजस्थान हाई कोर्ट कहता है इस आदमी के कन्डक्ट के सिलसिले में कि नेहरू फण्ड के एम्बेजलमेंट के बारे में, मिसएप्रोप्रियेशन के बारे में इसका मिस्कण्डक्ट रहा है, हाई कोर्ट ने इस व्यक्ति के कन्डक्ट को सेन्स्योर किया है। सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्चर पास करने पर आन्ध्र के चीफ मिनिस्टर संजीवैया रेड्डी ने स्तीफा दे दिया, पर राजस्थान के हाई कोर्ट ने फैसला दिया है श्री शोभाराम के कन्डक्ट को सस्पेक्ट किया है, उसके कन्डक्ट को सेन्स्योर किया है चाहे वे कांग्रेस के नेता रहे हों, कांग्रेस के स्तम्भ होंगे पर सिर्फ इसी आधार पर कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं इसलिये अलवर के अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चैयरमैन बना दिया। जिन पर कि हाईकोर्ट में मिसएप्रोप्रियेशन का, पब्लिक मनी के एम्बेजलमेंट का चार्ज लगाया, उसको आज आपने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमेन बनारखा है ।

जयपुर के विकास का काम आपने किसको दिया? यहां सदन में राजस्थान की जनता अपने अपने इलाके से लोगों को चुन कर भेजती है, लेकिन जयपुर की ५ लाख जनता है, २॥ लाख में से केवल ६ हजार लोगों ने जिसे वोट दिये, २ लाख ४१ हजार लोगों ने जिसे नाकाबिल माना, अपने वोट उसे नहीं दिये, ऐसे आदमी को जयपुर अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का चैयरमैन बना रखा है।

सरकार के सामने उनको काम देने का सवाल है, उनको बसाने का सवाल है, उनको आमदनी का जरिया देने का सवाल है। आप किस आधार पर, किन सिद्धांतों के आधार पर जो चुनाव में हार जायं, कांग्रेस पार्टी के मेम्बर हैं, पुराने चेयरमैन हैं, पुराने कार्यकर्त्ता हैं उनको ऐसे पदों पर लाते हैं। यह मान्यता रही है सरकार की सिर्फ इसलिए कि वह पार्टी का मेम्बर है। तो जिस जनतंत्र की जड़ें आप मजबूत करना चाहते हैं उसी जनतंत्र की जड़ें खोदकर आप खोखली करते चले जा रहे हैं। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के एक मेम्बर हैं, म्यूनिसिपल चुनाव में हार गए। यह दिसम्बर को या १ जनवरी को नतीजा निकला और ४ जनवरी को आपने उसको इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का मेम्बर नॉमीनेट कर दिया मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों में जनता अपने मतदान द्वारा अपना विश्वास प्रकट नहीं करती, जिसको आदर्श नगर की जनता ने चुनाव में हराया, उनमें विश्वास नहीं रखती, ऐसे लोगों को आपने तीन दिन के बाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का मेम्बर बना दिया। क्यों बना दिया? केवल इसलिए कि वह कांग्रेस पार्टी के मेम्बर हैं, केवल इसलिए कि उसमें एक ही क्वालीफिकेशन है। वह मुख्यमंत्री को बुलाएंगे, मंत्रियों को बुलाएंगे, दावतें देंगे, आपके लिए स्वागत समारोह का आयोजन करेंगे। अगर यही क्वालिफिकेशन है तो इसे आप कानून में लगा दीजिये। जो भी मंत्री हार जायं उन लोगों के लिए गौशाला खोल दी जाय, पिंजरापोल खोल दिया जाय,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पेन्शन काकानून लाइये। आखिर है क्या ऐसे हारे हुए लोगों के लिए, उनको रीहैबिलिटेट करने के लिए, ट्रस्ट और कॉर्पोरेशन का उपयोग होता है। आप रोडवेज कॉर्पोरेशन बनाना चाहते हैं वह इसलिए कि भूतपूर्व राजस्व मंत्री, जो चुनाव में हार गए हैं, उनको चेयरमैन बनाना हैं। इस तरह की योजनाएं जो सरकार चला रही है वह जनता के भले के लिए नहीं है, कांग्रेस के हारे हुए चोटी के नेताओं को केवल रिहैबिलिटेट करने की दृष्टि से किया जाता है।

मैं पूछना चाहता हूं कि आज जयपुर में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है। आपने कितनी योजनाएं बनाई हैं, कितना जयपुर का विकास किया? आज ट्रस्ट में सबसे बड़ा स्कैंडल यह हो रहा है कि एक्विजीशन का नोटिस निकलता है, उसके बाद डेवेलपमेंट स्कीम बन गई, डेवलपमेंट का प्लान बन गया और प्लान बनने के बाद जिस आदमी की जमीन एक्वायर की जा रही है वह कोशिश करता है और कोशिश करने के बाद, मंत्री के पास जाता है, मुख्यमंत्री के पास जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस बात के लिए आपने डेवेलपमेंट स्कीम बनाई, जिस जमीन का आपने एक्वीजीशन का नोटिस निकाला तो फिर किस आधार पर वह एक्वीजीशन का नोटिस विथ्ड्रा किया?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बनी पार्क के इलाके में २० हजार के प्लाट्स हैं, आपने एक्वीजीशन का नोटिस निकाला। जो पीरामल होटल सरकार ने खरीदी उससे सरकार चाहती है कि उसके पास की सारी जमीनों पर सरकारी बिल्डिंग्स बन जायं, एक लाइन में हो जायगी। आपने एक्वीजीशन का नोटिस निकाला ए–३ का, क्यों निकाला और क्यों विथ्ड्रा किया? सरकार जवाब नहीं दे सकती और इसलिए नहीं दे सकती उपाध्यक्ष महोदय, कि उसके पीछे कोई लॉजिक और रीजनिंग नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो आदमी नोटिस को विथड्रा करे, वह आदमी जिसकी जमीन हो उसके दो प्लाट्स किए जायं और ४० हजार रुपये खाने के बाद सरकार एक्वीजीशन के नोटिस विथ्ड्रा करती है। मैं पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर निकाला और विथ्ड्रा किया? कोई कारण नहीं।

आज आदर्शनगर के इलाके का उदाहरण मैं देना चाहता हूं। शहर की चहार दीवारी के बाहर जो इलाका है वह इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट का है। पिछले सितम्बर सेशन में सदन के सामने आदर्श नगर वालों का प्रदर्शन हुआ था। उस समय के जो उपमंत्री थे श्री हरिभाऊ उपाध्याय उन्होंने जाकर प्रदर्शनकारियों में भाषण दिया और उनको आश्वासन दिया कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी मांगें वाजिब हैं, आपकी मांगों पर सरकार जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेगी, लेकिन आज ६ महीने बीतने को आए, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज वह इलाका सड़ रहा है, पानी की वजह से सड़कें फट रही हैं, फुटपाथ फट रहा है, नालियां, नल व बिजली नहीं है। आज कोई भी मंत्री यह कहने को तैयार नहीं है कि आदर्श नगर का मालिक मैं हूं। मैं सरकार से कैटेगरीकली केवल एक

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जवाब चाहूँगा कि आदर्श नगर की सड़कों का विकास, बिजली पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था और सारे जो विकास के काम हैं इनके लिए किसकी जिम्मेदारी है ? रीहैबिलिटेशन की है, पी. डब्ल्यू. डी. की है, यू. आई. टी. की है, म्युनिसिपैलिटी की है, किस मंत्री की है। यू. टी आइ. में जाते हैं तो कहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी में जाओ, म्युनिसिपैलिटी वाले कहते हैं कि पी. डब्ल्यू. डी. में जाओ, पी. डब्ल्यू. डी. में जाते हैं तो कहते हैं कि रीहैबिलिटेशन में जाओ। इसलिए सरकार को सारी चीज तय करनी चाहिए। उसी आदर्श नगर में एक बार मुख्य मन्त्री पधारे, उसका स्वागत किया गया। मैं यह इन्वीटेशन कार्ड १९६१ का है पढ़ देता हूं:—

"Reception to Shri Mohanlal Sukhadia, Chief Minister of Rajasthan on behalf of Jaipur Pursharthi Premier organisations. You are cordially invited at Adarsh Nagar near Gita Bhawan (under construction) on 4th. August, 1951 at 4 P. M."

अब मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री से और उनकी तरफ से कृषि मंत्री से कि आप यह दावत तो खा आए १९६१ में और वहां के लोगों को आश्वासन दे आये कि आपको प्लॉट्स का पट्टा दे दिया जायगा। लेकिन आज तीन साल होने को आए उस आश्वासन के बाद आदर्श नगर के रहने वाले लोगों को प्लॉट्स का पट्टा आज तक सरकार नहीं दे पाई। प्लॉट्स का पट्टा अगर नहीं मिलता तो टाइटल ट्रांस्फर नहीं होता, मालिक की हैसियत नहीं बनती, अगर टाइटल ट्रांस्फर नहीं होता तो उसको मारगेज नहीं कर सकते लोन नहीं ले सकते, आगे डेवेलप नहीं कर सकते। आज से १५ साल पहले जिस समय पुरुषार्थी आये, तो इस इलाके में रेत के ऊंचे २ टीबे थे, बड़ा भारी जंगल था, उस जंगल और टीबों को खत्म करके इन लोगों ने सड़कें बनाई, मकान बनाए और उस आदर्श नगर को एक आदर्श नगर के रूप में लाए लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के इन कारनामों के कारण और गलत नीतियों के कारण आज आदर्शनगर की ऐसी स्थिति है। या तो सरकार कहे कि जो विरोधी दल के लोगों के निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें विकास का काम नहीं करेंगे इसलिए आदर्श नगर के विकास का काम नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो आपमें से कोई खड़ा होकर कह दे कि आदर्श नगर का विकास इस कारण से नहीं हुआ है क्योंकि वहां से विरोधी पक्ष का आदमी जीतकर आया है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वहां की जनता की बहबूदी के लिए, जनता के विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए, मैं स्तीफा दे दूंगा लेकिन कम से कम गरीब जनता का विकास किया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सरकार का कोई ऐसा कोई इरादा नहीं है। आपकी कुर्बानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इम्प्रूवमेंट हो जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्यपाल महोदय ने तीन साल पहले अपने भाषण में घोषणा की थी कि शहरों के अंदर सामुदायिक विकास योजनाएं लागू की जायंगी।

Page No. 89

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राज्यपाल महोदय, जो इस राज्य के सबसे बड़े कान्स्टीट्यूशनल हैड हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिसलेचर के हैड हैं, उनकी घोषणा होने के बाद भी राजस्थान में नगर सामुदायिक विकास योजनाएं नहीं लागू की जा रही हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं राजस्थान के सारे नगरों का मास्टर प्लान कब तक बनेगा, जयपुर का क्या हो रहा है, मास्टर प्लान के लिए कमेटी बनी थी, लोगों की आबादी बढ़ती चली जा रही है, मकान बनते जा रहे हैं, कन्वर्सस बढ़ते जा रहे हैं, आपकी सरकार रोक नहीं सकती। गरीबों की झोंपड़ियां उखाड़कर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट देख सकता है लेकिन जिन लोगों ने अनधिकृत रूप से बिना इजाजत के बड़े बड़े मकान बना दिए उनका आप कुछ नहीं कर सकते। यदि आपका यही रवैया रहा तो आप मानकर चलिए कि इससे असंतोष फैलेगा। राजस्थान के सारे नगरों में और विशेषकर जयपुर शहर के अन्दर बिना इजाजत के ४ मंजिले मकान बन जांय उनका आप कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन जयपुर के अन्दर ७५ हजार लोग कच्ची-बस्तियों में रहने वाले हैं उनको प्लॉट्स दिए, नाम तो रखा जनता कोलोनी लेकिन प्लॉट्स का मूल्य रखा १८ रु० गज।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी नीतियों में परिवर्तन करें, नीतियों में संशोधन करें, गरीबों को आप प्लॉट दीजिये, चाहे आप दो दो सौ गज के प्लाट्स दीजिये, लेकिन उनको दीजिये, छोटे छोटे प्लाट्स काफी हो सकते हैं, इधर उधर आगे पीछे जमीन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इन सारी बातों में आप परिवर्तन करिये। शहरों के अन्दर आप सामुदायिक योजना लागू करके चलिये, अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को तोड़ कर म्युनिसिपेलिटी को सारे अधिकार देते हुए, जिस अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट पर चेयरमेन बना कर ऐसे व्यक्ति को बिठा रखा है जिसका पब्लिक कन्डक्ड खराब है, इस प्रकार के व्यक्तियों को हटा कर इस प्रकार के ट्रस्ट को खत्म करके आप स्वायत्त शासन संस्थाओं को मजबूत बनायेंगे इन्ही आधारों पर मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास : (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्युनिसिपेलिटी (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ और राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एक्ट, १९६४........

श्री उपाध्यक्ष : Be brief Please.

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो यहां पर प्रस्तुत हुए हैं उनके लिए मैंने वह सुझाव दिया है कि इनको एक प्रवर समिति में भेजा जाय जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करे।

मेरा निवेदन यह है कि प्रजातन्त्र में जिस प्रकार अभी माननीय सदस्य ने कहा कि दो इकाईयां हैं जो सबसे आवश्यक हैं। गांवों के लिए पंचायतें हैं और शहरों के लिए म्युनिसिपेलिटीज हैं। इन दोनों इकाइयों को जब

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

तक हम मजबूत नहीं बनायेंगे तब तक हमारा प्रजातन्त्र सफलतापूर्वक नहीं चल सकता और जिस तरह से विकास करना चाहते हैं वह भी नहीं हो सकता इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस प्रकार से म्युनिसिपेलिटीज और पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देकर हम अपने नगरों और गांवों का विकास करें। लेकिन होता क्या है? अभी हमारे सामने दो बिल प्रस्तुत हैं। एक म्युनिसिपेलिटीज के सम्बन्ध में है और दूसरा अरबन इम्प्रूवमेंट के सम्बन्ध में है। जहां तक इन दोनों का ताल्लुक है यह कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे का विरोधाभास हैं। जहां तक अर्बन इम्प्रूवमेंट और म्यूनिसिपैलिटीज़ का अधिकार है और ताल्लुक है यह एक प्रकार से ड्यूएल गवर्नमेंट का तरीका है यानि एक को एक अलग शासन का अधिकार है और दूसरे को दूसरे शासन का अधिकार है। अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और म्युनिसिपेलिटीज़ के सम्बन्ध में यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो टेक्सेज म्युनिसिपेलिटीज़ को मिलने चाहिये वे सब अधिकार अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दे दिये गये हैं जिससे आपकी म्युनिसिपेलिटीज़ को बहुत हानि उठानी पड़ती है। जो अमेन्डमेंट बिल अर्बन इम्प्रूवमेंट और म्युनिसिपेलिटीज के सम्बन्ध में यहां प्रस्तुत हुआ है आज जो जमीन किसी काम के लिए दी जाती है, खेती या कारखाने के लिए दी जाती है, यदि उस जमीन को कोई आदमी दूसरी चीज़ के लिए कन्वर्शन कराये तो उससे जो उसको लाभ होने वाला है, जो उससे वेल्यू बढ़ने वाली है उससे सरकार को भी लाभ मिलना चाहिये और इसके लिए यह बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार का बिल तो १७ वर्ष पहले जब आजादी मिली थी उस समय आना चाहिये था। इतना लेट स्टेज पर आया है। शहरों में १८ वर्ष पहले प्लाट पड़े हुए थे और जिनके पास हजारों और लाखों बीघा जमीन थी, मकानों के पास जमीन थी शहरों में, प्रोपर्टी थी, उनका फायदा लोगों ने उठा कर प्लाट्स में या कारखानों में उनको कन्वर्ट करा लिया और उनसे लाखों और करोड़ों रुपयों का फायदा उठा लिया। जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि यह प्रावधान अच्छा है लेकिन आज से १७ वर्ष पहले जिन लोगों ने फायदा उठाया है लाखों और करोड़ों रुपयों का उन पर भी यह लागू होना चाहिये बल्कि मैं तो इन शब्दों में कहूंगा कि १७ वर्ष से इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करना चाहिये और जिन लोगों ने लाखों रुपयों का फायदा उठाया है उनसे म्युनिसिपेलिटीज और सरकार को फायदा मिलना चाहिये, जिन्होंने दूसरी चीजों में कन्वर्शन करा कर फायदा उठाया है उनसे सरकार को फायदा मिलना चाहिये।

शहरों के लिए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैं उसके लिए अर्ज करना चाहता हूं। इस तरह का प्रावधान है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट किसी कोलोनी का डेवलपमेंट करे, वह खर्चा वसूल करके म्युनिसिपेलिटी को वह कोलोनी सुपुर्द कर दे। आज शहरों में ज्यादातर अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा ही जमीनें बेची जाती हैं और उनसे जो रकम प्राप्त होती है उसका हिस्सा म्युनिसिपेलिटीज़ को नहीं दिया जाता है

Page No. 91

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जिसके म्युनिसिपैलिटीज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज शहरों और गांवों में जिस प्रकार की भिन्नता हो रही है, जो व्यवहार किया जा रहा है गांवों और शहरों के बीच में वह भी सोचने का विषय है। जमीन पर सीलिंग का कानून लागू कर दिया। मैं उसका स्वागत करता हूं। आप समान स्तर पर लाना चाहते हैं। समाजवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं। एक आदमी के पास लाखों बीघा जमीन हो और एक आदमी के पास कुछ भी जमीन न हो आज देश में यह नहीं चल सकता, आप दोनों को समान स्तर पर लाना चाहते हैं और उसके लिए कम से कम आपने गांव में सीलिंग का कानून लागू करने का प्रयत्न किया है। लेकिन म्युनिसिपेलिटीज़ के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आज हजारों लाखों रुपया मकानों का किराया लोगों के पास आता है और इतनी जायदाद उनके पास है कि उनके स्वयं के काम में नहीं आती है। बल्कि किराये देकर ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाते हैं। इस प्रकार के कानून की आवश्यकता है कि कोई आदमी अपनी जरूरत से अधिक मकान रखता है तो उस आदमी को अधिकार होना चाहिये जो २०.२५ वर्ष से उस मकान में किराये पर रहता है। उसको उस पर अधिकार मिल जाना चाहिये।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी मेरी अर्ज यह है कि बहुत लोग गांवों में बिना मकान के हैं उन लोगों को, पंचायत एक्ट में प्रावधान है कि मकान बनाने के लिए, बाड़ा बनाने के लिए जमीन फ्री दी जाय। शहरों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। शहरों का डेवलपमेंट उन लोगों के द्वारा ज्यादातर हुआ है जो मजदूरी करते हैं। आज हम मजदूरों के प्रति किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? जब हम चाहते हैं कि सोसियेलिस्टिक सोसाइटी बने और उसमें विश्वास करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा गरीबों के साथ सहानुभूति और सद्भाव का व्यवहार होना चाहिये। लेकिन होता यह है कि अरसे दराज से जिन जमीनों पर लोग रहते हैं उनको वहां से इजेक्ट करके वहां पर कारखाने खड़े कर दिये जावेंगे और साधन सम्पन्न लोग हैं उनको वह जमीन मिल जावेगी, और उन गरीबों को वहां से दूर फेंक दिया जायगा। सरकार को तो यह करना चाहिये कि काफी अरसे से लोग जहां जिन जमीनों पर रहते हैं उनको वहां पर मकान बनाने के लिए उनको स्वयं को वे जमीनें दे देनी चाहिये ताकि वे लोग संपन्न बन सकें। आज इस प्रकार की व्यवस्था के अभाव में लोगों के दिलों में यह भावना हो रही है कि जो मालदार लोग हैं वे तो नाजायज फायदा उठाते रहें और काश्तकार लोग हैं, मजदूर लोग हैं और गरीब लोग हैं उनको रहने के लिए झोंपड़े भी नहीं और उनको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता है।

म्युनिसिपेलिटी के सर्कल में जो जमीनें हैं वे उनको कलेक्टर की बगैर इजाजत के बेचने का अधिकार नहीं है। इन जमीनों को बेचने का अधिकार तो म्युनिसिपेलिटीज को दे ही देना चाहिये ताकि नगर का विकास हो सके। आज जो कानून हमारे सामने आया है उसमें भी यह प्रावधान है कि जो जमीन म्युनिसिपल एरिया में होगी या जो इम्प्रूवमेंट

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

ट्रस्ट के एरिया में होगी जो उनके कन्वर्सन से लाभ मिलेगा वह सरकार वसूल करेगी और वह पैसा सरकार के कन्सोलिडेटेड फन्ड में जमा होगा।

(१२ मध्यान्ह)

मगर मेरी राय में इस प्रकार की बात उचित नहीं हो सकती। जो भूमि म्युनिसिपल एरिया के अन्दर हो अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अन्तगर्त हो उस जमीन को बेचकर जो रकम प्राप्त की जाय वह सारी की सारी रकम म्युनिसिपैलिटी या अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दे दी जाय ताकि वे नगर का ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकें। इस प्रकार उनको भी फायदा हो सकता है। इस बात के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट आना चाहिये जिससे जमीन बेचने के द्वारा या कनवर्सन द्वारा जो लाभ मिलता है वह म्युनिसिपेलिटी को दिया जाय। आज म्युनिसिपेलिटीज की हालत इस प्रकार की हो रही है कि कई म्युनिसिपेलिटीज में कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पाती इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इनमें बहुत सी कमियां हैं इस लिये इनको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दो बिल प्रस्तुत हुए हैं। राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बिल और राजस्थान म्युनिसिपल बिल, दोनों बिलों की मन्शा एक ही है नगरों के सुधार के संबन्ध में ये दो बॉडिज हैं और उनसे ताल्लुक रखने वाले ये दोनों बिल हैं। इसके अन्दर कनवर्शन से एक परटीकूलर जगह के कनवर्शन से वेल्यूजके अन्दर वेरीएशन्स होते हैं उसका क्लेम सरकार ने सोचा है कि वह कम्यूनिटी का है यह बड़ी खुशी की बात है। कनवर्शन से वेल्यूज में इन्क्रीमेन्ट्स होते हैं सरकार उस इन्क्रीमेन्ट्स में हिस्सेदार बन जाय यह बड़ा अच्छा विचार है। देर आयद दुरुस्त आयद। यह बहुत पहले से हो जाना चाहिये। अपने आपको समाजवादी कहने वाली सरकार के दिमाग में आखिर यह आया ही। सवेरे का भूला हुआ अगर शाम को भी घर आजाय तो उसको भूला हुआ नहीं कहा जा सकता। राजस्थान में बिखरे हुए नगरों पर दृष्टिपात करिये, हर नगर के परकोटे के पास सैकड़ों झौंपड़े और स्लम्स दिखाई देते थे, आज से दस साल पहले। आज उनकी जगह बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें खड़ी दिखाई देंगी। आज उन भूखन्ड के स्वामियों को लीजिये, मैं उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा सरकार को, उससे आपको क्या प्राप्ति हुई। और सरकार उन भूस्वामियों की जमीन के संबन्ध में यह कनवर्शन का आदेश लागू करती तो करोड़ों रुपये की आमदनी उनके कन्सोलिडेटेड फन्ड में हो सकती थी या सारी की सारी म्युनिसिपैलिटी को प्राप्त हो जाती या अरबन इम्प्रूवमेंन्ट ट्रस्ट को मिल जाती जिससे नगर का सुधार हो सकता, नगर का विकास हो सकता। आज म्युनिसिपैलिटीज की तरफ यह मांग की जाती है कि वह रुपया कन्सोलिडेटेड फन्ड में जमा न कर कर म्युनिसिपैलिटी या अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को दी जाय तो यह स्थिति पैदा नहीं होती।

जयपुर नगर को ही लीजिये। इसके एक

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाइये । जहां पहले घुड़ साल थी वहां आज आलीशान दुकानों का निर्माण हो चुका, वह स्थान जहां दुर्गन्ध आती थी, घोड़ों का अस्तबल था, घोड़े बन्धा करते थे वहां बड़े बड़े महल खड़े हैं या दुकानें बन गई हैं । ऐसे महल भी जहां हुक्मराना रहा करते थे आज ४ रुपया लेकर देखने जाने दिया जाता है । जहां हुक्मराना रहा करते थे उन जगहों को होटलों में परिवर्तित कर दिया गया जिसमें १५०) रु० रोज किराया देना पड़ता है । उन स्थानों को देखें एग्रीकलचर प्लाट्स को देखें उनमें आज आलीशान कालोनीज बस गयीं हैं । अगर इन सारे को आप कन्वर्शन में लेते तो आपको करोड़ो रुपयों की प्राप्ति हो सकती थी । यह जयपुर नगर की ही बात नहीं किसी भी नगर को ले लीजिये । कोटा को ले लीजिये इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाइये या तो उप-मन्त्री महोदय की सम्पत्ति दिखाई देगी या भूतपूर्व नरेश की सम्पत्ति दिखाई देगी और नगर के बीचों बीच एग्रीकलचर लैन्ड चल रही है जिसमें ट्रैक्टर चलते हैं । एक नवरंग होटल है जो कोटा का मुख्य स्थान ग्रहण किये हुए है । कोटा जिस प्रकार से औद्योगिक नगर बनता जा रहा है । जहां कास्टिक सोडा ऐश फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, रेयन मिल कायम हो रही है, जहां सारे देशों के एक्सपर्ट्स आते हैं, जापान से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, विचार करते हैं कि कितना पोटेन्शियल अवेलेबिल होगा इसको देखते हैं । इस कारण आज कोटा के मकान का जहां पहले १००) रुपया किराया आता था उसका १२००) रुपया प्राप्त होता है । आप कोटा शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाइये वहां भूतपूर्व नरेश की सम्पत्ति या भूतपूर्व उप-मंत्री की सम्पत्ति नवरंग होटल दिखाई देगा जहां का किराया ५०) रुपया रोज का है ।

उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर में केवल गंग नहर बन कर ही रह गई । म्युनिसिपैलिटी द्वारा ड्रेनेज कायम नहीं किया गया । अबोहर जो इसी के समकक्ष इलाका है वहां ड्रेनेज हैं, वहां की भूमि और गंगानगर की भूमि एक समान है वहां की ड्रेनेज का वाटर आक्शन होता है जिससे पांच लाख रुपये की आमदनी म्युनिसिपैलिटी को है । उसी प्रकार का ड्रेनेज गंगानगर में बना दें, गन्दा पानी बाहर निकाल दें तो ड्रेनेज के गन्दे पानी को एग्रीकलचरिस्ट आक्शन पर ले सकते हैं उससे पांच छ लाख की आमदनी हो सकती है ।

शुगर मिल का जो इलाका है वहां के जो मोलेसेज हैं उसके कारण वहां का वातावरण दुर्गन्धमय बना रहता है । उसके पास जो एग्रीकलचर लैन्ड है उस पर आप दृष्टिपात करिये कोठियां बनी हुई हैं, चारों तरफ घूम जाइये । जिनिंग प्रेसेस हैं, फैक्टरीज हैं, कोठियां बनी हुई हैं । जिस धरती की कीमत एक हजार रुपया बीघा थी उस धरती की कीमत पचास लाख रुपया बीघा हो चुकी है । उसको भी आप कनवर्शन कर सकें जितने भी जिनिंग प्रेसेज हैं, छोटी मोटी दूसरी फैक्टरीज हैं जहां लोगों ने अपनी कोठियां बना ली हैं सारी की सारी एग्रीकलचर लैन्ड को आबादी में कनवर्ट कर लिया है । अगर उसको भी आप इस कनवर्शन में लेते तो करोड़ों रुपयों की आमदनी होती । बार बार उसको एक्वायर करने की बात होती है, कनवर्शन चार्ज की बात सरकार ने की है वह

Page No. 94

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कैसे कनवर्शन में आ सकती है। किसी मंत्री का इलेक्शन हो। मालपुरा में जो वहां से ५०० मील, हजार मील की दूरी पर जिनके इलेक्शन के लिये पचास पचास जीप आ जाती हों जिनकी तरफ से, जो इस प्रकार इलेक्शन में सहायता करे उनकी धरती की कनवर्शन कैसे हो सकता है? सरकार खुद शुगर मिल के एरिया में प्लाट एक्वायर कर सकती है लेकिन पांच वर्ष हो गये अभी तक सरकार एक्वायर नहीं कर सकी है।

मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा अगर यह समाजवादी सरकार इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर दे और उन भूखन्डों को लेने की बात करे जैसे जयपुर में जागीरदारों ने पुराने विश्वेदारों ने सैकड़ों प्लाटस अपनी एग्रीकलचर लैन्ड में काटे हैं जिनमें आज नयी नयी कोलोनीज बस गई हैं। बड़े बड़े भूखन्ड जिनके पास थे जिनकी कीमत किसी समय कुछ नहीं के बराबर थी आज उन्हीं भूखन्डों से लाखों रुपया कमा लिया है। वह सम्पति सरकार के हाथ से चली गई है, आज सरकार कनवर्शन की बात सोच रही है, आज उनकी वेल्यूज से पैसा इकट्टा करने की बात सोच रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में माननीय सदस्यों ने अपनी राय रखी है उस संबन्ध में मैं ज्यादा न कह कर सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां गरीब काश्तकार की धरती इसमें आ सकती है वहां बड़े बड़े आपके जो नेता हैं उनकी नहीं आ सकती। अलवर के जुबली रोड के अन्दर एक गरीब काश्तकार की सारी धरती को ले लिया गया है लेकिन उसके एक कोने पर एक्सएम० एल० ए० का सिनेमा घर बनने वाला है उस कोने को छोड़ दिया जाता है। अलवर स्टेशन के ऊपर जहां एग्रीकलचर की भूमि थी वह सारी भूमि आबादी लैन्ड में परिवर्तित हो गई है. वह भूमि अपने आप कनवर्ट हो गई है उससे सरकार को हानि हुई है। वहां जमीनें कई व्यक्तियों के नाम ली गईं जिन्होंने प्लाटस बना बना कर बेच दिये। वहां अरबन इन्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के चेयरमैन जो हैं जिनके लिये जयपुर से आपने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, लेकिन म्युनिसिपैलिटीज के जो पहले मंत्री थे और जो इस बार हार गए वे यू० आई० टी० के मेम्बर बन जायें जिनको कि एक मेम्बर जो यहां सदन में आये हैं १० हजार वोटों से हरा दें और मास्टर भोलानाथ को मास्टर नत्थीसिंह जी हरा दें। याने एक सदस्य यू० आई० टी० में हैं जो कि इलेक्शन में पिटे हैं और एक मास्टर ही मास्टर को हरा दे। जीतने वाले सदस्य इस सदन में बैठे हैं और यू० आई० टी० वहां का विकास कर रही है। एक यू० आई० टी० के चेयरमैन के साहबजादे म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर हैं। एक लेण्ड जो कि गर्ल्स सेकेन्डरी स्कूल के सामने है और जो एक्वायरमेन्ट के लिए एक्वायर हो चुकी है और जिसकी कीमत १ हजार रु० बीघा थी जो अब बढ़कर २० रुपये स्क्वायर यार्ड हो गयी याने एक बीघा की कीमत ७० हजार हो जाये उसमें वह अपना बाकायदा मकान बना लें। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने कनवर्शन की बात को सोचा है। सरकार को इसके संबंध में

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

निश्चित रवैया है जिसको सरकार खुद ही समझ सकती है उसमें एक रंग विशेष है....

(समय--समाप्ति--सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन गबन के सिलसिले में सस्पेन्ड हो जाये और एक महीने तक सस्पेन्ड रहें और लोकल बोडीज के ऑफिस से एक महीने के बाद उनको बहाल के आर्डर्स मिल जायें, उसके बाद फिर सस्पेन्ड हों और फिर बहाल हों यानि दो दफा ही बहाल हो और दो दफा ही सस्पेन्ड हो। और जब शुद्ध पवित्र हो जायें तो राजस्थान के मुख्य मंत्री जी दौरा करें बोर्डर क्षेत्र में। इसकी इन्क्वायरी करने जायें कि एक माननीय सदस्य ने जो बात कही थी कि १२ सौ भेड़ें मर गई वह सही है या नहीं। इसकी जानकारी के लिए वह गांवों में जायें तो लोग कहें कि १२ सौ नहीं १८ सौ भेड़ें मरी हैं। लोगों से वह मिलें नहीं, डेप्यूटेशन को वह मिलें नहीं। शुद्ध हुए, पवित्र हुए अनूपगढ़ के प्रेसीडेन्ट के यहां जाकर वह चाय पीयें। लोकल बाडीज़ के मिनिस्टर वहां पर जायें। रायसिंहनगर के लोग उनका स्वागत करें और उनको चाय पिलायें और अपनी मांगें बड़ी सभ्यता से पेश करें ८०० दुकानदारों की ओर से मांग पेश की गयी। जहां भूत नाचा करते थे, आंधी झंझर चला करते थे वह लोग जिन्होंने मिट्टी के तेल के दीये जलाकर ८०० दुकानों ने तेल और नमक बेचकर उस मण्डी का निर्माण किया है, गंगानगर का निर्माण किया है जो कि सारे राजस्थान को अन्न खिलाता है और उस टुकड़े पर तीस तीस साल से बैठे हैं। वहां उनका अपना कन्सट्रक्शन है, अपनी मेहनत से बनाई हुई दुकानें हैं वह इसकी मांग करें कि यह टुकड़े अब हमको अलाट कर दिये जायें। म्युनिसिपैलिटी उनको अलाट करे और सरकार उनको अलाट न करे। सरकार कहती है कि इस छोटे से टुकड़े की कीमत ५-७-१० हजार रुपया है। सरकार कहती है कि यह चांदनी चौक है, यह बाम्बे का मार्केट है और जब मंत्री महोदय को ले जाकर टूटे हुए मोचियों और रेगरों की दूकानों को दिखाया जाये और उन से पूछा जाये कि क्या यह चांदनी चौक है तो उनकी नज़रें ढोली हो जायें

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकार वहां पर उन दुकानों के प्लाट की नीलामी की तारीख २० घोषित कर दे और रायसिंहनगर में इतना एका हो कि एक भी बोली न हो फिर भी उस मसले के ऊपर सरकार फैसला नहीं करना चाहती है।

अंत में उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं कहूंगा कि यह कन्वर्शन की बात ठीक सोची है। लेकिन इन भूखण्डों के स्वामियों से जो आज हमारे समाजवाद को परास्त करना चाहते हैं, जो आज समाजवाद के सबसे बड़े दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन हैं, तुम्हारे दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं, किसानों के दुश्मन हैं, मजदूरों के दुश्मन हैं उनके भूखण्डों पर कब्जा करो। ये जो महलात हैं इनमें अस्पताल बनाने की बात सोचो। इन पर कब्जा कर लो। ये डेड सो रुपये रोज़ के कमरों वाली होटलें चलती हैं इनमें अनाथालय बना दो, इनमें यू० आई० टी० का आफिस बना दो, अस्पताल बना दो तब तो मजा है इस कन्वर्शन बिल का और तब हम

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मानेंगे कि समाजवाद की कोई रश्मि आपके दिल में है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधक) विधेयक और राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक हमारे सामने पेश हुए हैं। इनके लिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये क्योंकि इनमें कई प्रकार की खामियां हैं। सरकार ने जो एक्ट बनाया है और सरकार की जो मन्शा है उससे साफ जाहिर होता है कि दूसरी पार्टीज को पनपने नहीं देना सरकार की मन्शा है। मान लो किसी जगह एक पार्टी का बहुमत आ गया तो कानूनों के जरिये से वहां पर उसको पनपने नहीं देंगे। मैं इसके लिए उदाहरण देना चाहता हूँ। उदयपुर के पास कांकरोली है वहां पर जनसंघ की म्युनिसिपैलिटी है। हमारे मंत्री महोदय ने उनको टेलीग्राम किया कि आपका सड़कों का रुपया पड़ा है। जब वह यहां पैसा लेने आये तो उनको कह दिया गया कि तुम्हारी रकम समाप्त हो गयी है इसलिये दूसरी साल मिलेगी। इस प्रकार से दूसरी पार्टी के कार्य में कई बाधायें आये दिन पहुंचाई जाती हैं। तो सरकार के कानून बनाने की मन्शा तो विरोधी दल को सत्ता में नहीं आने देने के लिए है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी संशोधन लाये जायें वह ठीक तरह से लाये जायें और मालूम कराया जाये। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि अच्छा होता कि जो खामियां हैं उनको दूर किया जाता। वहां पर एक प्रशासक महोदय गये उदयपुर के अन्दर तो उदयपुर मन्डी के अन्दर वहां के जो व्यापारी हैं उनमें से एक को मकान बनाने की इजाजत दे दी और मकान के आगे जो भूमि पड़ी हुई थी वह हजारों रुपयों और लाखों रुपयों की थी उसको प्रशासक महोदय ने कुछ रुपयों में उनको दे दिया। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आये दिन हमारे यहां पर घोटाले होते हैं। अच्छा होता कि उनके लिए सरकार कोई नियम बनाती।

हमारे उदयपुर नगर के पास में विकास हो रहा है वह किसके लिए हो रहा है। मैं समझता हूँ कि वह विकास उन सफेद पोशों के लिए होता है और वही वहां निवास करते हैं। गरीब आदमियों को बसाने के लिए कोई योजना नहीं है। मैं समझता हूँ कि उदयपुर नगर को बसाने के लिए जिन लोगों ने पहले जंगल काटे हैं और ज्यों ज्यों इम्प्रूवमेन्ट होता रहा त्यों त्यों गवर्नमेन्ट उनको बाहर डालती रही। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। हिरण मगरी नाम का एक स्थान है जहां गरीब आदमी रहते हैं और कई सालों से रहते हैं। सरकार ने उनको पट्टा दिया कि वहां बसो। आज भी उनको इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा हटने के नोटिस मिले हैं। आये दिन इस प्रकार का अपमान उन गरीबों का होता है इससे साफ जाहिर होता है कि जितने भी कानून बनते हैं वे किस के लिए बनते हैं, सफेद पोशों को पालने के लिए। बड़ी बड़ी जमीनें उनको दी जाती हैं। आज खेती की भूमि पर दूसरे किसान मकान नहीं बना सकते हैं लेकिन हमारे उदयपुर के एम० एल० ए० ने खेती की जमीन ली है और उसके ऊपर मकान

(श्री जोधसिंह चौहान)

बनाया है सरकार यह बताये कि उन्होंने मकान बनाया है या नहीं ? दूसरे व्यक्तियों को इजाजत नहीं मिलती........

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : (बनेड़ा) कौन हैं ?

श्री जोधसिंह चौहान : हमारे मुख्य मंत्री जी श्री मोहनलाल सुखाड़िया साहब ने मकान बनाया है । ७ बीघा जमीन उन्होंने ली है, मैं नहीं समझता कि गरीब किसानों को किस प्रकार से हटाया जाता है। इस प्रकार की पक्षपात की नीति हमारी सरकार को शोभा नहीं देती ।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यही नहीं, हमारे वहां के जो कांग्रेसी नेता हैं वे खारिज घोड़े हैं । वहां एक ओवरसीयर थे और दिल्ली से आये । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह आज वहां पर इन्जीनियर महोदय हैं । पार्टीशन हुआ उस समय उनकी फैमिली पाकिस्तान में थी, वह फैमिली वापिस आई । सारी बातें सोचने की हैं । हमारे उदयपुर सिटी का विकास हो रहा है । उदयपुर से बाहर कुछ जमीन है, हरिजन भाई उसमें रहते थे वह जमीन उनको नगरपालिका ने दो रुपये किराये पर दी थी । इसलिए दी थी कि उनको भी जीने का हक है । इसलिए दी थी कि उनके नन्हे नन्हे बच्चे जो धूल में भरे रहते है जो आपकी टट्टी उठाते हैं उनको खेलने के लिए दी थी ।........

मगर हमारे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने हमारे वहां के जिला प्रमुख, वहां के रोशनलालजी को वहां पर पैट्रोल पम्प लगाने के लिए इजाजत दी है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार की इजाजत इनको ही दी गई हो यह नहीं है । वहां पर देवस्थान की भूमि थी जिससे लाखों रुपयों की आमदनी हो सकती थी उसको वहां पर माननीय मुख्यमंत्रीजी सुखाड़िया के रिश्तेदारों को दी है । इस प्रकार से उदयपुर में अन्याय हो रहा है । ये सारी बातें क्यों हो रही हैं ? इसलिए हो रही हैं कि वहां पक्षपात है । इसलिए हो रही हैं कि हमारी सरकार है वह गरीब जनता को उजाड़ देना चाहती है । हमारी सरकार गरीब जनता को प्रश्रय नहीं देना चाहती है । इस प्रकार से आये दिन नये नये कानून पास करना चाहती है जिससे कि उसके आदमियों का भरण-पोषण हो सके, जिससे कि वह अपने नुमायन्दों को जीविका दे सके । हमारी पार्टी इस प्रकार का आग्रह करती है कि इस प्रकार से सरकार ने हमारी म्युनिसिपैलिटी की जमीन हमारी सराय की बाउन्ड्री को तोड़कर दी । उसकी बाउन्ड्री में से बहुत बड़ा अहाना दिया है । यह सुखाड़ियाजी के साले को दी गई है । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की नीति रहती है तो जनसंघ मांग करता है कि नगरपालिका को मजबूत बनाने के लिये हमारे वहां पर जो सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बना हुआ है उसको समाप्त किया जाय । यह दोहरा प्रबन्ध, यह दोहरा राज्य वहां पर नहीं चल सकता ।

यही नहीं जो एन्टरटैनमेंट टैक्स है वह म्युनिसिपैलिटी का है । उन्होंने प्लाटों के ऊपर टैक्स लगाया है, लेकिन वह टैक्स म्युनिसिपैलिटी को जाना चाहिए इसी प्रकार से व्हीकल टैक्स नगरपालिका को जाना चाहिए । जो इस प्रकार के टैक्सेज् हैं, जो

(श्री जोधसिंह चौहान)

सिनेमा का टैक्स है वह सारा नगरपालिका को जाना चाहिए।

यही नहीं मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारा जो कम्पल्सरी टैक्स है, जो मकान टैक्स है उसकी छूट होनी चाहिए। वह कम्पल्सरी नहीं होना चाहिए। जनता चाहे तो दे, नगरपालिका के सदस्य चाहें तो लें। उदयपुर नगरपालिका के सदस्यों ने जब कि वहां पर मकान टैक्स माफ किया और सरकार से निवेदन किया कि वे टैक्स वसूल नहीं करना चाहते हैं। जनता नहीं देना चाहती है, आप माफ करें। मैं नहीं समझता कि जनता नहीं देना चाहती, वहां की म्युनिसिपैलिटी के सदस्य वसूल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। जब से वहां पर हमारी नगरपालिका हुई है उसके हिसाब को देखा जाय तो २५–३० हजार रुपये की इन दो महीनों में ज्यादा आमदनी की है। जो आपके घोटाले थे। जो आप बिना चुंगी दिये माल ले जाते थे वह हमने रोक दिया है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

वह आमदनी बढ़ गई है। हम आशा करते हैं कि बिना मकान टैक्स के उदयपुर नगरपालिका आमदनी बढ़ा सकती है तो फिर टैक्स क्यों लगायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए अनिवार्य कर को समाप्त किया जाय। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की ज्यादती नहीं करें और सोच-समझ कर काम करें।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

यह दोनों जो हमारे नगरपालिका संशोधन और नगर सुधार में संशोधन हैं जल्दबादी में न करें और इन को प्रवर समिति को सौंप दें ताकि इन पर अपनी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी पेश करें और हम निर्णय ले सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों बिल हैं उनको बहुत ही गम्भीरता से देखें....

श्री उपाध्यक्ष : आप काफी संक्षेप में ही रहें।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : On a point of order, Sir, जैसे कि संशोधन करीब करीब कई माननीय सदस्यों ने दिये हैं और समय जो है १२।। होने जा रहा है ऐसा न हो कि इस बिल पर बोलने के लिए बहुत से माननीय सदस्यों को चान्स नहीं मिले।

श्री उपाध्यक्ष : There is no point of order.

श्री अब्दुल जब्बार : मैं निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम इस ओर अवश्य ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : That is all right. Please let him speak.

श्री हरिराम चौहान : यह दो बिल हैं चाहे वह नगरपालिका संशोधन बिल हो चाहे नगर विकास संशोधन बिल हो, इन दोनों को बहुत ही गहराई से देखें, और जब बजट पेश किया गया था, तकरीर की गई थी वित्त मंत्रीजी की तरफ से तो एक उम्मीद थी कि अब की बार राजस्थान सरकार एक ऐसा टैक्स ला रही है जिसका असर कुछ साधन–सम्पन्न लोगों पर पड़ेगा और उससे राज्य की कुछ आमदनी बढ़ेगी। यह उम्मीद, यह आशाएं हम इस बात से लगा रहे थे, लेकिन जब इन दोनों बिलों को बड़ी गहराई से, बड़ी गम्भीरता से पढ़ा तो मालूम हुआ कि जैसे खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। अब इसके अन्दर खोदा पहाड़ और निकली चुहिया क्योंकि इसका जो असर है वह असर हमने जहां तक मालूमात की हैं, जहां तक इसका अध्ययन किया है, उसका असर राजाओं पर नहीं पड़ा, राजाओं की उस सम्पत्ति पर नहीं पड़ा, जो किसी नाम से जिस जमीन को या जिस महल को ले रखा था और अब उसको परिवर्तन करके दूसरे तरीके से दूसरे कारोबार के अन्दर उसको तब्दील किया गया है, उसके ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसका असर इस बात के उपर भी नहीं पड़ेगा कि पहले बड़े बड़े जागीरदारों ने बाड़ों के नाम से, घोड़े बांधने के नाम से, या गधे या खच्चर बांधने के नाम से कोई जमीन ले रखी हैं, उसके आज उन्होंने प्लाट बना बना कर बड़ी बड़ी कीमतों में बेचा है और बड़ा फायदा उठा रहे हैं। उनके ऊपर इसका असर कोई नहीं पड़ा है। मैं यह पूछना चाहता हूं इस समाजवादी सरकार से कि आप बार बार जनवादी समाजवाद का नारा देते हैं प्रजातान्त्रिक समाजवाद का नारा देते हैं, तो प्रजातान्त्रिक समाजवाद की जो सरकार है, जो प्रजातान्त्रिक समाजवाद लाना चाहती हैं, उस सरकार के हाथ कुछ मजबूत होने चाहिए। उस सरकार की कलम में कुछ ताकत होनी चाहिए कि वह पूरी तरह से साधन–सम्पन्न लोगों पर टैक्स लगा सकें, उन लोगों को किसी न किसी तरह से दबा सके। लेकिन दिक्कत तो यह है कि इस सरकार का जो जागीरदार है, जो राजा–महाराजा हैं उन तमाम लोगों से, इसका गहरा सम्बन्ध है। वे इनकी सरकार के अन्दर शामिल हैं। वे हर तरह से इस सरकार के हर कारोबार पर असर रखते हैं और पूरी तरह से सरकार उनसे मिलकर चलती है। इसलिए उसका असर कोई भी चाहे कानून लायें, किसी भी तरह का टैक्स लगायें, उसका असर उन लोगों पर नहीं पड़ता हैं उसका उन लोगों पर नहीं पड़ता है तो यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस सरकार के साथ उनका कितना सम्बन्ध है। उन राजाओं के ऊपर किसी भी तरह का भार डालने के लिए, उन जागीरदारों पर किसी भी तरह से भार डालने के लिए इनको कोई बात समझ में नहीं आ सकती हैं।

जब रामबाग पैलेस लिया गया तो उस वक्त में यह कहकर लिया गया कि इसकी जरूरत है रहने के लिये और आज उसके अन्दर होटल चल रहा है। चन्द्र महल भी लिया गया होगा तो इसलिए लिया गया होगा कि हमारा

(श्री हरिराम चौहान)

बड़ा परिवार है इसके लिये महल चाहिए और आज उस महल को साधारण आदमी अगर देखने के लिए जाय तो चार रूपये फी आदमी की टिकिट लगाई गई। चार रु पयेके बैगर कोई आदमी उसको देखे नहीं सकता। इस तरह से तरह तरह तरह की आमदनी करते हैं, लेकिन हमारी सरकार की उस तरफ नजर नहीं जाती है। उस तरफ हमारी सरकार कुछ भी विचार नहीं करती है। आपने और बड़ी बड़ी सहूलियतें दे रखी हैं। उनको जेब खर्च के नाम से पैसा दिया जाता है तो सरकार उसको बन्द नहीं करती है। बिजली और पानी उनको मुफ्त दिया जाता है वह सरकार बन्द नहीं करती। फिर इस तरह की जो प्राईवेट प्रॉपर्टी के नाम से जयपुर में एक तिहाई बाजार सारे का सारा उनके कब्जे में है। बड़े बड़े नये बाजार वे बना रहे हैं। जहां घोड़े बन्धते थे, जहां हाथी घूमते थे आज वहां बाजार बन रहे हैं। लेकिन यही हमारी सरकार है जो उनके ऊपर कब्जा करना तो दरकिनार रहा, उनका छीनना तो दरकिनार रहा, उनको छीनकर गरीब लोगों के बांटना तो दरकिनार रहा, सार्वजनिक उपयोग में लाना तो दरकिनार रहा, किसी भी समाजवादी सरकार को यह काम पहले कर लेना चाहिये, लेकिन १६ साल के बाद भी उनकी सम्पत्ति पर कब्जा नहीं करना तो एक बहुत बड़ी बात है लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्स भी न लगावें और सिर्फ कहें कि हम विकास करना चाहते हैं राजस्थान का और फिर यह कहें कि हम इस तरह का कानून ला रहे हैं जिसका असर गरीब पर नही पड़ेगा, मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है, इसका असर निश्चित तौर पर एक सीमित दायरे तक ही सही, पर गरीबों पर पड़ेगा।

कुछ लोग हैं जिन्होंने मुश्किल से कर्जा लेकर आपके इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में पैसा जमा करा के प्लाट लिये हैं। अब उसको अपनी जरूरत के अनुसार पनवाड़ी है तो चाहे पनवाड़ी की दूकान में तब्दील किया हो, चाहे किराये देने के लिये तब्दील किया हो पर उस पर भी असर पड़ जावेगा। यह टैक्स उस पर भी लग ही जावेगा। तो इन तमाम छोटे लोगों पर असर नहीं पड़ना चाहिये। इसका असर राजाओं महाराजाओं जागीरदारों, जिनकी राजस्थान में बहुत बड़ी तादाद है पर पड़ना चाहिये। इन तमाम लोगों की को प्राईवेट प्रोपरटी की लिस्ट सामने आवे और उनसे भी जवाब तलब किया जावे कि आपका क्या कहना है हम इस प्रोपरटी पर भी टैक्स लगाना चाहते हैं, जिसका आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जिससे मुनाफा कमा रहे हैं। तो इस तरह से तीन दिन के अन्दर यह सारा काम हो सकता है।

पर इसके लिये सरकार के पास हिम्मत चाहिये, हाथों में ताकत चाहिये। मुख्यमन्त्री जी अगर इसके लिये महाराजा जयपुर को बुलाना चाहें तो उनके लिये बुलाना ही मुश्किल पड़ जावेगा। अगर वे उनकी जायदाद पर टैक्स लगाने की सोचें तो यह समझने लगेंगे कि यह वे कोई अविकृत चेष्टा कर रहे हैं। और उनके न जाने कौनसे एहसानों से ऐसे दबे लगते हैं कि सारा मन्त्री मण्डल ही कुछ करने को तैयार नहीं होगा मुख्यमन्त्री जी भी उनसे केवल प्रार्थना ही करते हैं कि आपको यह बिजली पानी का पैसा तो

(श्री हरिराम चौहान)

छोड़ ही देना चाहिये । इस तरह प्रार्थना और उपदेश करते हैं कि हृदय परिवर्तन करो मैं कहना चाहता हूं मुख्यमन्त्री जी से कि जिस प्रजातान्त्रिक तरीके से आप समाजवाद लाना चाहते हैं वह इन उपदेशों से और इन प्रार्थनाओं से नही आने वाला है। उनके हृदय परिवर्तन नहीं होने वाले हैं इस तरह से । हो सकता है कभी हृदय परिवर्तन का समय रहा हो, राम और कृष्ण के जमाने में जब कि उनका स्वयं का जीवन एक आदर्श था। परन्तु आज वह समय नहीं है । हृदय परिवर्तन आपके वश की बात नहीं है क्योंकि आप राम और कृष्ण की तरह नहीं हो सकते । इसलिये आप तो यह करिये कि इसके लिये कानून लाइये।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निश्चित मत है, और निश्चत राय है और सुझाव भी है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । ताकि इन सारी चीजों पर विचार किया जा सके । इसके अलावा मैं कुछ विकास के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी कहें ।

श्री हरिराम चौहान : मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो यह कह देते हैं कि विकास कुछ हुआ ही नहीं। मैं मानता हूं विकास हुआ है, हमारे देश का हुआ है हमारे राजस्थान का हुआ है । लेकिन यहां भी किन लोगों का हुआ है ? यह अन्तर है । आम गरीब जनता का नहीं हुआ, यह दुख है । जो त्रस्त और दबी हुई थी उसका नहीं हुआ है । हुआ है केवल कुत्र मन्त्रियों का, उनके चाटुकार खुशामदियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों का, सरकारी बड़े बड़े अधिकारियों और रिश्वतखोरों का । हम किसी भी शहर में चले जावें । सारी सड़कों के आस पास बड़ा विकास नजर आवेगा जब हम सड़क के एक किनारे नजर डालें तो मालूम पड़ेगा कि बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी हैं, पूछते हैं यह किस की कोठी ? यह मन्त्री साहब की कोठी, यह फलां मिनिस्टर साहब की कोठी । उधर नजर डाली तो पूछा यह किसकी कोठी ? यह फलां एम. एल. ए. साहब की कोठी,

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ज्वालाप्रसादजी साहब का भी विकास हुआ है । इन्होंने भी एक कार ले ली है ।

श्री हरिराम चौहान : यह फलां सेक्रेटरी साहब की कोठी, यह चीफ सेक्रेटरी साहब की कोठी, यह फलां साहब की कोठी। तो इस तरह से मन्त्रि मण्डल के समस्त मन्त्रियों का विकास हो गया, सेक्रेटरियट के समस्त अफसरों का हो गया, एम. एल. ओं. का जो सत्ताधारियों की खुशामद में रहते हैं, उनका हो गया, कांग्रेसी एम. एल. ओं. का और बड़े बड़े कांग्रेसियों का हो गया, जो मुख्य मन्त्री जी के दरबार में अच्छी हाजरी भरते हैं, जो अच्छी तरह से उनकी चिलम भरना जानते हैं, जो ठीक तरह से उनके स्वभाव के मुताबिक काम करना जानते हैं । उन सब लोगों का विकास हुआ है । कुछ उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का इनके साथ सांठ गांठ करने वालों का विकास हुआ है, कुछ बड़े बड़े व्यापारियों का जिन्होंने ब्लेक मार्केट किया उनका विकास हुआ है ।

(श्री हरिराम चौहान)

पर हकीकत में हमें यह देखना है कि आप जनता का जो गरीब है, दबी हुई है, बहुसंख्यक है, उसका विकास हुआ हैं, कि नही हरिजनों का विकास हुआ है कि नहीं। इनका नहीं हुआ हैं।

अलवर जिले की बात मैं कह सकता हूं। अलवर में एक हरिजन व्यक्ति को केवल इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड से जमीन मिली, गोकुलचन्द जी एम. एल. ए. जो कांग्रेसी हैं उनको। उनके अलावा किसी को नहीं मिली। इम्प्रूवमेंट बोर्ड से जमीन नहीं मिली। अब सरकार यह कह सकती है कि उन लोगों ने दर्खास्त नहीं दी इसलिये नहीं मिली। मैं कहता हूं इनमें से कौन आपकी १२००) और १५००) रुपये की जमीनें खरीदेगा ? किसकी हैसियत है इतना पैसा देकर खरीदे। बारह सौ और पन्द्रह सौ रुपया उस गरीब के पास पचीस पचास साल में नहीं इकट्ठा हो सकता। उसको करजा नहीं मिल सकता इतना। सरकार से लोन नहीं मिल सकता क्योंकि वह भी हैसियत के मुताबिक सरकार देती है जिसकी जितनी बड़ी हैसियत होती है उसको सरकार से भी उतना ही बड़ा लोन मिल जाता है। यह है हमारी समाजवादी सरकार के तौर तरीकों के नमूने।

श्री उपाध्यक्ष : वाइन्ड-अप करिये।

श्री हरिराम चौहान : तो मेरा सुझाव है कि अपर क्लास का ही विकास नहीं करना है हमें केवल, हमें जो सदियों से पिछड़ा वर्ग रहा है जो सताया हुआ है ईमानदारी से उस वर्ग का भी विकास करना है और करना चाहिये। उनके विकास की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है।

अब इन इम्प्रूवमेंट बोर्ड्स का चुनाव भी किस तरह से होता है, मैं एक दो मिनिट में बताता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : No, एक मिनिट में आप कहिये।

श्री हरिराम चौहान : मुझे किसी से गुरेज नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि शोभाराम जी, चुनावों में हार कर जनता में जो अपनी हैसियत खो बैठे हैं, उनकी हैसियत फिर किसी तरह से बनाई जावे और इसके लिये उस आदमी को, जिस आदमी को जनता ने चुनाव में हरा दिया, उसे आप फिर ट्रस्ट में चेयरमैन बनाकर उसकी हैसियत वापिस बना दें। और भी राजस्थान में जैसे ज्वाला-प्रसाद जी ने कहा। इस प्रकार के लोगों को जो अंग्रेजों के जमाने में माफी मांगकर आ जाते थे आज वैसे आदमियों को भी आपने ट्रस्टों के चेयरमैन बना रक्खे हैं तो यह आपके तरीके उचित नहीं कहे जा सकते। और भी जगह जयपुर में आपने ऐसा ही किया है। सारे राजस्थान में इसी तरह की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात को शिकायत नहीं कि हमें क्यों नहीं लिया। हमें इसकी गिला नहीं। पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि किसी भी सरकार के लिये यह बात अच्छी नहीं साबित होगी कि वह घिसे पिटे रेकार्ड दुबारा बजवाने की कोशिश करे। दुनियां का इतिहास साक्षी है इस बात का कि इस तरह के घिसे पिटे रिकार्ड कभी नहीं बजे

(श्री हरिराम चौहान)

और जिन्होंने बजाने की कोशिश की उनको भी लेने के देने पड़ गये। तो ये घिसे पिटे रिकार्ड कभी नहीं बज सकेंगे, यह कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया। कृपया समय का ध्यान रक्खें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मैं तो अपनी पार्टी में से अकेला ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पार्टी का सवाल नहीं है। समय का ध्यान रक्खें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जैसे दूसरे बोले हैं वैसे ही बोलूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। ये दो संशोधन बिल हमारे सामने हैं। मैं, इसके पहले कि उन बिलों पर कुछ बात कहूं, मैं सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं और वह इस बात के लिये कि उन्हें जो कुछ यहां आकर हमने कहने की कोशिश की, इन गये दो सालों में उनको समझा सकें, ऐसा संशोधन सदन में लाने को एक बड़ी भारी हिम्मत की उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने, आज से दो साल पहले बजट सेशन हुआ था उस पर बोलते हुए मैंने कहा था कि यह प्रजातांत्रिक ढंग से चलनेवाली सरकार किसानों पर बैटरमेन्ट लेवी लगा सकती है तो शहरों में डेवलपमेन्ट हो रहे हैं, चार आने गज की जमीन ५०) गज के भाव से आज बिक रही है उस पर बैटरमेन्ट लेवी लगाने के लिये क्यों नहीं तैयार हैं। हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने उस समय सरकारी पक्ष से ऊत्तर देते हुए कहा था कि यह चीज नहीं की जा सकती। लेकिन आज सरकार को यह कैसे महसूस हुआ कि यह करना चाहिये? क्या यह असर इसलिये तो नहीं है कि अभी जो चुनाव हुए हैं म्युनिसिपैलिटीज के उन में कांग्रेस को बुरी हार खानी पड़ी है........

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री, उद्योग) : यह गलत है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यही कारण है कि आज नगरपरिषद कानून के अन्दर जो यह अमेन्डमेन्ट लाया गया है उसके बारे में मुझे बहुत सख्त ऐतराज है जैसा कि जयपुर से आने वाले महानुभावों ने कहा, आज नगर सुधार कमेटियों की जरूरत नहीं है; और वास्तव में इनकी जरूरत नहीं है इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज कितनी म्युनिसिपैलिटीज़ है जिनमें नगर विकास समितियां बनी हैं? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जयपुर म्युनिसिपैलिटी दूसरी पार्टी के हाथ में है और नगर परिषद के चेयरमैन ऐसे हैं जो अलग रास्ते जाना चाहते हैं और म्युनिसिपैलिटी अलग रास्ते पर जाना चाहती है। इसी प्रकार उदयपुर म्युनिसिपैलिटी जनसंघ के हाथ में है और नगर विकास परिषद दूसरे के व्यक्ति हाथ में है। यही परिस्थिति राजस्थान के दूसरे शहरों में भी हो गई इसलिये यह अमेन्डमेन्ट लाया जाता है।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि जहां नगर परिषद है उसके अलावा

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

जहां पर सिर्फ म्युनिसिपैलिटी है यह चीज नहीं होते हुए भी वहां पर जो भूमि है उस पर इस सरकार ने किस प्रकार नाजायज कब्जा करके उन केपिटलिस्टों को, पूंजीपतियों को और बड़े बड़े आदमियों को दिये ? इस बारे में उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इन विधेयकों के ऊपर जब वे अपना जवाब दें तब मैं जो कुछ बातें रख रहा हूं उनका भी जबाब दें ।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि उदयपुर में टैक्सटाइल मिल कायम की उसको किस जमीन पर बसाया ? वह जमीन थी उदयपुर में जो एरोडोम था उसको खत्म करके एक केपिटेलिस्ट को वह जमीन दी, वह सरकार की जमीन है मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस जमीन को इन्डस्ट्रियल एरिया में परिवर्तित किया है या सरकार ने उस मिल मालिक से कितने रुपये लिये हैं यह बतावें ।

दूसरी बात यह है कि चितौड़ में सीमेन्ट फैक्ट्री बनाई जा रही है वह सारा प्लॉट उस सीमेन्ट फैक्ट्री के नाम कर दिया है । वह सारी एग्रीकलचर लैंड थी, क्या उसका कनवरशन हो गया इन्डस्ट्रियल लैंड में या अरबन लैंड में इसका भी जबाब दें ।

तीसरी बात भीलवाड़ा में दो टैक्सटाइल मिल्स हैं, एक पुरानी और उसके पीछे नयी । नयी टैक्सटाइल मिल के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं वहीं के रहने वाले परसराम मानसिंका की यह मिल किस लैंड पर बनी है ?, क्या यह एग्रीकल्चर लैंड पर नहीं बनी है ? बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यहां पर जो म्युनिसिपैलिटी है वह विकास का काम करती है, उसने इसके लिये प्लान बनाया लेकिन जब नयी मिल खोली गई दो साल पहले वहां के कलेक्टर ने चंद चांदी के टुकड़ों में किसानों की सारी की सारी जमीन उस सेठ को देदी और आज दिन तक उसका कनवरशन नहीं हुआ ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (माडल): आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं कि टैक्सटाइल मिल को वह जमीन नहीं दी गई है, किराये पर दी गई है जहां उस मिल में एक हजार से ज्यादा आदमी काम करते हैं, वह जमीन किसानों की नहीं है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उसका कनवर्शन हुआ या नहीं ?

मैं तो इस चैलेन्ज को मंजूर करता हूँ, जैसा कि ये कहते हैं कि वह जमीन किसानों की नहीं है । यदि वह जमीन किसानों की नहीं है तो मैं यहां से जाने को तैयार हूं । जो जमीन किसानों की है उसका बेचान उस आदमी के नाम पर हुआ है और आज तक उस जमीन का कनवर्शन इन्डस्ट्रियल लैंड में नहीं हुआ है........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सरकार ने जमीन दी है किराये पर........

(दोनों एक साथ बोलने लगे)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जमीन किसानों की किसके लिये ली गई, किस कीमत पर ली गई और

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कौन से कानून के तहत ली गई ? और कलेक्टर को क्या अधिकार था एक अरबपति सेठ को देने का ? यह जवाब मैंने सरकार से मांगा है। जो हिमायत करने वाले हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि सही रूप से हिमायत करें लेकिन गलत बात यहां बताने की ज़रूरत नहीं है।

मैं अब किशनगढ़ की बात कहना चाहता हूं। वहां पर जो टैक्सटाइल मिल बनी वह किस जमीन पर बनी और सरकार ने कितने पैसे लिये, यह भी बतावें। मैं एक और बात बताना चाहता हूं। उदयपुर में अजन्ता होटल बनी है उस होटल में इस राजस्थान सरकार के मेहमान आये वे ६ हजार रुपये किराया देकर वहां ३ दिन तक ठहराये गये जब कि कितने ही सरकारी मकान वहां पर खाली हैं जैसे आनन्द-भवन है, सरकिट हाउस है, टूरिस्ट बंगलो है, उन सारों के होते हुए भी इस अजन्ता होटल में मेहमानों को ठहराया गया जब कि बाहर के मेहमानों को किसी दूसरी जगह ठहराने की इज्जाजत नहीं है तो इस प्राइवेट होटल में ठहराने की परमिशन कैसे दी गई ? उदयपुर में अभी पंचायतीराज्य सेमिनार हुआ था और उसमें भाग लेने के लिये बाहर से जितने मेहमान आये थे उनका इस अजन्ता होटल में ठहराया गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह अजन्ता होटल कौनसी लैंड पर बनी हुई है ?....

एक माननीय सदस्य : कौनसी लैंड पर बनी है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एग्रीकल्चर लैंड पर बनी है।

एक माननीय सदस्य : वह किसकी है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वह उसकी है जो इसका मालिक है। इस एग्रीकल्चर लैंड का कनवरशन कराया गया या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : इस होटल के मालिक से सरकार का क्या संबंध है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया :उसके मालिक का सरकार से बहुत संबंध है, आज से ही नहीं सन् १९५२ से है, जो पानरवा जंगल का मालिक है वही इस अजन्ता होटल का मालिक है, यह वही है जिनमें पैसेन्जर टैक्स के १ लाख ३० हजार रुपये सरकार के बकाया हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि ये चीजें ऐसी नहीं हैं कि जिनके लिये इस बिल के कारण संतोष करके बैठ जांय। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सच्चे और सही माने में ईमानदारी से प्रजातांत्रिक सरकार को सही माने में प्रजातंत्र लाना है तो इन बिलों को सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिये जहां इसमें इस तरह से परिवर्तन किया जा सके कि जिन लोगों के पास राजस्थान में एक मकान रहने के लिये होते हुए राजस्थान के किसी दूसरे शहर में दूसरा मकान बना लिया है किराया कमाने के लिये उसको वापिस लेने के लिये सरकार मान जायगी तभी समाजवादी सरकार कहलायेगी। वरना एक मिनिस्टर साहब ने जयपुर में आकर मकान बना लिया, जोधपुर, बीकानेर और कोटा से यहां आगये और मकान बनालिये जब कि इन स्थानों पर आलरेडी इनके पास मकान हैं। ईमानदारी से इस कानून का पालन करना

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

चाहते हैं तो करिये वरना आपका नंबर भी उन राजामहाराजाओं के साथ लिखा जायगा जिनके शिकार करने के लिये जाने के लिये अलग मकान थे और पखाने के लिये फ्लस लगाकर दूसरी जगह मकान बने हुए थे रहने के लिए मकान बनाते हैं। तो जिस तरह जयपुर के महाराजा ने अलग अलग महल बना रखे हैं, उसी तरह आप उनकी जगह राज्य करते हैं, तो आप अलग अलग जगह मकान बनाना शुरू कर दें, जोधपुर में एक तो दूसरा उदयपुर में और तीसरा फलां जगह तो आपमें और उनमें कोई फर्क नहीं रह सकता।

इसके साथ ही आपके जो साथी लोग हैं, जो हार जाते हैं उनको जीते हुओं की छाती पर बैठाते हैं और फिर कहते हैं कि आप प्रजातंत्र के हामी हैं। यह सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कि उनके हाथ में आप पब्लिक इन्ट्रेस्ट के काम देते हैं। इस प्रजातंत्र के अन्दर हारे हुए लोगों की जीते हुए लोगों की छाती पर बैठाने से कोई बुरी बात हो नहीं सकती। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के कारनामों को आप कांग्रेस को जिन्दा नहीं रख सकते, उसको मारने की बात है। कांग्रेस मरने वाली है, कांग्रेस मुर्दा हो चुकी है। इसको जिन्दा रखना चाहते हैं तो समाजवादी कदम बढ़ा कर जिन्दा रख सकते हैं। इस तरह से पूंजीपतियों को प्राटेक्शन देकर, राजा महाराजाओं के हाथ में कांग्रेस को बेच कर आप कांग्रेस को जिन्दा नहीं रख सकते। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इस को सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और री-ड्राफ्ट किया जाय वह जनता के हित में ड्राफ्ट किया जाय। और जो मैंने पूछा है उसका जवाब दिया जाय।

एक बात मैं यह भी कहूंगा कि जिस तरह से किसानों से बैटरमेंट लेवी लेते हैं इसी प्रकार से क्या आप इन्डस्ट्रीज से भी लेवी लेने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने आज दिन तक कन्वर्शन करके हजारों रुपये कमा लिए हैं ?

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जिन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड पर बगैर सरकार की इजाजत के, बिना कन्वर्ट कराये मकान बना लिये हैं, वह बिना मुआवजा दिये बना लिये हैं और पन्द्रह साल पहले से बनाये हैं उनसे मुआवजा वसूल करने की सरकार नीयत रखती है या नहीं—इसका भी सरकार जवाब दे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासिंह ।

श्री गंगासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्युनीसिपैलिटीज (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ और राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ दोनों बिल सदन के सन्मुख विचारार्थ लिये गये हैं। इन दोनों बिलों का एक उद्देश्य है और वह यह है कि अगर कोई जमीन किसी पर्पज़ के लिए लोकल आथोरिटी या सरकार द्वारा दी गई है और वह उस यूज़ में न आकार किसी दूसरे यूज में ली गई है तो राज्य सरकार उस जमीन पर टैक्स वसूल करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इसका उद्देश्य बतलाया गया है, वह इस बिल में यह बतलाया गया है कि नगरीय क्षेत्र में किसी सम्पत्ति की भूमि के तथा उसके उपयोग के मूल्य का अधिमूल्यन केवल उक्त सम्पति के स्वामी के प्रयत्नों के कारण ही नहीं होता अपितु

(श्री गंगासिंह)

समस्त समुदाय के प्रयत्नों के कारण भी होता है....

श्री उपाध्यक्ष : समय बहुत कम है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, जहां तक हो सके पांच आठ मिनट में सारी बात कहने का प्रयत्न करें।

श्री गंगासिंह : इसलिए उद्देश्य के नाते यह राज्य सरकार समझती है कि अगर चेंज ऑफ यूज़ होता है तो उससे....

श्री अब्दुल जब्बार : पहले बोल लेते हैं उनको ज्यादा टाइम मिल जाता है और जो बाद में बोलने को बच रह जाते हैं, उनका बोलना क्या हुआ घास काटना हो गया।

श्री गंगासिंह : चेंज ऑफ यूज़ से मूल्यांकन ज्यादा होता है-इस अधिमूल्यांकन के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए जो बिल के अन्दर प्रॉवीजन्स हैं उनको ध्यान में रखें तो मैं यह उपयुक्त समझूंगा और राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि केवल अधिमूल्यन चेंज ऑफ यूज़ से ज्यादा हो सकता है या नहीं है। यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसलिए मैं यह बताना उपयुक्त समझूंगा कि केवल एक चेंज ऑफ यूज़ हुआ है उससे जमीन का अधिमूल्यन होता ही है-ऐसा कई बार नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में जो आब्जेक्टिव दिया है बिल का वह पूर्णतया इस बिल के अन्दर प्रतिपादित नहीं होता है। इस कारण, मैं यह जरूरी समझता हूं कि इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय और इस बिल को री-ड्राफ्ट किया जाय।

इसके अतिरिक्त इसमें जो चेंज ऑफ यूज़ की डेफीनेशन दी गई है, उसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो चेंज ऑफ यूज़ की डेफीनेशन है, वह वेल ड्राफ्टेड नहीं है और जो मन्शा एक्ट की है उसके अनुसार प्रतिपादित नहीं हुई है। इस बिल के आधार पर चेंज ऑफ यूज़ से मतलब है कि जो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए जमीन ली गई है वह यदि कॉमर्शियल पर्पज के लिए या इन्डस्ट्रीयल पर्पज के लिए काम में ली गई हो, और जो कॉमर्शियल पर्पज के लिए जमीन ली गई है वह रेजिडेंशियल पर्पज के लिए या इन्डस्ट्रीयल पर्पज के लिए काम में ली गई हो और जो इन्डस्ट्रीयल पर्पज के लिए जमीन ली है वह रेजिडेंशियल पर्पज के लिए या कॉमर्शियल पर्पज के लिए काम में ली गई हो-तो वह चेंज ऑफ यूज़ की परिभाषा में ट्रीट की जायगी। इनमें से किसमें अधिक जमीन का मूल्यांकन हुआ है, इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। तीनों तरह से चेंज ऑफ यूज़ हो गया तो मूल्य में बढ़ोत्तरी हो जाती है-यह ठीक नहीं है, क्योंकि कोई जमीन, मान लिया जाय--रेजिडेंशियल पर्पज के लिए दी गई और उसको कॉमर्शियल या इन्डस्ट्रीयल पर्पज के लिए काम में ले ली गई तो मैं समझता हूं कि चेंज ऑफ यूज़ से उस प्रॉपर्टी का, जमीन का, मूल्य बढ़ा हैं। लेकिन इन्डस्ट्रीयल पर्पज के लिए जमीन ली गई है और रेजिडेंशियल पर्पज के लिए काम में ली गई है तो उससे उसकी कीमत में बढ़ोत्तरी हो

(श्री गंगासिंह)

जाय-मैं ऐसा नहीं समझता हूं। ऐसी स्थिति के अन्दर जो डेफीनेशन चेंज आफ यूज़ की इसके अन्दर है उसमें कुछ रद्दोबदल करने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अगर रेजिडेंशियल पर्पज के लिए कोई जमीन दी गई है और उसको इन्डस्ट्रीयल या कॉमर्शियल यूज़ में ले लिया गया है तो यह प्रावधान ठीक है। लेकिन इन्डस्ट्रीयल या कॉमर्शियल पर्पज के लिए जमीन दी गई है और किसी कारण उसमें काम में नहीं ली जा सकती और रेजिडेंशियल पर्पज के यूज में आई है तो रेजिडेंशियल पर्पज के यूज में आई है तो रेजिडेंशियल पर्पज में लेने से उसका मूल्यांकन ज्यादा नहीं होता है--इसलिए यह डेफीनेशन में नहीं आनी चाहिए।

इसके साथ जो ५०) रुपये पर स्कावयर यार्ड तक उस जमीन का सरकार ले सकती है, इसके लिए में अनुरोध करूंगा कि पचास रुपये पर स्वावर यार्ड रखा है वह ज्यादा है। वह कम करना वाजिब है।

इसके साथ साथ जो जमीन की आमदनी है वह सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है। यह वाजिब नहीं है क्योंकि म्युनिसिपल एरिया में कोई डवलपमेंट होता है और म्युनिसिपल एरिया में जो जमीन है वह किसी दूसरे यूज़ में आती है तो उस जमीन का, जो म्युनिसिपल एरिया में होती है, का म्युनिसिपैलिटी को फायदा देना चाहिए। अभी तक हमारे यहां की म्यूनिसिपैलिटीज की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है इसलिए आमदनी के सोर्स म्यूनिसिपैलिटी के पास रहे तो ठीक रहेगा। वैसी परिस्थिति में मैं अनुरोध करूंगा कि जो राज्य सरकार द्वारा आमदनी लेने का प्रश्न है उसके स्थान पर म्युनिसिपैलिटी द्वारा उस आमदनी को लेने का प्रावीजन रखना चाहिए।

मैं इस समय म्युनिसिपैलिटी में जो जो (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) तकलीफें होती हैं और जो म्युनिसिपैलिटी की हालत है-उनकी ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। जो नागौर म्युनिसिपैलिटी है उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि म्युनिसिपैलिटी नागौर के अन्दर न तो पानी का कोई इन्तजाम है और न लाइट का इन्तजाम है। वैसी परिस्थिति के अन्दर जो छोटी छोटी आमदनी हैं उनको म्युनिसिपैलिटी को देना वाजिब है।

इतना कह कर मैं अनुरोध करूंगा कि इन बिलों को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का मेरा मोशन है उसको स्वीकार करके इनको सलेक्ट कमेटी में रेफर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा !

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका संशोधन विधेयक पर काफी चर्चा हुई है। राज्य सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि नगरपालिका के अन्तर्गत रहने वाली जितनी जनता है उसका सम्पूर्ण........

श्री उपाध्यक्ष : गागर में सागर भरने का प्रयत्न करें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : पांच मिनिट से ज्यादा नहीं लूंगा।

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि नगरपालिका को आज भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जाता। नगरपालिका, जिन्हें आज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह बिल्कुल निकम्मी हैं। आज जो सरकारी अधिकारी है उनके द्वारा इस प्रकार म्युनिसिपैलिटी के काम में आये दिन हस्तक्षेप हो रहा है कि नगरपालिका आगे नहीं बढ़ पाती हैं। नगरपालिका में अगर कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन या अन्य अधिकारी होते हैं तो वे चाहे किसी प्रकार से कानूनों की अवहेलना करें लेकिन कानून के अन्तर्गत उनको चलाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अगर दूसरी पार्टी के चेअरमैन होते हैं वे म्युनिसिपैलिटी में बैठ कर काम करने लगते हैं तो उनके सामने कई प्रकार के कानूनी रोड़े अटकाये जाते हैं। मैं इसे नगरपालिका के अधिकारों पर कुठाराघात मानता हूं। नगरपालिका को आज वहां की जनता के लिए भूमि बेचने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है तो नगरपालिका की उपेक्षा करती है और समय पर ध्यान नहीं देती है। इसलिए नगरपालिका और सरकार के बीच में आये दिन झगड़े होते हैं।

(१.०० म० प०)

इसी प्रकार से नगर परिषद के अन्दर जहां पर सेक्रेट्री को नियुक्त किया जाता है वहां हम देखते हैं कि वे अपनी मननानी करते हैं उन पर किसी प्रकार का अंकुश वहां के बोर्ड के चेयरमैन नहीं रख सकते। मैं लाखेरी के बारे में कहूंगा कि वहां पर भी सेक्रेट्री की नियुक्ति की हुई है वहां पर आप देखेंगे कि उनकी क्या हालत है। उनकी यह हालत है कि वे बोर्ड के मिनट्स नहीं लिखते और न किसी चेयरमैन और बोर्ड के सदस्यों की परवाह करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डाइरेक्टर को जब शिकायत की जाती है तो किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती और उस शिकायत पर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता है। यह ही नहीं लेकिन और भी कई बातें हैं जो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

लाखेरी के बीच में सीमेंट कम्पनी ने एक रेल्वे लाइन निकाली ४६ में। लोगों ने और लोक परिषद की ओर से सत्याग्रह हुआ कि आबादी के बीच में से रेल्वे लाइन नहीं निकाली जाए। इसके बारे मे एक एग्रीमेंट हुआ। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि वहां पर बिना नगरपालिका की राय के सारी जमीन कम्पनी को पट्टे पर दे दी गई है। जो भी जमीन बच जाती है तो जिन लोगों के मकान और दुकानें बनी हुई हैं उस पर मुकदमा चलाते हैं और दूसरी ओर से उन पर कोई नियन्त्रण नहीं रखा जाता। अब बड़ी मुश्किल से ८ आना प्रति व्यक्ति का प्रावधान रखा था। मगर आपने यह प्रावधान रखा है कि यदि कोई म्युनिसिपेलिटी टैक्स नहीं लगायेगी तो हम उस म्युनिसिपेलिटी को किसी प्रकार की एड नहीं देंगे। मैं यह आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इस प्रकार का प्रतिबन्ध क्यों लगाया। अगर कोई म्युनिसिपेलिटी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाना चाहती है तो आप उस पर जबर्दस्ती करते हैं

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

कि वह टैक्स लगाए । आपको जबर्दस्ती टैक्स लगवाने की क्या आवश्यकता है ? म्युनिसिपेलिटी आम तौर से यह मुनासिब समझती है कि उसका खर्चा और आमदनी बराबर है तो वह टैक्स नहीं लगाती है । मगर आप उनको मजबूर करके कई प्रकार की उलझनें पैदा करना चाहते हैं । आपको यह करना चाहिये कि कोई म्युनिसिपेलिटी कोई टैक्स लगाना चाहें, लगावे और अगर कोई नहीं लगाती है तो आपको उसमें इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मनोरंजन करों के बारे में कहूंगा कि आप मनोरंजन कर लगाते हैं मगर उसका संपूर्ण पैसा उनको नहीं देते हैं । आपका म्युनिसिपेलिटीज में इस प्रकार का हस्तक्षेप है इसको तुरन्त बन्द किया जावे और जो मौदूदा व्यवस्था चल रही है वह चलने दी जावे । साथ ही साथ मैं यह भी कहूँगा कि जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि किस प्रकार से हारे हुए कांग्रेसी इन स्थानों पर बिठा दिये जाते हैं । जो कांग्रेस के बड़े बड़े अधिकारी हार जाते हैं उनको अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अधिकारी का पद दे दिया जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि म्युनिसिपेलिटी के चुने हुए लोग एक तरफ हो जाते हैं और ये दूसरी तरफ चलने लगते हैं । इसका नतीजा यह होता है कि आम जनता दोनों पाटों की चक्की में पिसती जाती है । मैं यह कहना चाहता हूं कि दोहरी व्यवस्था करके क्यों चलते हैं । जहां की जनता के चुने हुए लोग जिस नीति रीति को चलाना चाहते हैं उसके अनुसार काम करना चाहते हैं और वह इस प्रकार से नगरपालिका के बीच में यह रोड़े अटकाते हैं और पक्षपात पूर्ण नीति अपनाते हैं, इसको बन्द करिये । मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता । लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि म्युनिसिपेलिटी के बारे में बहुत कुछ विचार करते हैं तो मालूम होता है कि डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज के यहां पर जो व्यवस्था है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं और म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों के मुकाबले में सेक्रेट्री को ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाखेरी म्युनिसिपल बोर्ड के सेक्रेट्री बिना चेयरमैन से छुट्टी लिये चले गये । सरकार को उनको मौत्तिल करना चाहिये था मगर जब उनकी शिकायत की गई तो कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया । सरकार के अधिकारी कानों में तेल डाले हुए हैं वहां के सेक्रेट्री हैं उनकी यह नीति है कि वे मिनट्स नहीं लिखते, पत्र नहीं लिखते और कोई काम नहीं करते । यदि उनसे कहा जाता है तो वे कहते हैं कि आप शिकायत कर दो मुझे तो यहां आने की इच्छा नहीं थी । मैं तो दूसरी जगह जाना चाहता हूं । आप ऊपर जा कर शिकायत करें । जब डाइरेक्टर को कहा जाता है तो वे कोई एक्शन नहीं लेते । अगर इसी प्रकार का हस्तक्षेप चलता रहा तो मैं यह कहूंगा कि म्युनिसिपेलिटीज की बड़ी दुर्गति होगी । बस मैं यही कहता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि इसमें राजनीति को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए और इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे ।

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्युनिसिपल

(श्री अब्दुल जब्बार खां)

(एमेन्डमेंट) बिल, १९६४ और इसके साथ २ नगर सुधार (संशोधन) विधेयक दोनों एक साथ सदन के सामने प्रस्तुत किए गये हैं और सरकार की मंशा है कि कुछ तो इनमें सुधार हो। इसलिए अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को पैसा दिया गया है और कुछ दूसरे टैक्सों का भी प्रोविजन है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सरकार को इतना बताना चाहता हूं कि म्युनिसिपल एक्ट है उसकी कुछ धाराओं की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से धाराओं पर बहस न करें तो अच्छा होगा। आप इस बिल पर ही बहस करें।

श्री अब्दुल जब्बार खां : मैं आपका ध्यान धारा १७० ए० जो नई जोड़ी गई है उसकी ओर और १७१ की ओर दिलाने चाहूंगा। आपने कहा कि कन्सट्रक्शन वगैर परमिशन के नहीं किया जावे। इसके अलावा धारा २४१ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो इन्डस्ट्रीज के लिये दिलाये जावें। अब मैं आपका ध्यान नोटिफिकेशन नं० ५ (१९९) एल. एस. ए.। ५९ एस. सी. ३१ दिसम्बर ५९ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उसमें इन्डस्ट्रियल एरिया किस तरह से घोषित किया जाता है और किस तरह से लैण्ड उनको दी जाती है। उसमें रेन्ट वगैरह है। इसके अलावा इन्डस्ट्रियल परपज के लिये जो जमीन दी जाती है उसको किसी दूसरे परपज में काम में नहीं लिया जावे। लेकिन प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि कानून तो आप बना रहे हैं लेकिन उनका पालन नही होता है और आप नये नये कानून लाते हैं। और लोगों पर टैक्स लगाते हैं। जिस परपज के लिये आप लोगों को जमीन देते हैं उसको उस काम में लेते हैं नहीं और इसके साथ साथ आप यह कहते हैं कि आप प्रगतिशील हैं मगर मैं यह कहूँगा कि यह डिप्रेस्ड क्लास पर टैक्सों का भार बढ़ जाता है टैक्सेज के लिये अमेन्डमेंट आया है उसको इन शब्दों के साथ रखा जावे।

"Who has converted or who has changed".

जहां कन्वर्शन का सवाल आता है उसको कन्वर्ट क्यों नही करते और टैक्सेज का भार उन लोगों पर पड़े जो वर्षों से फ़ायदा उठा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं और यह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से जानती है कि म्युनिसिपेलिटी की इज्जत करने का क्या तरीका है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर्पज पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपका पर्पज जैसा कि मालूम होता है मन्दिर और मस्जिद आदि धार्मिक स्थानों की दूकानों पर भी हाउस टैक्स लगाने का है

"But the buildings used for worship will not be taxed except other/ portions used for commercial purposes......"

इस तरह का प्रोविजन है। मन्दिरों में, मस्जिदों में लोग इबादत के लिये जाते हैं और पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में मन्दिरों और मस्जिदों के पीछे

(श्री अब्दुल जब्बार खां)

जगीरें होती थीं। मगर आज इन पर भी आप टैक्स लगाने जाते हैं। आप यह कहेंगे कि यह वर्शिप के काम नहीं आती लेकिन मैं यह कहूँगा कि यह आप उन पर हाउस टैक्स लगाते हैं वह कोंन्सटीट्यूशनली रोंग है। विधान में रखा है कि किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह धर्म की भावना पर ठेस है। राजस्थान में मन्दिर मस्जिदों के नीचे मकानों पर भी हाउस टैक्स लगेगा। इस तरह से मैं समझता हूं कि धर्म की भावनाओं पर आघात पहुंचाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक इंग्लिश राइटर ने चार लाइनें लिखी हैं उनको मैं पढ़कर सुनाता हूं,

"Turn turn thy hasty foot aside
Nor crush the helpless worm,
The frame thy wayard look derived
Refuses God to form."

एक खुदा है उसको कम से कम नजर बचा कर मत चलो। उसकी आज इस धरती पर छत्र छाया है। आप उसके नजदीक हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार ईश्वर की प्रार्थना है इसकी पूरी पुस्तक है। पढ़कर सुनाने का समय नहीं है। गरीबों को ५०-५० साल से पट्टे नहीं दिये जाते हैं। यह सरकार हरिजनों के नाम की दुहाई देती है, उनकी भलाई की और उनके डेवलपमेन्ट की बातें करती है, पर हरिजनों को पट्टे नहीं दिये जाते हैं....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अमृतलालजी यादव को दिया गया है, वे भी तो हरिजन ही हैं।

श्री अब्दुल जब्बारखां : चित्तौड़ कॉलेज के सामने खेड़ा नामक बस्ती है जहां पर चमार लोग रहते हैं उन लोगों को पट्टे नहीं दिये गये हैं। चुनावों के समय में उनके घर घर फिरे, उन लोगों से वायदे किये कि हम तुमको पट्टे देंगे पर उनको आज तक पट्टे नहीं दिये गये हैं, आज उनका वे लोग जा कर पूछते तक नहीं हैं। इस पर भी आप कहते हैं कि हम हरिजनों का सुधार करना चाहते हैं, गरीबों को ऊंचा उठाना चाहते हैं। अगर सही माने में आप गरीबों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह पलहवान तेल मालिश कर के, लंगोट लगा कर अखाड़े में आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं किसी की पर्वाह नहीं करूंगा, जो भी आयेगा उसको पछाड़ूंगा, उसी तरह आप ऐलान करें कि आप किसी की पर्वाह नहीं करेंगे, इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागायेंगे और जिन लोगों ने इल्लीगल पज़ेशन्स किये हैं, कन्वर्शन्स किये हैं उनकी जमीनों को जब्त करेंगे, तभी आप समाजवाद ला सकेंगे और आपके इस कदम का जनता स्वागत करेगी। यह नहीं कर के गरीबों का ध्यान न रख कर यदि आपने केवल १० परसेंट लोगों का ध्यान रखा तो जनता आपको ठुकरा देगी।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन !

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगर सुधार

(श्री फूलचन्द जैन)

संशोधन विधेयक और राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक १९६४ आज इस सदन में प्रस्तुत किये गये हैं, मैंने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा है कि इनको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिये।

इनमें जो भावनाएं निहित हैं, इनकी भावनाओं से मैं सहमत हूं किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये संशोधन विधेयक लाये गये हैं वे पूरी तरह हमारी भावनाओं को पूरा नहीं करते। माननीय उपाध्यक्ष, मैं नहीं समझता कि सरकार उन सारी परेशानियों को जो आज जनता के सामने आ रही हैं, और जो हमारे भी सामने हैं उनके ऊपर गम्भीरता से क्यों नहीं विचार करती ? जब एक परेशानी आई तो एक संशोधन विधेयक लाया जाय दूसरा प्रश्न सामने आया तो फिर दूसरा संशोधन विधेयक लाया जाय, सारी परेशानियों को सारी समस्याओं को, सारी प्रश्नों को गम्भीरता-पूर्वक विचार करके, उनको मूल रूप में हल नहीं कर के इस तरह बार बार संशोधन लाये जायें—यह मैं उचित नहीं समझता।

एक तरफ राजस्थान को गर्व है कि उसने हिन्दुस्तान में सबसे पहले लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की शुरुआत की। नीचे तक सत्ता को पहुंचाने की कोशिश की। न केवल सारे हिन्दुस्तान ने इसका स्वागत ही किया बल्कि इसका अनुकरण भी किया। परन्तु दूसरी तरफ जहां तक अर्बन पोपुलेशन का सवाल है वहां जो हमारी स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं उनके साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है आज जो हमारे यहां पर स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं उनकी हालत किसी से भी छुपी हुई नहीं है। आज उनके सामने एक प्रकार की ही नहीं अनेकों प्रकार की दिक्कतें हैं जिनके कारण उनको न केवल अपना काम चलाने में ही कठिनाइयां होती हैं बल्कि वे अपने नगरों का विकास कर सकें इसमें भी उनको कठिनाइयां आती हैं।

जहां तक इनकी रेवेन्यू का सवाल है, यह स्पष्ट है कि सरकार ने विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा कर उनकी रेवेन्यू पर पूरा अधिकार जमाने की कोशिश की है।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस स्थिति से इन्कार कर सकती है कि जो हमारे अर्बन करबे हैं, सिटीज हैं उनके डवलपमेन्ट के लिये जो उसे करना चाहिये था वह उसने किया है ? आज भी आजादी के १६ – १७ साल बाद भी शहरों की स्थिति यह है कि वहां के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। आज भी सफाई की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, नगरों के अन्दर जो दूसरे आवश्यक सुधार किये जाने चाहिये उनकी दृष्टि से देखा जाय तो इतने काम पड़े हुए हैं कि उनको करने की सरकार को फुर्सत नहीं है। अगर फुर्सत है तो कह दिया जाता है कि म्युनिसिपेलिटीज के पास पैसा नहीं है। आखिर इनके पास पैसा कहां से आयेगा क्योंकि उनकी सारी रेवेन्यू को आप अपने हाथ में लिये हुए हैं।

फिर मैं सरकार से यह भी पूछना चाहूंगा कि जैसे रूरल डवलपमेंट के लिये प्रोजेक्ट्स बनाये, आपने यह भी कहा था कि अर्बन डवलपमेंट के लिये भी हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं पर वे प्रोजेक्ट्स आज कहां हैं ? आज हम कहीं थोड़ी बहुत भी प्रगति की बात करते हैं

(श्री फूलचन्द जैन)

तो फौरन टैक्स लगाते हैं। जो स्टेप राजस्थान सरकार ने टैक्स लगाने के लिये उठाया है मैं उसकी भावना की कद्र करता हूं पर वह भी स्पष्ट नहीं है, सरकार ने सदन के सामने साफ तरह से नहीं रखा है कि किस तरह सम्पत्ति पर कर लगाने का प्रावधान वह रख रही है। राजाओं की जमीनें हैं, कोवनेन्ट में क्या शर्तें हैं, क्या फैसला है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता पर मैं पूछना चाहता हूं कि शहरों में राजाओं महाराजाओं के पास अनाप-शनाप जमीनें हैं उनकी जमीनों पर टैक्स लगाने का क्या प्रावधान इसमें किया है? इसके साथ ही साथ जिन लोगों के द्वारा अनधिकृत रूप से जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है, और कब्जा करने के बाद उन पर अनधिकृत कन्स्ट्रक्शन कर लिया है उनके ऊपर सरकार इस विधेयक को किस रूप में लागू करना चाहती है? इस प्रकार अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिनको हल करने में यह विधेयक हमारी मंशाओं को पूरा नहीं करता। जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया, अवैध रूप से कन्वर्शन कर लिया उनके खिलाफ किस प्रकार कन्वर्शन का टैक्स सरकार लागू करेगी? अब नये ढंग से लैंड परिवर्तित की जायगी, उस पर टैक्स लगायेगी पर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कभी इस बात की जानकारी की है कि जो चीज आपके अधिकार में है, जो जमीन आप उनको बेचते हैं उनका रजिस्ट्रेशन तहसील में होता है, उनके पट्टे दिये जाते हैं परन्तु उनके अन्दर जो अनियमितताएं होती हैं, जो नाजायज तरीके से हरकतें होती हैं उन्हें रोकने के लिये आपने कोई स्टेप्स उठाये? जब तक हम ठीक तरह से उनके इम्प्लीमेंटेशन की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक हम आज जो शहरों में स्थिति पैदा हुई है उसे ठीक नहीं कर सकते। मैं यहां निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो म्युनिसिपेलिटीज की दिक्कतें है उनके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। आज म्यूनिसिपेलिटीज को जमीन की बिक्री करने के पावर्स नहीं हैं इसके लिऐ कलेक्टर सैंक्शन देता है। जमीन की कीमत निश्चित करने के लिये एक कमेटी बनी हुई है वह कीमत मुकर्रर करती है, अगर नहीं करती है तो जमीन की बिक्री नहीं हो सकती और फिर उसके साथ ही साथ एक स्थिति यह भी है म्यूनिसिपेलिटीज को यह अधिकार आपने नहीं दिया तो उसके अन्दर कितने प्रकार की दिक्कतें जनता को उठानी पड़ती हैं, आपके प्रासोजर से किस प्रकार लोगों को परेशानी होती हैं, उस पर आप विचार क्यों नहीं करते? कोई सार्वजनिक चीज के निर्माण के लिए अगर जमीन की जरूरत हो उसके लिए भी आपकी म्यूनिसिपेलिटी, आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसकी इजाजत नहीं देती, इसके लिये बड़ा लम्बा चौड़ा प्रोसीडर एडाप्ट करना पड़ता है इसके फाइनेन्स में जाओ, इसमें जाओ, उसमें जाओ। समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार की स्थिति के कारण क्या करना चाहिए। क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि कुछ निश्चित क्राइटेरिया अपनी वर्किंग का बनाए। कम से कम सार्वजनिक कामों के लिए तो सरकार कहे कि हमारा यह प्रोसोजर होगा और पॉलिसी होगी, उसके लिए इजाजत दे सकते हैं। परन्तु नहीं, जहां इस प्रकार की स्थितियां हों, जनता को फायदा हो सकता हो वहां सारे प्रोसीजर का पूरा करेंगे चाहे कितनी ही दिक्कतें हों और सार्वजनिक काम पूरे नहीं हो पाएंगे।

Page No. 115

(श्री फूलचन्द जैन)

इसके साथ इस विधेयक में प्लान के बारे में कहा गया है। ऐसे क्षेत्रों के सीमांकन का प्रावधान हो तो उस पर म्यूनिसिपेलिटी क्या करेगी। यहां पर म्यूनिसिपेलिटी व ट्रस्ट के बीच में मतभेद हो सकते हैं। आप प्लान के अन्दर यह नहीं कहना चाहते कि हम अपने क्षेत्र का जो मास्टर प्लान बनाएं उसके द्वारा गाइड करेंगे और फिर उसके आधार पर सारे काम काज को चलाएं, वहां पर भी आपकी प्रशासनिक मशीनरी को इन्वाल्व करना चाहते हैं। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर आप उस मशीनरी को हावी करना चाहते हैं, यह वाजिब नहीं हो सकता....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इसके अन्दर सबसे बड़ा प्रश्न जो आता है वह यह है कि इसमें कहा गया है कि इस प्रकार से जो रेवेन्यू आएगी वह सारे राज्य के कोष में जाएगी—यह क्या वाजिब चीज हो सकती है? उसे डवलप म्युनिसिपेलिटी करती है। सरकार लोन दे सकती है पर डवलपमेंट के लिए पैसा नहीं दे सकती। शहरों की आवश्यकताएं म्युनिसिपेलिटी पूरी करे और डवलपमेंट के द्वारा, जो जनता के पैसे से डवलप हुआ है, उसके पैसे को सरकार चाहती है। तुम मत लो हमको दो, किस काम के लिए दो! सरकार के गहरे कुओं में डालने के लिए दो, यह स्थिति हमारी समझ में नहीं आ सकती। हम कहना चाहते हैं कि ये सारे Issues जिनके अन्दर माननीय सदस्यों ने इस सदन के अन्दर विभिन्न प्रकार के मुद्दे उठाए हैं, उन पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर गम्भीरता से विचार करें।

(समय-समाप्ति- सूचक घंटी)

यह वाजिब नहीं होगा कि हमको जवाब दे दिया जाय और जवाब देकर इस बिल को पास कर दिया जाय। हम चाहते हैं कि इसका जवाब आज न होकर कल हो और प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। परन्तु जो जवाब दिया जाय उसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं उनको सीरियसली कन्सीडर किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चाहे आज के बजाय कल जवाब दें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : मैं राजस्थान सरकार की इस बात से सहमत हूं कि शहरों की जमीन की कीमत जो बढ़ी है वह मालिक के प्रयत्नों से नहीं बढ़ी है या नगरपालिका के प्रयत्नों से नहीं बढ़ी है, बल्कि सारे राज्य के प्रयत्नों से बढ़ी है। राज्य के प्रत्येक गांव और शहर में सरकार का हक है, उनकी जो कीमत बढ़ी है उसका हिस्सा सबको पहुंचाना चाहिए। शहरों में कालेजेज बने हैं, इंडस्ट्रीज और सड़कें बनी हैं। इसलिए कीमतें बढ़ी हैं और कीमतें बढ़नी चाहिए। अगर कोई कह दे कि जितनी कीमत बढ़ी है, सब नगरपालिका के सुपुर्द कर दो जाय तो मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। समूचे राज्य में जो कीमतें बढ़ी हैं, उसमें सारे राज्य का हक है, इसमें मैं सरकार से पूर्णतया सहमत हूं।

अब आप कहेंगे कि इम्प्रूवमेंट टैक्स नगरपालिकाओं को देना चाहिए। मेरी मान्यता है कि यह टैक्स नगरपालिकाओं को पूरे का पूरा देना चाहिए, सरकार नहीं दे रही है। मैं समझता हूं कि सरकार हिसाबी

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)]

गल्ती कर रही। सरकार ने जो ५॥ करोड़ रुपये कर्ज के रूप में लिए हैं उसका ब्याज नहीं दे पा रही है। सरकार ने वाटर वर्क्स बनाने के लिए खर्च किया है, आपके डवलपमेंट को उसका कोई पैसा नहीं आता है। सरकार ने ५ करोड़ के आसपास खर्च किया, उसमें से एक पैसा ब्याज का नहीं आया। ऐसे राज्य सरकार ने १०–१२ करोड़ शहरों पर खर्च कर रखे हैं, जिससे एक पैसे की भी आमदनी नहीं है। ५ करोड़ पर ५ प्रतिशत से ६० लाख ब्याज के होते हैं। आप जबर्दस्ती कहलाना चाहते हैं कि नगरपालिकाओं को सरकार नहीं देती। ८ आना पर-कैपिटा के हिसाब से १८–२० लाख अलग देती है। डवलपमेंट के नाम पर अगल राशि देती है........

श्री अब्दुल जब्बार : एन्टरटेनमेंट टैक्स सरकार क्यों ले लेती है ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: आप जरा ठहरिए। जहां गांवों की बात आती है, गांवों को सरकार नहीं देती है। हम अगर स्कूल बनाते हैं तो अपने पैसे से बनाते हैं, अगर अस्पताल बनेगी तो अपने पैसे से बनेगी लेकिन यहां पर सरकार बनाएगी। गांवों का पैसा है, गांव उत्पादन करते हैं, वह गांवों को नहीं दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यह जो विधेयक है, यह बरसों पहले लाना चाहिए था यह बहुत देरी से लाया गया है। लेकिन इससे पहले जो बुद्धिमान् लोगों ने फायदा उठा लिया है उनसे क्यों न वसूल किया जाता है। जिनकी पहुंच नहीं थी, वे नहीं पहुंचे, उन सरमाएदारों को आपने छोड़ दिया। अब जिसका मकान ले लिया, नगरपालिका के लिए जमीन ली और मकान बना लिया।

श्री उपाध्यक्ष : अब समय समाप्त हो रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मेरा निवेदन है कि समय बढ़ाने के बजाय इस बहस को कल के लिए एडजोर्न किया जाय। यह बहुत इम्पोर्टेंट बिल है। यदि टाइम भी बढ़ेगा तो भी खत्म नहीं हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है कि सरकारी पक्ष की ओर से जवाब कल हो। समय समाप्त हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : फर्स्ट रीडिंग की बहस समाप्त हो जानी चाहिए। आज माननीय सदस्यों का समय निर्धारित किया जाय, ताकि दूसरा जो बिल कल आने वाला है वह भी पास हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय १५ मिनिट बढ़ाया जाता है जब तक कि जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वे डिस्पोज़ ऑफ न हो जायं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से यहां कहा गया है कि शहरों की जमीन की कीमत सरकार क्यों ले। मैंने पहले बताया कि सरकार का लेना जरूरी है। इसलिए लेना जरूरी है कि जैसे अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड या ट्रस्ट क्यों बने ?

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

इसलिए कि पहले नगरपालिकाओं को इजाजत थी जमीन देने की। होता यह था कि खेती की जमीन पर सैकड़ों लोगों ने मकान बना लिये और नगरपालिका उनको नहीं रोक सकी। उस चीज को अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने रोका है तो कुछ लोगों को जलन सी लग रही है कि क्यों रोक रहे हैं। यदि प्लान बना कर शहर का विकास नहीं करेंगे तो शहर गन्दा हो जायगा, कोई प्लानिंग न होने से शहरों में गन्दगी फैल जायगी। बेतरतीब से शहर बनेंगे और शहरों में आज आबादी बढ़ रही है वह गांवों में बेकारी की वजह से।

तीन प्रकार की जमीने हैं। कृषि की जमीन है। लोगों ने उन पर मकान बना लिये तो आपको उन से लेना चाहिये। आपको स्पष्ट रूप से इसमें रखना चाहिये। साफ क्लाज रखना चाहिये कि इतने साल पहले जिन्होंने कृषि की भूमि पर मकान बना लिये उनसे इतना टैक्स वसूल करेंगे। इन्डस्ट्रीज के लिये जमीन ली और उनको प्लाट्स बना कर बेच दिया, मकान बना लिये, उनसे यह लेंगे। लेकिन इसमें एक बात बहुत ही देखने की है। मुझे इसमें खतरा नजर आ रहा है। जो छोटे २ लोग हैं, किसी इन्डस्ट्री के लिए जमीन ली और मकान बना लिया या दुकान बना ली, मकान के लिए प्लाट लिया और दुकान बना ली, आप कहेंगे कि दुकान बना ली है, गरीब आदमी दुकान लगा कर बैठ गया है तो आप कहेंगे कि आपको पैसा देना पड़ेगा। मुझे खतरा है कि आप उन लोगों से वसूल कर लेंगे लेकिन आप उनसे वसूल नहीं कर पायेंगे जिनसे कि आपको एक्चुअली वसूल करना चाहिये। इन्डस्ट्रीज लगाने के नाम पर जिनको बड़ी बड़ी जमीने दी हैं, पांच-पांच, सात-सात रुपया पर नजूल टैक्स लेकर दी है। जो उन जमीन को बेचेंगे और बेच दी हैं उनसे वसूल नहीं करेंगे। उल्टा उनको कहेंगे तुम थोड़ा पैसा दे दो, हम तुमको वे जमीनें बेचने का अधिकार दे देते हैं। भीलवाड़ा में ऐसी जमीने हैं। बिना पैसा जमीन दी है इन्डस्ट्री चलाने के लिये, तो सरकार को उनको वापिस लेना पड़ेगा, उनको बेचने का हक नहीं होगा। जिन्होंने बेच दी है उनसे पैसा वसूल किया जाय, उनकी जमीन से किया जाय, उनकी जायदाद से वसूल किया जाय' बहरहाल उनसे पैसा वसूल करना पड़ेगा।

(विपक्ष द्वारा हिअर, हिअर)

आप वसूल करेंगे उनसे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, शहर के बीच में दो तीन दुकान बना कर बैठ गये हैं। और जो मनी-लेन्डिंग का बिजनेस करने वाले हैं जिन्होंने काफी जमीन अपने पास रख कर बड़ी बड़ी इमारतें, मकान व दुकानें बना ली हैं, उनसे आप लेने नहीं जावेंगे। आप अपने आंकड़ों से ही यह बताते हैं कि २४ करोड़ रुपये से ऊपर लोग किराये की आमदनी करते हैं। जब इतनी आमदनी है तो आप यह क्यों नहीं उनसे कहते है कि हम १० पर्सेन्ट कर लेंगे। दशमलव पद्धति आप इस पर लागू करिये। जिन्होंने पैसा कमाने के लिए मकान बनाये हैं, जो इसका बिजनेस करते हैं, किराये की बड़ी बड़ी रकमें उठाते हैं, लाखों रुपया पैदा करते हैं। उनसे आप क्यों नहीं लेते हैं? आप तो लेंगे उन छोटे छोटे दुकानदारों से जिन्होंने दो तीन दुकाने बना ली हैं, जो अपना पेट भरने के लिए साधन जुटा कर बैठे हैं,

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

लेकिन उनसे नहीं लेंगे जो बड़े बड़े लोग हैं। उनसे लेंगे जिन्होंने मकान के बजाय दुकान बना ली है, कारखानों के नाम से बड़ी बड़ी जमीनें जिन्होंने ले ली हैं उनको तो आप आबादी लैंड में बदल देंगे। राजा महाराजाओं की जमीनों को आबादी लैंड में कन्वर्ट कर देंगे। सैकड़ों बीघा जमीनें शहरों के आस पास हैं, ४०,५० बीघा की जमीनें राजाओं के पास पड़ी हुई हैं, जागीरदारों के पास पड़ी हुई हैं उन लोगों की जमानों को तो आप आबादी लैंड में बदल देंगे। इसमें खतरा है। आप कहते हैं कि ५०) गज से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन मुझे डर है कि ५) गज भी आप उनसे लेने वाले नहीं हैं। लेकिन बाहर बाजार में उन छोटे छोटे लोगों से जरूर ले लेंगे क्योंकि वे लोग बोल नहीं पायेंगे। राजाओं से आपको डर लगेगा। मुझे इसमें यही खतरा नजर आता है कि छोटे छोटे लोगों को आप परेशान करेंगे, उनसे वसूल करेंगे और बड़े बड़े लोगों को आप छोड़ देंगे। सबसे पहले राजाओं से जमीन लेनी चाहिये। एक व्यक्ति रहने के लिए मकान बनाना चाहता है, मकान के बजाय वह दुकान बना लेता है अपना पेट भरने के लिए, वह आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा है आपको उसको छूट देना चाहिए, लेकिन जो किराया कमाने के लिए दुकानें बनाते हैं और जमीनों का नाजायज कब्जा करके बेचते हैं उनसे आपको वसूल करना चाहिये। पचास रुपया प्रति गज से वह कम नहीं होना चाहिये। यह आपको सदन को बताना चाहिये कि हम ऐसा करेंगे। अगर आप वह साफ नहीं कहेंगे तो हमें डर है कि गरीब लोग मारे जावेंगे।

इसके बाद मैं यह अर्ज करूंगा कि जिस तरह से आपने जमीनों की रद्दोबदली के मामले का नियन्त्रण किया है, जिस तरह से आपने सीलिंग किया है, है तो बहुत बढ़िया, आप यहां भी पहले से ही यह तय कर लीजिये कि जिन लोगों ने मकान बना लिये, किराया कमाने के लिए मकान बना लिये हैं और किराया कमा रहे हैं उनके ऊपर भी सीलिंग लागू करेंगे या नहीं। गांवों में सीलिंग के कानून को माना है, किसान ने अपनी छाती पर पत्थर रख कर भी उसको मान लिया है। मुल्क के लिए किसान सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार है। हजारों लाखों बीघा जमीन जिन राजा महाराजाओं और जागीरदारों के पास है वे घबरायेंगे, किसान घबरायेगा नहीं। सीलिंग लगेगा। तो बड़े बड़े शरमायेदारों पर, किराया कमाने वालों पर लगेगा। यदि आप उनको छूट देंगे तो जनता उनको छोड़ने वाली नहीं है। आप नहीं लगायेंगे तो जनता ताकत के साथ लगायेगी। जिनको करोड़ों रुपया हर साल की आमदनी होती है और आप उन पर कोई सीलिंग नहीं लगाना चाहेंगे यह हो नहीं सकता। आप उनकी जमीनों पर और आमदनी पर सीलिंग कीजिये।

अब नगरपालिका की बात पर आ जायें आप। हमको इस ओर पूरा ध्यान देना होगा नगरपालिकाओं में आज जिस तरह से काम चल रहा है वह ठीक नहीं है। कल हमें सदन में यह सुनने को मिला कि सीमा पर हमारे इलाके में पाकिस्तान की पाठ्य पुस्तकें चलती हैं। जब उनसे इस विषय में प्रश्न किया गया तो कहते हैं हां भाई चलती हैं। मैं आपको बताऊं कि अजमेर की नगरपालिका में

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

पाकिस्तान का नागरिक सदस्य के रूप में चुना जाय यह कैसे बर्दाश्त किया जाता है क्यों दूसरे देश का नगारिक चुना जाय और आपको मालूम न हो ? दूसरे देश की नागरिकता का आदमी हमारे यहां नगरपालिका में सदस्य चुन लिया जाय, आपको मालूम न हो और जब पूछा गया कि कैसे चुन लिया गया तो सरकार ने जवाब नहीं दिया। या तो आप यह कह दीजिये कि वह इस देश का नागरिक है। हम मान जायेंगे। जो हमारे देश का नागरिक नहीं है, वह हमारी नगरपालिका का सदस्य चुना जाय यह बात बड़ी गम्भीर है। महीनों तक सरकार इस मामले में चुप रह जाय, यह बड़ी अजीब बात है। लेकिन सरकार के चुप रहने से काम नहीं चलता। दूसरे राष्ट्र के नागरिक को यहां रहने का कोई हक नहीं है। यदि वह रह सकता है तो इस राष्ट्र का नागरिक बन कर ही रह सकता है। आप इन्तजाम नहीं कर सके। आप को इन्तजाम करना पड़ेगा। इसलिए आप मुझको इस बात का जवाब देंगे कि अखिर वह नगरपालिका का सदस्य किस प्रकार चुना गया, किस प्रकार नगरपालिका का सदस्य रखा गया ?

श्री परसराम मदेरणा (उप मंत्री, भवन तथा नगर विकास प्रन्यास) : आप मुझे यह बतायें कि यह बिल के स्कोप में है कि नगर-पालिका का सदस्य जायज तौर पर हुआ या नहीं ? यदि जायज तौर पर वह नगरपालिका का सदस्य नहीं था तो कोर्ट ऑफ लॉ में इसको चालान कर दीजिये। लेकिन यहां इस बिल के स्कोप में यह कैसे आता है ? मैं इसका जवाब नहीं दूंगा और बाकी जो आपने मुद्दे उठाये हैं उनका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। पर्टीनेंटली आप एक स्टिन्ज लगाते हैं कि नगर-पालिका का दूसरे राष्ट्र का सदस्य बन गया, मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूं इस बिल की इस स्टेज पर बहस के वक्त में।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इस प्रश्न का जवाब कई दफा सदन में मांगा गया है। सरकार बोलती क्यों नहीं है कि वह पाकिस्तान का नागरिक है, मेरे देश का नागरिक नहीं है ? सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : इस बिल से यह किस तरह से सम्बन्ध रखता है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : बिलकुल ही ताल्लुक की बात कही गई है। म्युनिसिपेलिटी और यू० आई० बी० से इसका सम्बन्ध है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : नगरपालिका का सदस्य चुना जाय जो इस देश का नागरिक नहीं है और आप कहते हैं कि इसके स्कोप में नहीं है और मैं जवाब नहीं दे सकता। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कन्वर्शन की बात कहेंगे तो रिलेवेन्ट बैठती है। पाकिस्तान का नेशनल है और आप कहते है जवाब नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप चाहे न कहें नगरपालिका के जो मंत्री हैं स्वायत शासन के जो मंत्री हैं उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। आप यदि उनकी तरफ से देते हैं तो आपको देना पड़ेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि दो—तीन महीने में इस पर पूरा विचार करके फिर सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

सदन की बैठक कल प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है। कल सरकारी पक्ष से जवाब होगा।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० १ बज कर ४३ मिनट पर कल दिनांक २ अप्रेल १९६४ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

संक्षिप्त—विवरण

(बुधवार, दिनांक १ अप्रेल, १९६४)

स्कम्भ स्कम्भ

१ तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के मुकदमें

ग्राम पंचायत, चान्डी

ग्राम पंचायत, कांवट के सरपंच का निलम्बन

एक्सपर्ट कमेटी

खानपुर हाई स्कूल भवन की मरम्मत

देहात आवास योजना

हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी को सांभर, नावां झील की लीज

लाइफ इन्श्योरेन्स कॉरपोरेशन के कर्मचारी और राजस्थान शॉप एण्ड कामर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट

जिला व सत्र न्यायाधीश, झुंझुनू की अदालत में गबन

ग्राम सभाओं को प्रभावशाली बनाने हेतु कानून में संशोधन

कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा निकाले गये कर्मचारी

ग्राम स्वयं सेवक संघ, बांसवाड़ा

मुआवजे की वसूली

विद्युत् उत्पादन पर व्यय

फोरेस्ट तथा रेवेन्यू सेटलमेन्ट

माचिस फैक्टरी, अलवर के मजदूरों की बकाया वेतन

इवेल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट

सरपंचो के रिक्त स्थान

बिजली के टेम्परेरी कनेक्शन्स, बीकानेर

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

हाई टेक प्रिसेशन ग्लास लिमिटेड, धौलपुर

२ अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक

आबादी भूमि विक्रय के अधिकार

जोड़ बीड़ का सीमांकन, बीकानेर

पंचायत समिति, कुचामन द्वारा विकास कार्य हेतु अनुदान

कृषकों को पम्पिंग सेट्स के लिए धन-राशि, विकास खंड, चेचट

रूरल इन्श्योरेन्स ड्राइव, पंचायत समिति, किशनगढ़

भूतपूर्व लेबर कमिश्नर

कर्मचारियों की संख्या

शुगर मिल, भोपाल—सागर

३. प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री मोतीलाल चौधरी, सभापति, प्राक्कलन समिति, १९६३-६४ ने समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया:—

(१) प्राक्कलन समिति, १९६१-६२ के २२ वें प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का सातवां प्रतिवेदन (आयुर्वेद विभाग),

(२) प्राक्कलन समिति १९६१-६२ के २३ वें प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का आठवां प्रतिवेदन (चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य विभाग),

(३) प्राक्कलन समिति १९६०-६१ के १९ वें प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का बारहवां प्रतिवेदन (विकास विभाग),

(४) प्राक्कलन समिति १९६२-६३ के पहले प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (यातायात विभाग),

(५) प्राक्कलन समिति, १९५९-६० के चौदहवें प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (सहकारिता विभाग) तथा

(६) प्राक्कलन समिति का उद्योग विभाग से सम्बन्धित पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

४. आधे-घण्टे की चर्चा

जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स में राज्य सरकार के शेयर्स से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या १९९ (१९३। पी. डब्ल्यू. एम.), जिसका उत्तर दिनांक ४ मार्च, १९६४ को दिया गया था, के उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर श्री भैरोंसिंह, सदस्य विधान सभा, ने आधे-घण्टे की चर्चा उठाई।

उद्योग मंत्री, श्री हरिश्चन्द्र ने बहस का उत्तर दिया।

५. विधायी कार्य-विचारार्थ लिये गये विधेयक

१. राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक १६६४

२. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १६६४

उपरोक्त दोनों विधेयकों को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव उप-मंत्री श्री परसराम मदेरणा ने प्रस्तुत किये। उक्त विधेयकों को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने एवं इन्हें प्रवर समितियां के सुपुर्द किये जाने के संशोधन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये गये एवं उन प्रस्तावों पर बहस भी हुई।

गुरुवार, दिनांक २ अप्रेल, १६६४ की कार्य सूची

१. राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १६६४ (प्रवर समिति को)

२. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १६६४ (प्रवर समिति को)

३. राजस्थान नगरीय भूमि कर विधेयक, १६६४ (विचार विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८१० का उत्तर देखिये)

जिला परिषदों द्वारा पंचायत समितियों के कार्य का लेखा जोखा करने तथा कृषि की उपज बढ़ाने हेतु बनाई गई इवेल्यूशन कमेटियों की सूची :—

क्रमांक	जिला परिषद	मूल्यांकन समिति पं. स. प्रतियोगिता	ग्राम सेवक । ग्राम प्रतियोगिता	रिपोर्ट प्रस्तुत की
१	२	३	४	५
१.	अजमेर	२	६	हां
२.	सवाई माधोपुर	२	—	हां
३.	चित्तौड़गढ़	२	—	हां
४.	अलवर	१	—	हां
५.	सीकर	२	१	हां
६.	कोटा	१	—	हां
७.	पाली	१	—	नहीं
८.	उदयपुर	३	—	हां
९.	नागौर	१	—	हां
१०.	सिरोही	—	—	—
११.	बांसवाड़ा	१	—	हां
१२.	बाड़मेर	१	—	नहीं
१३.	बीकानेर	—	—	—
१४.	गंगानगर	—	—	—
१५.	जैसलमेर	—	—	—
१६.	चूरू	१	—	हां
१७.	जोधपुर	१	—	हां

१	२	३	४	५
१८.	जयपुर	१	१	हां
१९.	बूंदी	१	१	हां
२०.	भरतपुर	१	—	हां
२१.	भीलवाड़ा	२	—	हां
२२.	टौंक	३	—	हां
२३.	झुन्झुनूं	—	—	—
२४.	जालौर	१	—	नहीं
२५.	झालावाड़	१	—	हां
२६.	डूंगरपुर	१	—	हां

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८११ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति की बैठकों में भाग लिया गया उसकी सूची—

१. श्री उम्मेदसिंह सरपंच, मियाकलॉ ७-१-६३,६-२-६३, १३-३-६३, ३०-५-६३, १४-६-६३, ६-६-६३, व २०-३-६४।

२. श्री किशनलाल सरपंच, बूडसू ७-१-६३, ६-२-६३, १३-३-६३, ३०-५-६३ व ६-३-६४।

३. श्री पोकरमल उप सरपंच, चांडी ७-१-६३, ६-२-६३, ३०-५-६३१४-६-६३, ६-३-६४ व २०-३-६४।

४. श्री गुलाबसिंह सरपंच, खेडीसीला ७-१-६३, १३-३-६३, १४-६-६३ ६-६-६३, ६-३-६४ व २०-३-६४।

पंचायतों की बैठकों की सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७८८ का उत्तर देखिये)

Copy of Order No. 6(14) P&E/64 dt. 3rd March, 1964 from the Secretary to the Govt. of Rajasthan, Labour and Employment Deptt., Jaipur to all Heads of the Deptt. Jaipur.

Whereas it has been represented to the Government that the present series of Consumer Price Index Number for Jaipur, Ajmer and Beawar do not adequately reflect the existing pattern of consumption and variation in prices, that the price collection has been faulty and inadequate and that it is necessary to make re-adjustment in the series, whereas the workers have further represented that dearness allowance should be linked with Consumer Price Index Number, the Government has been pleased to appoint a committee consisting of the following.

1.	Prof. M. V. Mathur, Head of the Department of Economics and Public Administration University of Rajasthan, Jaipur.	Chairman.
2.	Dr. B. D. Tikkiwal, Head of the Department of Statistics, University of Rajasthan, Jaipur.	Member.
3.	Shri L. K. Verma, Director of Economics and Statistics, Raj. Jaipur.	Member.
4.	Shri T. C. Jain, Dy. Labour Commissioner, Rajasthan, Jaipur.	Member Secy.

The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(i) To examine whether the present series of Consumer Price Index Number for Jaipur, Ajmer and Beawar adequately reflect the existing pattern of consumption and variation in prices and if not, whether any re-adjustment is necessary in the existing series and if so, what re-adjustment should be made.

(ii) To examine and recommend more scientific basis for reconstruction of new series of Consumer Price Index Numbers for Ajmer, Beawar and Jaipur and other centres in Rajasthan including study of scientific basis on which price collection should be made and also the linking of the existing series with the new series, wherever necessary.

(iii) To recommend whether in reference to any particular or all industries in Rajasthan linking of dearness allowance with the cost of living index numbers would be feasible in the present circumstances, and if so, in what manner the linking can be given effect to.

The Committee is required to submit its report to the Government within three months of the date of its constitution. The Committee is also requested to hear the representatives of the employers and the workers' organisations on the points of reference.

The Committee is also authorised to submit interim recommendations to the Government, if they so desire.

परिशिष्ट--४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर देखिये)

List of Share holders

S.No.	Name of share holders.	Amount of shares subscribed.	Amount due.	Amount paid.	Remarks.
1.	Shri A. K. Roy, Secretary to the Government of Rajasthan, Industries 'A' Department.	5,09,970	3,82,477.5	3,82,477.5	Nos. 1 to 4 are Government nominees.
2.	Shri T. N. Chaturvedi, Director of Industries and Civil Supplies.	10	7.5	7.5	
3.	Shri M. L. Mathur, Sr. Accounts Officer, Finance Department.	10	7.5	7.5	

1	2	3	4	5	6
5.	Shri R. R. Purohit, Jt Director of Industries.	10	7.5	7.5	
		5,10,000	3,82,500	3,82,500	
5.	Shri S. K. Agarwal,	10, 000	7,500	5,000	
6.	Shri B. K. Khetan	100	75	75	
7.	Shri Tara Chand Agarwal,	100	75	50	
	Total :	5,20,200	3,90,150	3,87,625	

शुद्धि-पत्र *

(बुधवार, दिनांक १ अप्रैल, १९६४)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१	४ के बाद	—	—
,,	७	तारांकित प्रश्नोतर	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	१३	एग्रीकलचर	एग्रीकल्चर
४	८	श्री श्रवणलाल (हिन्डो) : [श्री	श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) [श्री
,,	९	पूछा गया]	पूछा गया] :
५	१३	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
६	१७	श्री भवानीसिंह नन्दवाना	श्री भवानीशंकर नन्दवाना
८	१	(ड) :	(डग) :
९	४	श्रीं	श्री
१९	६	श्रम मत्री	श्रम मंत्री
२१	२०	(योजना मंत्री)	श्री मथुरादास माथुर
		श्री मथुरदास माथु	(योजना मंत्री)
२७	१९	श्री नाथूराम डूंगरपुर :	श्री नाथूराम : बागीडोरा
२८	२४	महाराल श्री लक्ष्मणसिंह	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
,,	अन्तिम से ४	श्री भैरवलाल कालाबादल	श्री भैरवललाल "कालाबादल"
३२	शीर्षक	तारांकित	तारांकित
,,	१९, २७	श्री जुंझारसिंह	श्री जुझारसिंह
,,	२५	श्री भवानीशंकर नंदावाना	श्री भवानीशंकर नन्दवाना
३३	८	श्री जुंझारसिंह	श्री जुझारसिंह
३५	शीर्ष	—	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
४३	,,	(श्री माणकचन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
,,	१२	चन्दनमल वैद	श्री चन्दनमल वैद
४५	अन्तिम से ५	,, ,,	,, ,, ,,
४८	१५	श्री मथुरादाम माथुर	श्री मथुरादास माथुर
४९	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
५२	,,	,,	,,
५३	शीर्ष	—	(श्री मथुरादास माथुर)
५६	१७	भूंभनू	झुंझुनू

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
५७	शीर्ष	(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
५८	१६, २०	श्री रामाकिशन	श्री रामकिशन
,,	अन्तिम से ३	विद्युत	विद्युत्
५६	शीर्ष	—	(श्री मुरलीधर व्यास)
६३	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर- १ अप्रेल, ६४-- तारांकित प्रश्नोत्तर	अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर --१ अप्रेल, ६४-- अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर
,,	शीर्ष		(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
,,	२३	सतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
,,	२४	मथुरादास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
६५	शीर्ष		(श्री मथुरादास माथुर)
६८	२३	श्री मथुरादास माथर	श्री मथुरादास माथुर
७१	शीर्षक	--१ अप्रेल ६५--	--१ अप्रेल, ६४--
७४	२४	अतरांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
७८	६	उरूरल	रूरल
८६	अन्तिम से ६	श्री भैंरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
८७ से ६६	शीर्षक	ज० स्पिनिंग एवं वीं. मि. विषयक --१ अप्रेल, ६४-- ज० स्पिनिंग एवं वी. मि. विषयक	जयपुर स्पिनिंग एवं --१ अप्रेल, ६४-- वीविंग मिल्स विषयक
६७	शीर्षक	--१ अप्रेल, ७४--	--१ अप्रेल, ६४
१०२	६	श्री परसराम मदेरणा उप मंत्री,	श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री
१०३	शीर्षक	(संशोधन)	(संशोधन)
,,	१	श्री मुरलीकार ध्यास	श्री मुरलीधर व्यास
११०	अन्तिम से ४	सूधक	सूचक
११२	शीर्षक	विधेयक	विधेयक
१२०	,,	विधेयक	विधेयक
१२६	शीर्षक	नगर सुधार	नगर-सुधार
,,	शीर्ष	[श्री कृष्णकुमार गोयल]	(श्री कृष्णकुमार गोयल)
१३०	१४	श्री परसराम मदेरणा	श्री परसराम मदेरणा

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१३७	शीर्ष	(श्री दुर्गालास वाढदार)	(श्री दुर्गालाल वाढदार)
१४१	,,	(,, ,, ,,)	(,, ,, ,,)
१४३	शीर्षक	नगर पालिका	नगरपालिका
१४६	,,	विंधेयक	विधेयक
१५०	६, १०	राव श्री नारायणसिंह (उपाध्यक्ष, पदासीन) :	(११. १२ म० पू०) (राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)
१५७	शीर्षक	एवं । नगरपालिका	एवं नगरपालिका
१६३	३,८,११व१६	श्री भैरौंसिंह	श्री भैरोंसिंह
१६७	१	श्री मथुरेशविहारी	श्री मथुरेशविहारी
१७३	शीर्षक	१ अप्रल, ६४--	--१ अप्रेल, ६४
१७८	२०	श्री उाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
२०८	शीर्षक	संशोधन (विधेयक)	(संशोधन) विधेयक
,,	८	(माडल)	(मांडल)
२११	शीर्ष	(श्री उमरांवसिंह (ढाबरिया)	(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
२२४	शीर्षक	विधेयक	विधेयक
२३१	शीर्ष	(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा) ।	(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
२४१ से २४२	शीर्षक	संक्षिप्त विवरण --१ अप्रेल, ६४-- संक्षिप्त विवरण	—
		स्कम्भ	स्कम्भ
२४१	१ के सामने	शीर्षक	शीर्षक १
२४२	१३ के सामने	प्रश्न ,,	प्रश्न ६२
,,	१६ के सामने	शीर्षक ,,	शीर्षक ७४
२४३ से	१ से ऊपर		स्कम्भ
२४५ तक	होगा	स्कम्भ	स्कम्भ
२४३	८ के सामने	उपस्थान	उपस्थापन ८५
२४४	१७ के सामने	चर्चा ,,	चर्चा ८६
२४५	२ के सामने	विधेयक ,,	विधेयक १०२
२५२	२	(कृपया अतारांकित प्रश्न) संख्या २	(कृपया अल्पकाल सूचना प्रश्न संख्या २

* विस्तृत शुद्धि–पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।